Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 13

Wednesday, December 20, 2023
Agrahayana 29, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fourteenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 14)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Pankaj Kumar Singh

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 13, Wednesday, December 20, 2023/ Agrahayana 29, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 241, 242 and 244	12-24
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
[α]Starred Question Nos. 247 to 254 and 257 to 260	25-70
[β]Unstarred Question Nos. 2761 to 2764, 2766 to 2771, 2774, 2775, 2777 to 2779, 2781 to 2785, 2787, 2788, 2790, 2792 to 2802, 2805, 2807 to 2810, 2812 to 2820, 2822, 2824 to 2827, 2830, 2833 to 2844, 2846, 2848 to 2857, 2860 to 2863, 2865 to 2875, 2877, 2878, 2880, 2882, 2886, 2887, 2889 to 2897, 2899 to 2909, 2911, 2913, 2914, 2916 to 2918, 2920 to 2923, 2925 to 2936, 2938 to 2944, 2946 to 2948, 2950 to 2953, 2956, 2958 to 2961, 2963 to 2968, 2971 to 2982, 2985, 2986, 2988 to 2990	71-515

[α] Starred Question Nos 243, 245, 246, 255 and 256 were deleted due to suspension of the members, under Rule 374of the "Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha",

[β] Unstarred Question Nos. 2765,2772, 2773, 2776, 2780, 2786, 2789, 2791, 2803, 2804, 2806, 2811, 2821,2823, 2828, 2829, 2831, 2832, 2845, 2847, 2858, 2859, 2864, 2876, 2879,2881, 2883, 2884, 2885, 2888, 2898, 2910, 2912, 2915, 2919, 2924, 2937,2945, 2949, 2954, 2955, 2957, 2962, 2969, 2970, 2983, 2984, and 2987were deleted due to suspension of the members under Rule 374 of the "Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha".

PAPERS LAID ON THE TABLE 516-549

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 550-551

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

160th to 169th Reports 552-554

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

35th to 37th Reports 555

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

28th and 29th Reports 556

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

42nd to 46th Reports 557-558

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

27th Report 559

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

(i) 23th Report 560

(ii) Statements 561

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

52nd Report 561

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

324th Report 562

STATEMENTS BY MINISTERS 563-570

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology

Shri Rajeev Chandrasekhar 563

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 376th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 89) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology 564

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 383rd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 376th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology

Dr. Jitendra Singh 565

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ashwini Kumar Choubey 566

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Mines 567

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Mines 567

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on "Development of Aluminium and Copper Industries in the Country" pertaining to the Ministry of Mines 568

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Mines

Shri Danve Raosaheb Dadarao 568

(v) Status of implementation of the recommendations / observations (Hindi and English versions) contained in the 177th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 171st Report of the Committee on "Issues Affecting the Indian Tea Industry especially in Darjeeling Region" pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

Shrimati Anupriya Patel 559

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Textiles

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 570

MATTERS UNDER RULE 377 571-593

(i) Regarding construction of Ankaleshwar-Burhanpur National Highway project

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 571-572

(ii) Need to give ownership rights of the forest lands cultivated by tribals

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 573

(iii) Regarding alleged pilferage of foodgrains in West Bengal

Dr. Jayanta Kumar Roy 574

(iv) Need to expedite tender process for establishment of a medical college in Gondia district, Maharashtra

Shri Sunil Baburao Mendhe 575

(v) Regarding establishment of courts for dealing with specialised subjects

Shri P. P. Chaudhary 576

(vi) Need to frame a national policy for impounded vehicles kept in police stations for violation of traffic rules

Shri Vinod Kumar Sonkar 577

(vii) Need to expedite the work of PM MITRA Park in Misrikh, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 578

(viii) Regarding establishment of a Thermal Power Plant in Salempur Parliamentary Constituency

Shri Ravindra Kushawaha 579

(ix) Need for a railway stadium with training facilities in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

Shri Khagen Murmu 580

(x)	Regarding remedial measures to ensure completion of stalled housing projects in NOIDA/Greater NOIDA **Shri Bhola Singh**	581
(xi)	Need to open a Sainik School at Siddharthnagar in Domariyaganj Parliamentary Constituency **Shri Jagdambika Pal**	582
(xii)	Regarding development of sports infrastructure at district and block levels in the Country **Shri Ramakant Bhargava**	583
(xiii)	Regarding development of disabled-friendly infrastructure in every railway station of the Country **Dr. Sujay Vikhe Patil**	584
(xiv)	Regarding establishment of AIIMS in North Bengal **Shri Raju Bista**	585
(xv)	Regarding adoption of Tamil as language of the Madras High Court **Dr. D. Ravikumar**	586
(xvi)	Need to provide stoppage of Vande Bharat Express (Train Nos. 20833-34) at Tadepalliguden Railway Station **Shri Raghu Rama Krishna Raju**	587
(xvii)	Regarding grant of old pension scheme **Shri Arvind Sawant**	588
(xviii)	Regarding Gopalpur-Rayagada Railway Project **Shri Chandra Sekhar Sahu**	589

(xix) Regarding setting up of a medical college in Shravasti district of Uttar Pradesh

Shri Ramshiromani Verma 590

(xx) Regarding setting up of displacement and rehabilitation tribunal for displaced persons in Jharkhand

Shri Chandra Prakash Choudhary 591

(xxi) Regarding development of civic amenities in Sonia Vihar in North East Delhi Parliamentary Constituency

Shri Manoj Tiwari 592

(xxii) Need to provide minimum wages to Anganwadi and ASHA workers/helpers and also extend Employees' State Insurance Scheme benefits to them

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 593

BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023,

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023

AND

BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023 594-,671
673-735

Dr. Nishikant Dubey 594-603

Shri Asaduddin Owaisi 603-625

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 626-630

Shrimati Harsimrat Kaur Badal 631-639

Shri Ramesh Bidhuri 640-646

Sardar Simranjit Singh Mann 646-648

Shri Rajiv Pratap Rudy 649-656

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	657-662
Shri Jugal Kishore Sharma	663-665
Kumari Chandrani Murmu	666-669
Shri Jamyang Tsering Namgyal	670, 673-675
Dr. Jayanta Kumar Roy	676-678
Dr. Pritam Gopinathrao Munde	679-681
Shrimati Poonam Mahajan	682-685
Sadhvi Pragya Singh Thakur	686-691
Shrimati Hemamalini	691-693
Shri Amit Shah	694-724
Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023	
Motion to Consider	725
Clauses 2 to 358 and 1	725-730
Motion to Pass	730
Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023	
Motion to Consider	731
Clauses 2 to 531 and 1	731-732
Motion to Pass	732-733
Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023	
Motion to Consider	734
Clauses 2 to 170 and 1	734
Motion to Pass	735

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS	672
TELECOMMUNICATIONS BILL, 2023	736-766
Motion to Consider	736
Shri Ashwini Vaishnaw	736-738, 758-763
Dr. Sanjeev Kumar Singari	738-744
Shri Jayant Sinha	745-750
Shri Bhartruhari Mahtab	751-755
Shri Shrirang Appa Barne	756-758
Clauses 2 to 62 and 1	764-766
Motion to Pass	766
*__ANNEXURE – I__	682-687
Member-wise Index to Starred Questions	682
Member-wise Index to Unstarred Questions	683-687
__*ANNEXURE – II__	688-689
Ministry-wise Index to Starred Questions	688
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	689

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 20, 2023/ Agrahayana 29, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: क्वेचन नंबर 241, श्रीमती मंजुलता मंडल।

… (व्यवधान)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 241)

<u>11.0½ hrs</u>

At this stage, Adv. A. M. Ariff, Shri Thomas Chazhikadan, Shrimati Kavita Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंजुलता मंडल जी, आप क्वेश्चन पूछिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI MANJULATA MANDAL: Sir, I would like to know from the hon. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution the time by when the digitalisation process of the PDS Scheme would be completed and by when the remaining PDS shops in the State of Odisha would be computerised. …(*Interruptions*) What measures is the Union Government taking to enhance the quality and quantity of items distributed under the PDS Scheme? …(*Interruptions*)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग पारदर्शिता लाने और उपभोक्ता को राशन सही समय पर मिल सके, उसके लिए काम कर रहा है। इसके लिए पूरा का पूरा डिजिटलीकरण कर दिया गया है।… (व्यवधान)

जहां तक ओडिशा की बात है और माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है।… (व्यवधान) ओडिशा में भी लगभग 99 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड़ दिया गया है। इसके लिए हमारी सरकार और

मंत्रालय का बहुत बड़ा लक्ष्य है, ताकि हमारे लाभार्थी चाहे किसी भी प्रदेश में जाएं, उनको कम से कम सही समय पर राशन मिल सके।… (व्यवधान) ओडिशा में 99 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती मंजुलता मंडल : थैंक यू सर। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 242, सुश्री देबाश्री चौधरी।

… (व्यवधान)

(Q. 242)

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI: Hon. Speaker, Sir, the people of our country, particularly of my Raiganj parliamentary constituency, expressed their heartfelt gratitude for the railway station redevelopment endeavour envisaged under the able guidance of hon. Prime Minister and the hon. Railway Minister under Amrit Bharat Station Scheme. … (*Interruptions*) Under this scheme, three stations have been selected in my Raiganj parliamentary constituency, that is, Kaliyaganj, Dalkhola, and Aluabari Road with an investment of Rs. 29 crore, Rs. 25 crore and Rs. 25 crore respectively. But at present, very few trains are having stoppage at these three stations. … (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister that whether the Railways would consider stoppages of more trains at these three stations for the benefit of the passengers of my Raiganj parliamentary constituency. If so, the details thereof, and by what time the final decision in this regard is likely to be taken? … (*Interruptions*)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने जिस स्टेशन पर ट्रेन्स की स्टॉपेज की बात की है, वह एक स्पेसिफिक विषय है।… (व्यवधान) मैं सांसद महोदया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह जिन ट्रेन्स की स्टॉपेज चाहती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिसकस कर सकते हैं।… (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए सदन के सामने रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन से आज देश में 1309 स्टेशंस का पुनर्विकास हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चल रहा है।… (व्यवधान) इसमें एक बहुत ही दूरगामी सोच है कि किस तरह से 50

वर्ष आगे की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का री-डिजाइन हो, वर्ल्ड क्लास करने के लिए शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, लोकल प्रोडक्ट्स की वहां पर सुविधा हो । … (व्यवधान) हर तरीके से स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का बहुत बड़ा काम चल रहा है । 500 से अधिक स्टेशंस पर काम चालू हो गया है ।… (व्यवधान)

सुश्री देबाश्री चौधरी : सर, मेरे दूसरे प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है । … (व्यवधान) How will stations promote local products? How will stations join both sides of the city?

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, आज करीब-करीब 800 से अधिक स्टेशन्स ऐसे हैं, जिनमें 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' नाम की एक स्कीम चल रही है । इसमें उस जगह के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उन लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक बड़ी मार्केट मिल रही है ।

मान्यवर अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी जगह भी हैं, जहां एकदम छोटी सी मार्केट लोकल प्रोडक्ट्स के लिए होती थी, उन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक्सपोर्ट की मार्केट भी रेलवे के माध्यम से मिल गयी है । जितने नए रेलवे स्टेशन्स डेवलप हो रहे हैं, उन सबमें 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' की व्यवस्था की जा रही है ।… (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष जी, रेलवे स्टेशन्स के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना एवं विश्वस्तरीय योजना का जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने मिलकर किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है । मध्य प्रदेश में 80 अमृत रेलवे स्टेशन्स का चयन हुआ है । सतना रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने का चयन हुआ है । माननीय रेल मंत्री जी ने उसका वर्चुअल शिलान्यास भी किया था ।

महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है कि कब तक उनका कार्य शुरू होगा? मैं यह उनसे जानना चाहता हूं ।… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, 1,309 अमृत भारत स्टेशन्स में से करीब 560 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है । हर एक स्टेशन को बहुत डिटेल से देखा जा रहा है कि उसकी डिजाइन

कैसी है, किस तरह से ट्रैफिक का उसमें मास्टर प्लान तैयार हो और शहर के साथ कनेक्टिविटी हो। इसी प्रयास से बाकी के स्टेशन्स पर भी तेजी से काम हो रहा है।… (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइन्स के दोहरीकरण तथा उनकी विद्युतीकरण से सम्बन्धित कोई परियोजना बना रही है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय ने उपर्युक्त लम्बित परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं?…(व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी का जो प्रश्न है, वह एक स्पेसिफिक एरिया का है। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा कि आज रेलवे में 14 किलोमीटर पर-डे नई पटरियां बिछ रही हैं। पिछले साढ़े 9 वर्षों में करीब 25 हजार किलोमीटर नई पटरियां बिछी हैं। लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नई पटरियां बिछी हैं। एक तरीके से पूरा एक स्विटजरलैंड लास्ट ईयर देश के रेलवे नेटवर्क में नया जोड़ा गया है।

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, हरित क्रांति के बाद यदि इस देश में सबसे बड़ी कोई क्रांति माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है तो वह स्टेशन के रीडेवलपमेंट की हो रही है। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारा जो लोक सभा क्षेत्र है, हमारे यहां पांच करोड़ लोग देवघर में पूजा करने के लिए बैद्यनाथ धाम में आते हैं। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण सेकेंड एंट्री का जो पैसा दिया, उससे वहां कोई काम नहीं हो रहा है। स्टेशन रीडेवलपमेंट में जो योजना है, वह योजना कारगर नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है।

महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना है कि राज्य सरकार के कारण जो हमारे जसीडीह और माधोपुर रेलवे स्टेशन्स हैं, जहां कम से कम 3 से 5 करोड़ लोग आते हैं, उनके रीडेवलपमेंट के लिए कब तक योजना होगी और कब तक यह पूरा होगा?…(व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, यह सच है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जिनमें राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उसमें से झारखंड भी एक ऐसा राज्य है, जिसमें

अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकार का रेलवे के डेवलपमेंट में कोई इंट्रेस्ट नहीं है । लेकिन, फिर भी डिजाइन का और खासकर स्ट्रक्चरल डिजाइन का उपयोग करके, जहां पर राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिले, वहां पर भी ऐसे डिजाइन लाने का प्रयास चल रहा है, जिससे कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना भी काम आगे बढ़ाया जा सके।

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है । रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो हमारे बिजनौर लोक सभा के प्रभारी भी हैं । वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक, एक बार ममता बनर्जी जी ने, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली से मेरठ, हस्तिनापुर और सरधना होते हुए बिजनौर रेल निकलेगी। मेरे से पहले जो बीजेपी के सांसद भारतेन्द्र जी थे, उन्होंने कहा कि काम चालू होने वाला है।

रेल मंत्री जी पिछले दिनों मेरठ घूम कर आए हैं। मैं इस मुद्दे को सदन में नौ बार उठा चुका हूं। क्या रेल मंत्री जी बताएंगे कि चुनाव से पहले काम शुरू हो जाएगा या पिछली घोषणाओं की तरह सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी?

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद महोदय ने जो बातें कहीं, पहले कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसी सरकारें थीं, जिसमें केवल घोषणाएं होती थीं। यह मोदी जी की सरकार है, जिसमें हम जो भी घोषणा करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं । उसका एक्जीक्यूशन, फाउन्डेशन और इनॉगुरेशन दोनों एक ही सरकार करती है।

मान्यवर सांसद महोदय ने जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की है, उस बारे में वे मेरे चेम्बर में आकर चर्चा कर सकते हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, I would like to convey my thanks to the hon. Minister for sanctioning the stations of Samalkot, Tuni, and Kakinada under Amrit Bharat Station Scheme and also for sanctioning the most important and long pending three ROBs which are already completed now and

are going to be opened. One RUB has also been sanctioned for which I am very thankful to you on behalf of my Parliamentary constituency.

I would like to request you regarding toilet facility which is very bad in condition at some stations. Also, in Pithapuram, there is no lift facility at the station. At Samalkot, there is no foot-over bridge on the other side. The hon. Minister has sanctioned many works, and he has sanctioned Rs. 45 crore out of Amrit Bharat Scheme for the development of stations but the work is not yet started. I would like to request the hon. Minister to give instructions to the concerned authorities for early completion.

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद महोदय ने जो विषय रेज किया है, उसको संज्ञान में लेकर हम इस विषय को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जैसा उल्लेख किया है कि 1300 अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें 560 पर काम शुरू हो गया है। मैं आपका ध्यान बुद्धिस्ट सर्किट की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, उसको उन्होंने अृमत भारत में स्वीकार किया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे। क्या आगे इस बात का आर्किटेक्ट में भी ख्याल रखा जाएगा कि जो अमृत भारत में जो स्टेशन बन रहे हैं, बुद्ध के युग में जो आर्किटेक्ट था, स्टेशन का उसी तरह का लुक आए। जब विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और उनकी आस्था है तो क्या इस दिशा में भी सरकार विचार करेगी कि जो अलग-अलग आदर्श स्टेशन बन रहे हैं, उसमें वहां का लोकल हेरिटेज और आर्किटेक्ट डिजाइन भी शामिल करेंगे? गौतम बुद्ध के समय काला चावल प्रसाद के रूप में था, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया है, क्या उसके एक्सपोर्ट की भी उस स्टेशन से व्यवस्था कराएंगे?

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है । प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है – विरासत भी, विकास भी यानी आज जो कुछ भी डिजाइन किया जा रहा है, अध्यक्ष जी, आपने जयपुर स्टेशन की डिजाइन देखी होगी, किस तरह से जयपुर स्टेशन स्थापत्य कला पर आधारित है। इसी तरह से चेन्नई में एग्मोर स्टेशन की डिजाइन देखें, हरेक स्टेशन में यह ध्यान रखा गया है कि लोकल स्थापत्य कला का उसमें समागम हो । पुरी स्टेशन, जग्गनाथ महाप्रभु के मंदिर से प्रेरणा लेकर बनायी गई है। इस चीज का हर जगह ध्यान रखा गया है।

श्री श्याम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिराजे हिन्द जौनपुर से आता हूं। जौनपुर की एक खास भौगोलिक स्थिति है, यह शहर के बीचों बीच है, जौनपुर से किसी भी तरफ आप निकलिए, जौनपुर से बनारस, जौनपुर से आजमगढ, जौनपुर से गाजीपुर, जौनपुर से लखनऊ, जौनपुर से इलाहाबाद और जौनपुर से मिर्जापुर इत्यादि रेलवे लाइन्स पर क्रासिंग है।

रेल मंत्री जी ने लोगों को यात्रा करने की सुविधा तो दी है लेकिन उनको कुछ गिरफ्तार जैसा कर रखा है । चारों तरफ एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि रेलवे क्रॉसिंग की वजह से अगर कोई आदमी जल्दी अस्पताल जाना चाहता है या कहीं पहुंचना चाहता है तो उसे रेलवे क्रॉसिंग की वजह से घंटो रुका रहना पड़ता है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध पर जौनपुर से मिर्जापुर क्रासिंग का काम किसी तरह से जल्दी करवा दिया। जौनपुर से इलाहाबाद रेलवे क्रॉसिंग का टेंडर हो गया है, लेकिन मेरी मांग है कि खेतासराय, आदमपुर में आदम रेलवे क्रॉसिंग, शाहगंज, मुगरा रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर बनाने की कृपा करें। … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, फ्लाईओवर्स और अंडरपासज़ के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेजी आई है। पिछले साल 1000 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्मित किए गए। इसी मोमेंटम को मैन्टेन करने का पूरा प्रयास है।

कई मान्यवर सांसदों ने मेरे पास फ्लाईओवर और अंडरपास की बात रखी है। इसमें रेलवे मंत्रालय और सरकार पूरी तरह से संजीदा रूप से काम कर रहा है। … (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 तक रेलवे के किसी भी प्लेटफार्म पर खड़े रहना मुश्किल होता था। मैं एनडीए के सभी रेल मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं कि अब हम यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देख रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रक्सौल काठमांडू जाने का एकमात्र स्थान है। रक्सौल, चंपारन, बेतिया में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बिताया था और वहीं से महात्मा कहलाए थे। मैं इन दोनों स्थानों को अमृत भारत स्टेशन में सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इनके महत्व के हिसाब से रक्सौल गेटवे ऑफ नेपाल है। अमृत भारत में ये दोनों बड़े स्टेशन बन सकें, क्या इसके लिए कोई योजना माननीय मंत्री जी के पास है? आपने इन्हें अमृत भारत में तो शामिल किया है, लेकिन इनका स्वरूप बड़ा होना चाहिए।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय ने रक्सौल की बात कही है। रक्सौल बेसिकली नेपाल के साथ कम्पलीट ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए एक टर्मिनल बन रहा है। इस महत्व को ध्यान में रखकर ही रक्सौल स्टेशन डिजाइन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 244, श्री पी.सी. मोहन।

… (व्यवधान)

(Q.244)

श्री रमेश चन्द्र माझी : माननीय अध्यक्ष जी, ओडिशा के जेपोर-नबरंगपुर और जेपोर-मलकानगिरी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2016 में एमओयू ओडिशा सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच साइन हुआ था, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। खुर्दा रोड – बलांगीर प्रोजेक्ट का काम वर्ष 1984 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। यह काम कब तक पूरा होगा? जेपोर-नबरंगपुर और जेपोर-मलकानगिरी प्रोजेक्ट कब शुरू होगा?

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि यह प्रश्न मेन प्रश्न से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप तो ओडिशा के बारे में सब जानते हैं इसलिए आप उसका जवाब दे देंगे।

… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एकदम इग्नोर किया जा रहा था और 700-800 करोड़ रुपये का ही एलोकेशन साल में होता था। माननीय मोदी जी ने ओडिशा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया। पहले ओडिशा में साल में 40-50 किलोमीटर की नई पटरियां बिछती थीं और अब 450 किलोमीटर की नई पटरियां बिछ रही हैं।

माननीय सदस्य ने खुर्दा-बलांगीर प्रोजेक्ट की बात कही है, माननीय मोदी जी से पहले की सरकारें इन प्रोजेक्ट्स के लिए केवल लिप सर्विस करती थीं और कुल मिलाकर केवल दस या पांच करोड़ रुपये मिलते थे। आज देखिए, बलांगीर की साइड से हो या खुर्दा की साइड से हो, दोनों तरफ तेजी से काम चल रहा है और एक आनंद की परिस्थिति है कि वैस्ट कोस्ट को जोड़ने के लिए ओडिशा के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वह सच्चाई में परिवर्तित हो रहा है।

श्री अरूण कुमार सागर : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद शाहजहांपुर से फर्रूखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, खुटार, मैलानी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है।

नई रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वीकृत की गई फरुखाबाद-मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन करेंगे? धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, यह स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल माननीय सांसद कभी भी मेरे साथ बैठकर ले सकते हैं।

श्रीमती संगीता आजाद : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आजमगढ़ वाराणसी वाया लालगंज होते हुए आजमगढ़-गोरखपुर तक की नई रेलवे लाइन के सर्वे के लिए बजट वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्रालय द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस सर्वे का क्या रिजल्ट आया है तथा इस सर्वे का कार्य कहां तक पूरा हुआ है? बनारस, लालगंज, आजमगढ़ से गोरखपुर तक की नई रेल लाइन का काम कब पूरा हो पाएगा और लालगंज में जो सब स्टेशन बनाना है, उसे सरकार कब तक पास करेगी? क्या मंत्री जी इसका जवाब दे पाएंगे? इसके साथ मेरा एक और प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप एक ही प्रश्न पूछें।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें लंबे समय तक विकास के बजाय कुछ और ही होता था। अब परिस्थितियां ऐसी आई हैं कि आजमगढ़ को वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा तेजी से काम हो रहा है। सांसद महोदया ने जिस प्रोजेक्ट की बात की है, टॉप प्रायॉरिटी पर उसके सर्वे का काम चल रहा है।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Sir, thank you for allowing me to ask my supplementary. The hon. Railway Minister has done an extraordinary work for Narasapur regarding doubling of lines and electrification. But because of doubling and increase of traffic, we are facing problems regarding the traffic movement at the railway gates. There has been stoppage for more than 45

minutes. I hope the hon. Minister would have got the request for a few more ROBs to control the movement.

Another request is regarding the Kotipalli – Narasapur Railway line. The line has been pending, which the hon. Minister is aware of, for the last 20 years. After the hon. Minister took over, there is good development. But because of some paucity of fund, there is a problem. I would request him to work out a way. If you can give some instalments, I think, that line can be completed which has been pending, which has been the dream of the former hon. Speaker Mr. Balayogi. I hope that you can fulfil it.

Finally, some trains are ready for launch but because of some VIP inauguration, it is pending. Virtually, if the hon. Minister can start that, I would be grateful. Thank you, Sir.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, the construction of flyovers and underpasses has really picked up a very good pace. Last year, we completed more than 1000 flyovers and underpasses in the entire Railway system. This momentum will help so many areas which the hon. Member has alluded to.

The second point that the hon. Member has said relates to the State Government's contribution. We have actually requested many State Governments that if the one lakh crore rupees fund which is being given by the Central Government for development of infrastructure can be used for development of Railways, it will be a very big saving for both the Central Government and the State Government.

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल रेलवे में सबसे बड़ा हर्डल कसाराघाट है । आजादी के 75 सालों बाद भी आज हम लोग वन इज टू थर्टी सेवेन ग्रेडिएंट पर चलते हैं। सब गाड़ियां वहां पर रुकती हैं और बैंकर्स लगाने पड़ते हैं। सेंट्रल से लगभग डेढ़ सौ गाड़ियां यानी एक्सप्रेस ट्रेनें और मालगाड़ियां चलती हैं। उसमें रेलवे का पैसा भी जाता है और लोगों का टाइम भी जाता है। आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी जो चौथी और पांचवीं लाइन का सर्वे चल रहा है, उस घाट में जो ग्रेडिएंट है, उसे कम करने का क्या कोई प्लान रेलवे करेगी?

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ दूसरी जो नासिक-पुणे रेलवे लाइन है, उसका करेक्टेड डीपीआर अभी दो दिन पहले ही यहां पर आया है, उसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और उस पर कब काम शुरू होगा? धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, कसारा घाट देश के सबसे स्टीप रेलवे सेक्शन्स में से एक है। सबसे ज्यादा जिसमें चढ़ाई है, उनमें से एक कसारा घाट है। … (व्यवधान) इसलिए, जो थर्ड और फोर्थ लाइन बनाई जा रही है, उसमें इस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि जो वन इन टू 37 की ग्रेडिएंट है, वह कम होकर वन इन टू 40 या वन इन टू 60 के आस-पास रह जाए। उस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। … (व्यवधान) उसका कम्प्लीट सर्वे और डिजाइन वर्क चल रहा है।

इसके साथ-साथ माननीय सांसद ने जो पुणे-नासिक रेलवे लाइन की बात की है, पुणे-नासिक के बारे में भी बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम कृपाल यादव जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री थोमस चाज़िकाडन, श्रीमती कविता सिंह और श्री विजय कुमार को चेतावनी देता हूं कि कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठें, प्लेकार्ड्स लेकर नहीं आएं।

… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 247 to 254 and 257 to 260
Unstarred Question Nos. 2761 to 2764, 2766 to 2771, 2774, 2775, 2777 to 2779, 2781 to 2785, 2787, 2788, 2790, 2792 to 2802, 2805, 2807 to 2810, 2812 to 2820, 2822, 2824 to 2827, 2830, 2833 to 2844, 2846, 2848 to 2857, 2860 to 2863, 2865 to 2875, 2877, 2878, 2880, 2882, 2886, 2887, 2889 to 2897, 2899 to 2909, 2911, 2913, 2914, 2916 to 2918, 2920 to 2923, 2925 to 2936, 2938 to 2944, 2946 to 2948, 2950 to 2953, 2956, 2958 to 2961, 2963 to 2968, 2971 to 2982, 2985, 2986, 2988 to 2990)
(Page No. 25 to 515)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.26 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

<u>12.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10668/17/23]

(2) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10669/17/23]

(3) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10670/17/23]

(4) (एक) मुम्बई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग-मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग-मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10671/17/23]

(5) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10672/17/23]

(6) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10673/17/23]

(7) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी बंगलोर, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी बंगलोर, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10674/17/23]

(8) (एक) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10675/17/23]

(10) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10676/17/23]

(11) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10677/17/23]

(12) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022- 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10678/17/23]

(13) (एक) प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10679/17/23]

(14) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10680/17/23]

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10681/17/23]

(16) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10682/17/23]

(17) (एक) कन्सलटेंसी डेवपलमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेंसी डेवपलमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10683/17/23]

(19) (एक) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10684/17/23]

(20) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10685/17/23]

(21) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10686/17/23]

(22) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10687/17/23]

(23) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10688/17/23]

(24) (एक) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10689/17/23]

(25) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10690/17/23]

(26) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10691/17/23]

(27) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10692/17/23]

(28) (एक) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10693/17/23]

(29) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10694/17/23]

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10695/17/23]

(31) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10696/17/23]

(32) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10697/17/23]

(33) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10698/17/23]

(34) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10699/17/23]

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आईआरईएल लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईआरईएल लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10700/17/23]

(ख) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10701/17/23]

(ग) (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10702/17/23]

(घ) (एक) इंडियन वैक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10703/17/23]

(ङ.) (एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10704/17/23]

(च) (एक) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10705/17/23]

(छ) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10706/17/23]

(36) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10707/17/23]

<u>12.01½ hrs</u>

At this stage, Adv. A. M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10708/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2023, जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020, जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10709/17/23]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 सितम्बर,

2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4221(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4826(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 10710/17/23]

(3) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. का.आ. 4128(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अक्टूबर, 2023 के प्रथम दिवस को उस तारीख के रूप में नियत किया गया जिस दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक यह

क्रम संख्या 40 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसकी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[Placed in Library, See No. LT 10711/17/23]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10712/17/23]

(6) (एक) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10713/17/23]

(7) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10714/17/23]

(9) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10715/17/23]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनएलसी इण्डिया लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएलसी इण्डिया लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10716/17/23]

(ख) (एक) नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10717/17/23]

(ग) (एक) एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10718/17/23]

(घ) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज के वर्ष 2022- 2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10719/17/23]

(ड.) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10720/17/23]

(च) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता, और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता, और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक, खंड दो भाग एक –, दो और तीन) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10721/17/23]

(छ) (एक) मिनरल एक्स्प्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन), नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्स्प्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन), नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10722/17/23]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेकैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10723/17/23]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवेलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर, के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवेलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10724/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10725/17/23]

(2) केंद्रीय भंडारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10726/17/23]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक ज़ोन (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10727/17/23]

(2) (एक) ईओयू और एसईज़ेड हेतु निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईओयू और एसईज़ेड हेतु निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10728/17/23]

(3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10729/17/23]

(4) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10730/17/23]

(5) (एक) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10731/17/23]

(6) (एक) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10732/17/23]

(7) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 10733/17/23]

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10734/17/23]

(9) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10735/17/23]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10736/17/23]

(11) (एक) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10737/17/23]

(12) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10738/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Materials for Electronics Technology, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Materials for Electronics Technology, Pune, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10739/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10740/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10741/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Education & Research Network of India, Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Education & Research Network of India, Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10742/17/23]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10743/17/23]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits, and Services) Act, 2016:-

(i) The Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Amendment Regulations, 2023, published in Notification No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2023.

(ii) The Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2023,

published in Notification No. F.No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E). in Gazette of India dated 26th September, 2023.

(iii) The Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Regulations, 2023, published in Notification No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II-HQ(E) in Gazette of India dated 26th September, 2023.

(iv) The Aadhaar (Enrolment and Update) Amendment Regulations, 2023, published in Notification No. F.No. HQ-21026/1/2022-LEGAL-HQ(E) in Gazette of India dated 29th September, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10744/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10745/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10746/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10747/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10748/17/23]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council,

Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10749/17/23]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10750/17/23]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-

(i) G.S.R.02(E) published in Gazette of India dated 2nd January, 2023 notifying nomination of the officer, mentioned therein, to serve as member of Central Silk Board for a period of three years from the date of publication of the notification, subject to provisions of the Act.

(ii) S.O.3381(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2023 notifying nomination of the members of Lok Sabha, mentioned therein, having been duly elected to be members

of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 19.12.2022 or till completion of their term in Lok Sabha, whichever is earlier, subject to provisions of the Act.

(iii) S.O.3860(E) published in Gazette of India dated 1st September, 2023 notifying nomination of the member of Rajya Sabha, mentioned therein, having been duly elected to be members of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 10.08.2023 or till completion of their term in Rajya Sabha, whichever is earlier, subject to provisions of the Act.

(iv) S.O.4878(E) published in Gazette of India dated 9th November, 2023 notifying nomination of the person, mentioned therein, to serve as member of Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 16.10.2023 or till he holds office, whichever is earlier, subject to provisions of the Act.

(v) S.O.5001(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2023 notifying nomination of the person, mentioned therein, to serve as member of Central Silk Board for a period of three years from the date of the notification, subject to provisions of the Act.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item no. (i) of (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10751/17/23]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Art Silk Mills' Research Association (Sasmira), Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Art Silk Mills' Research Association (Sasmira), Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10752/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10753/17/23]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10754/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10755/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10756/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10757/17/23]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10758/17/23]

(6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design Haryana, Kurukshetra, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 10759/17/23]

(8) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design Madhya Pradesh, Bhopal, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 10760/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10761/17/23]

12.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am

directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th December, 2023 agreed without any amendment to the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2023."

12.03½ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

160th to 169th Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वस्त्र समिति, मुंबई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 160वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 161वां प्रतिवेदन।

(3) विनिधानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 162वां प्रतिवेदन।

(4) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 121वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 163वां प्रतिवेदन।

(5) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित

लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 122वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 164वां प्रतिवेदन।

(6) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(7) समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 167वां प्रतिवेदन।

(9) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 144वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 168वां प्रतिवेदन।

(10) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओईआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में

समिति के 100वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 169वां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए। जब बिल पर चर्चा होगी, तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर – 14.

श्री सुरेश पुजारी जी।

… (व्यवधान)

12.04 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

35th to 37th Reports

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:-

(1) Thirty-fifth Report on Infirmity in the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Amendment Regulations, 2022 [S.O. 753(E)] of the Ministry of Housing & Urban Affairs.

(2) Thirty-sixth Report on Infirmities in the Indian Museum, Kolkata Group ‘A’ and ‘B’ Recruitment Rules, 2022 [GSR 209(E)] of the Ministry of Culture.

(3) Thirty-seventh Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twelfth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha).

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर – 15, श्री चुन्नीलाल साहू जी ।

… (व्यवधान)

12.04½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

28th and 29th Reports

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिपपणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन (बीवीएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)' में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिपपणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

42nd to 46th Reports

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Defence:-

(1) Forty-second Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on the subject ‘A review of working of Defence Research and Development Organisation (DRDO)’.

(2) Forty-third Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-fifth Report (17th Lok Sabha) on ‘Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24 on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension (Demand Nos. 19 and 22)’.

(3) Forty-fourth Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-sixth Report (17th Lok Sabha) on ‘Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24

on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik Schools (Demand Nos. 20 and 21)’.

(4) Forty-fifth Report (17^{th} Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-seventh Report (17^{th} Lok Sabha) on ‘Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21)’.

(5) Forty-sixth Report (17^{th} Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-eighth Report (17^{th} Lok Sabha) on ‘Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2023-24 on Directorate of Ordnance (Coordination and Services)–New DPSUs, Defence Research and Development Organisation and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 and 21)’

… (*Interruptions*)

12.05½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

27th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twenty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'India's Engagement with G20 Countries'.

… (*Interruptions*)

<u>12.06 hrs</u>

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

(i) 23rd Report

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं 'कच्चे तेल के आयात संबंधी नीति की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति (2023-24) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

… (व्यवधान)

(ii) Statements

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'अनुदानों की मांगें 2023-24' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) ‘सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तेल संस्थापनाओं की सुरक्षा और संरक्षा- बाघजान विस्फोट दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में’ विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

… (व्यवधान)

12.06½ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

52nd Report

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ‘राष्ट्रीय बाल श्रम नीति – एक मूल्यांकन’ के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 52वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

… (व्यवधान)

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

324th Report

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का संवर्धन' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 324वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

… (व्यवधान)

12.07½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, on behalf of Shri Ashwini Vaishnaw, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

… (Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10658/17/23.

12.08 hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 376th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 89) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 376th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 89) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10659/17/23.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 383rd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 376th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 383rd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 376th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10660/17/23.

12.08½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10661/17/23.

12.09 hrs

(iv) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Mines*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Mines*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10662/17/23 and 10663/17/23 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 31st Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on "Development of Aluminium and Copper Industries in the Country" pertaining to the Ministry of Mines*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्युमिनियम और तांबा उद्योग का विकास' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Mines*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10664/17/23 and 10665/17/23 respectively.

12.10 hrs

(v) Status of implementation of the recommendations / observations (Hindi and English versions) contained in the 177th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 171st Report of the Committee on "Issues Affecting the Indian Tea Industry especially in Darjeeling Region" pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 177th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 171st Report of the Committee on 'Issues Affecting the Indian Tea Industry especially in Darjeeling Region' pertaining to the Department Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10666/17/23.

12.11 hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Textiles *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Textiles.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10667/17/23.

12.12 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Regarding construction of Ankaleshwar-Burhanpur National highway project

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): NH-753 B which connects Ankaleshwar in Gujarat with Burhanpur in Madhya Pradesh traverses through 3 states of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. National Highway 753-B passes through 4 talukas of my Parliamentary constituency of Nandurbar-namely Akkalkuwa, Taloda, Shahad and Shirpur. The stretch of NH-753B passing through my constituency was declared as a National Highway in 2021 and the Detailed Project Report for the same has also been prepared. However, there has been an inordinate delay in the completion of this highway which has immense potential of transforming my Lok Sabha constituency of Nandurbar. Since this project connects three major states of India, its timely completion will result in better connectivity, increase in tourism and overall economic development. Due to repeated delay in completion of the National Highway and dilapidated condition of roads there have been cases of accidents resulting in loss of life and property. I request the Government that in

* Treated as laid on the Table.

order to provide relief and better connectivity to the people of my Parliamentary Constituency, the Government should prepare a time bound plan for construction of Ankaleshwar Burhanpur highway at the earliest since it will have a multifold impact on the economic and social development of Nandurbar Parliamentary Constituency which has a major tribal population and ranks low on Human Development Index.

(ii) Need to give ownership rights of the forest lands cultivated by tribals

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): देश के फॉरेस्ट एरिया में जिन आदिवासियों का वन भूमि के पट्टों पर अपना कब्जा था, ऐसे हजारों आदिवासियों को सरकार ने जमीन का अधिकार दिलवाया है और अधिकार पत्र भी दे दिए हैं। ऐसे कई आदिवासियों का वन भूमि पर कब्जा है, जो वहां खेती कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि जिन आदिवासियों का वन भूमि पर कब्जा है ऐसे लोगों को तत्काल उनकी जमीन के पट्टे दे दिए जाएं और उनके नाम पर उसे जमीन की रजिस्ट्री करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

(iii) Regarding alleged pilferage of foodgrains in West Bengal

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I would like to draw the kind attention of the Government towards a matter of grave concern, one that strikes at the very core of our commitment to social justice - the misappropriation of essential goods. In October, nearly 30% of the PDS ration meant for beneficiaries in West Bengal was diverted to the open market. The PDS is meant for distribution of food and non-food items to India's poor at subsidized rates. This is not just the 1st time, in 2022, at least 37 ration dealers were arrested while the licenses of 42 others were suspended in the State for their alleged involvement in misappropriation of PDS commodities. The repercussions of such malpractices are far-reaching, affecting the very individuals for whom these schemes are designed - the underprivileged. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to look closely at such incidents of pilferage of food grains and take decisive actions against the perpetrators. It is crucial that stringent measures are implemented to discourage further occurrences.

(iv) Need to expedite tender process for establishment of medical college in Gondia district, Maharashtra

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सार्थक प्रयास से मेरे लोकसभा क्षेत्र भंडारा-गोंदिया के अंतरगत कुडवा, जिल्हा गोंदिया में जल्दी ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक सरकारी मेडिकल कॉलेज, गोंदिया के लिए निविदा प्रकिया को महाराष्ट्र राज्य द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है जिसके कारण इस अति महत्वपूर्ण प्रकल्प में विलम्ब हो रहा है। मेरा माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे महाराष्ट्र राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी बात करके सरकारी मेडिकल कॉलेज, गोंदिया के लिए निविदा प्रकिया को अंतिम रूप देने और मेरे संसदीय क्षेत्र भंडारा-गोंदिया में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास अपने शुभ हाथो से करने की कृपा करें।

(v) Regarding establishment of courts for dealing with specialized subjects

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): हमारा देश विश्व में अब सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमारे देश की न्यायपालिकाओं में स्वाभाविक है कि करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी। वर्तमान में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 4 करोड़ 50 लाख है। जहाँ न्यायालयों में न केवल मुकदमों की संख्या बढ़ रही है बल्कि नए-नए प्रकार के मुकदमे भी आ रहे हैं। आर्थिक अपराधों के साथ-साथ "साइबर क्राइम", महिला अपराधों तथा विशेष विषय प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विषय विशेषज्ञता के अभाव में न केवल केस लंबित रहता है, वहीं गुणवत्ता पूर्वक फैसले भी नहीं आ पाते हैं। आज चिकित्सा, अभियांत्रीकी आदि सभी क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी स्थिति नहीं है। यदि मेडिकल से सम्बन्धित प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज व वकील दोनों को ही बहुत अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें समय व गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। अतः मेरा माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि अन्य विशेष प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विषय विशेष कोर्टों, विशेषज्ञ सरकारी वकील व विशेषज्ञ कोर्ट स्टाफ की भरती की जाए, ताकि न केवल प्रकरणों का जल्दी फैसला हो बल्कि गुणवत्ता पूर्वक न्याय मिलना आसान हो पाए।

(vi) Need to frame a national policy for impounded vehicles kept in police stations for violation of traffic rules

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): देश के थानों में जब भी कोई एक्सीडेंट का मामला दर्ज होता है तो व्यक्ति के साथ साथ उसके वाहन को भी जब्त करके उसे थानों में जमा कर दिया जाता है। देश भर के हजारों धानों में इस प्रकार के लाखों वाहन वहाँ पर पड़े पड़े सड़ रहें हैं और इस प्रकार से देश की बहुत बड़ी संपत्ति बर्बाद हो रही है। इस प्रकार के वाहनों की देखभाल पर सरकार का लाखों रुपये नियमित तौर पर खर्च होते हैं। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है परंतु इसमे किसी भी वाहन की कोई गलती नहीं होती है, फिर क्यूँ उसे एक मानव के अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि थानों में जब्त किए गए वाहनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाएं कि जब्त वाहनों के मामलों में वाहन को उसके बीमित मूल्य के समान राशि को सरकार के खजाने मे दंड स्वरूप जमा करके उस वाहन को छोड़ देना चाहिये। इससे सरकार देश के बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी से बचकर, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी। इसलिए मै सरकार से इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करता हूँ।

(vii) Need to expedite the work of PM MITRA Park in Misrikh, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 अक्टूबर 2021 में पीएम मित्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 7 इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके लिए में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इसमें हरदोई और लखनऊ के बीच में सीमा पर इस योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका लगभग 40% हिस्सा मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रित के अंतर्गत भी आता है, जिसका 18 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया था।

इस पीएम मित्र पार्क का कुल क्षेत्रफल 1,000 एकड़ है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और इसे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद है। लेकिन, उपरोक्त पीएम मित्र पार्क का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त पीएम मित्र योजना का कार्य तीव्र गति से पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए जिससे क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ शीघ्रता से मिल सके।

(viii) Regarding establishment of a Thermal Power Plant in Salempur Parliamentary Constituency

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): देश के यशश्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व ऊर्जा मंत्री जी के अथक प्रयासों से आज देश के लगभग हर गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। मेरी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिम बिहार में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया-सलेमपुर में एक 5600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आवश्कता है। देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र में लगभग 1500 एकड़ भूमि उपलब्ध है। संसदीय क्षेत्र देवरिया-सलेमपुर थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के सभी मानकों को पूरा करता है तथा यहां पर बारहमासी गंडक नदी जल स्रोत के रूप में तथा प्रचुर मात्रा में कोयले की आपूर्ति हेतु रेल मार्ग भटनी रेलवे स्टेशन एवं सड़क मार्ग की उपलब्धता है तथा 80 किलोमीटर दूर गोरखपुर हवाई अड्डा एवं 60 किलोमीटर दूर कुशीनगर एयरपोर्ट मौजूद है। अतः मेरी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग है कि क्षेत्रवासियों को 24 घंटों बिजली की आवश्कता को पूर्ण करने के लिए अतिमहत्वपूर्ण थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करवाने की कृपा प्रदान करें।

(ix) Need for a new railway stadium with training facilities in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र, मालदा उत्तर (कटिहार डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे) में ड्रेसिंग रूम, उचित प्रशिक्षण सुविधाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नए रेलवे स्टेडियम की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कालाचंद हाई स्कूल फील्ड और साहपुर शांतिपुर फील्ड में जो क्रमशः ओल्ड मालदा रेलवे स्टेशन और मालदा कोर्ट रेलवे स्टेशन के करीब स्थित हैं। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का विकास स्थानीय युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने के अलावा समुदाय के समग्र विकास में योगदान देगा। ऐसे बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति भावी पीढ़ियों की संभावनाओं को सीमित कर देती है और उन्हें पर्याप्त खेल सुविधाओं से वंचित रखती है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार करें और मालदह उत्तर में रहने वाले लोगों के जीवन और अवसरों को बेहतर बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण के लिए उचित कार्रवाई करें।

(x) Regarding remedial measures to ensure completion of stalled housing projects in NOIDA/Greater NOIDA

SHRI BHOLA SINGH (BULANDSHAHR): The Government had constituted a committee on Rehabilitation of Legacy Stalled Real Estate Projects under chairmanship of Amitabh Kant which has submitted its report. The main recommendations of the committee were for the State Governments for setting-up a rehabilitation package to get the stalled projects running again. The committee’s report estimates that 4.12 lakh dwelling units of Rs.4.08 lakh crore were “stressed” and about 2.40 lakh were in the NCR. It urges the Government to prepare a detailed scheme for using SWAMIH Fund to proactively finance the stalled projects and the requirement of minimum Internal Rate of Return and first charge in the SWAMIH fund should be reworked. In view of 2.40 lakh stalled dwelling units in NCR, mostly from Greater Noida, I request Government to expedite the resolution process so that construction work may be started at the earliest and the dream of their own home for lakh of homebuyers may be fulfilled. I request Government to instruct NOIDA/GNIDA Authorities to slash their dues and waive off all interest on defaulter builders to make viable such stalled housing projects and take remedial steps including facilities to new entities who are coming forward for completing the stalled housing projects in Greater Noida West.

(xi) Regarding establishment of Sainik School at Siddharthnagar in Domariyaganj Parliamentary Constituency

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र डुमरियागंज में सिद्धार्थनगर में सैनिक स्कूल की स्थापना की लंबित मांग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सिद्धार्थनगर में सैनिक स्कूल की स्थापना से न केवल सिद्धार्थनगर का विकास होगा बल्कि साथ ही साथ भारत-नेपाल रिश्तों के लिए भी एक अभूतपूर्व कदम होगा। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 570 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, उसमे से एक लंबी सीमा सिद्धार्थनगर से गुजरती है। जिससे हमारे पड़ोसी देश के साथ सिद्धार्थनगर गहरे रूप से संबंधित हैं। हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूलों को Public Private Partnership आधार पर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति हमें नए दृष्टिकोण से स्थानीय समुदायों को सकारात्मक रूप से संबोधित करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कुछ वर्षों पहले प्रदेश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की मांग की थी और इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक अनुरोध पत्र भेजा था। इस अनुरोध का उद्दीपन करते हुए, हमें यह आशा है कि सिद्धार्थनगर में सैनिक स्कूल की स्थापना से हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

(xii) Regarding development of sports infrastructure at district and block levels in the country

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): भारत के ग्रामों, शहरों एवं महानगरों में युवा वर्ग खेलों एवं व्यायाम के प्रति जागरूक है एवं अपने स्तर पर वह सार्थक प्रयास करता है। प्राय: यह देखा गया है कि युवा वर्ग खेलों एवं शारीरिक व्यायाम के प्रति रुचि होने के बावजूद भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश तथा विभागीय वेबसाइट नहीं होने से सही मार्गदर्शन एवं जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंचने से वंचित रहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, युवा कार्यक्रम और खेल से अनुरोध करता हूं कि राज्यों में युवाओं को खेलों व शारीरिक व्यायाम के प्रति लगाव के लिए प्रत्येक संभाग स्तर / जिले स्तर एवं विकासखंड स्तर पर चरणबद्ध तरीके से खेल परिसर/ एनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की योजना आरंभ होना चाहिए ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेल एवं शारीरिक व्यायाम के प्रति रुचि जागरूक हो सके साथ ही इनका पंजीयन एवं प्रशिक्षण केंद्रो को वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए, जिससे देश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इनकी पहचान बन सके एवं भारत को अच्छे युवा खिलाड़ी मिल सके।

(xiii) Regarding development of disabled-friendly infrastructure in every railway station of the country

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): हमारी सरकार की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकिन यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों को disabled friendly infrastructure मिलेगा। सरकार ने सुगम भारत अभियान और Rights of Persons with Disability Act 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयास किये है लेकिन आज पूरे देश में 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन में से 80 से 90 प्रतिशत स्टेशन में disabled friendly infrastructure जैसे lift का अभाव है जो 2016 के एक्ट और disability convention में हमारे obligations का उल्लंघन है। इसके कारण प्रतिदिन हमारे दिव्यांग भाई बहन रेलवे का सफर करने में असमर्थ होते है क्योंकि न रैम्पस होते है न लिफ्ट और उसके अतिरिक्त उनको सहायता करने के लिए रेलवे का कोई कर्मचारी भी उपस्थित नहीं होता और यह 2016 के कानून की धारा 45 का भी उल्लंघन है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अमृत भारत योजना दिशानिर्देशों में संशोधन करके disabled friendly infrastructure का प्रावधान किया जाए और station redevelopment के माध्यम से अगले एक वर्ष के अंदर देश के सभी रेलवे स्टेशन को disabled friendly बनाए जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

(xiv) Regarding establishment of AIIMS in North Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): North Bengal comprises 8 districts out of the 23 districts of West Bengal Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar, North Dinajpur, South Dinajpur and Malda. Our region is home to around 3 crore people. Majority of the people are dependent on working for the tea estates, cinchona or are engaged in farming for their sustenance. The average monthly income of a family in our region is only around Rs 7000 per month. Due to low income, people here cannot afford treatment in private hospitals Government run facilities are inadequately staffed, and lack even the most basic equipment. Most of the hospitals, especially in hilly region offer only referral service – every patient is referred to hospitals in the plains. Hundreds of patients from our region die, due to the lack of proper healthcare facility. Patients who need specialized care like pregnant women and children are dying due to lack of proper facilities. Central Government had earlier granted funds for the establishment of AIIMS, but it was taken to South Bengal. Our region and people continue to suffer due to lack of health facilities. In the given circumstances, there is an urgent need to establish AIIMS in North Bengal.

(xv) Regarding adoption of Tamil as language of the Madras High Court

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): In addressing a query posed in the Rajya Sabha on 09.02.2023, the Union Law Minister has conveyed that the Cabinet Committee's decision of 21.05.1965 underscored the importance of securing the Chief Justice of India's consent for proposals concerning languages in the High Court. The President possesses the authority to either approve or disapprove. The Constitution does not empower the Supreme Court to reject such requests. Article 348 (1) specifies that proceedings in the Supreme Court and High Courts shall be conducted in English unless altered by parliamentary legislation. Furthermore, Article 348 (2) empowers Governors, with the President's endorsement, to sanction Hindi or another language for use in the High Court of their respective states. The Official Language Act allows for High Court proceedings in the State Language, contingent upon the President's approval (Article 7). It's worth noting that several Indian states, including Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and West Bengal have already operated with their State Languages as the language of their High Courts, without Constitutional Amendments. In light of this, we earnestly request the revocation of the 1965 Cabinet Committee decision and the formal adoption of Tamil as the language of the Madras High Court.

(xvi) Need to provide stoppage of Vande Bharat Express (Train No. 20833-34) at Tadepalligudem railway station

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Railways regarding Vande Bharat Express Train having the best modern safety Kavach system along with wide range of modern features and amenities running between Secunderabad and Visakhapatnam stations in Andhra Pradesh. Presently, this train is having 4 stops at Rajahmundry, Vijayawada in Andhra Pradesh and Khammam and Warangal in Telangana. Tadepalligudem in Andhra Pradesh is an important place well-known for commercial and industrial activities, surrounded with 4 municipalities in the district and is also well-connected with many historical and tourism places. Keeping in view its importance, I request the Government to kindly consider for providing an additional stoppage to train No.20833/34 Vande Bharat Express Train at Tadepalligudem railway station which will fetch a considerable revenue to the railways.

(xvii) Regarding grant of old pension scheme

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): The Central Government launched the NPS for the Government employees who were recruited on or after 2004 and EPS 95 for PSUs and Private Sector. Initially In the case of EPS-95, pension was permissible to the employees whose basic pay was less than Rs 5000 but later on the Government went on relaxing the limit of basic pay and finally the limit of basic was removed by the Supreme Court, even then the workers were unhappy because they were getting a meagre sum of Rs 1250 to 3000 per month as pension. Supreme Court further ordered the Government to increase the pension way back in 2016 but the Government did not implement this decision. Similarly, in the case of NPS also the employees receive the pension to the tune of Rs 3000 pm and hence there is a commotion among these employees. Hence, I request the Government of India to bring every Government employee under Old Pension Scheme and others be granted the pension under EPS-95 as per the directives of the Hon'ble Supreme Court at the earliest please.

(xviii) Regarding Gopalpur-Rayagada Railway Project

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): I wish to draw the attention of the Government towards the ambitious Gopalpur – Rayagada railway project which has been confined to survey only. About 12 years have passed since the survey for the Gopalpur-Rayagada railway project was conducted. A private agency was awarded survey work who submitted its report to the Railway Ministry in time. About Rs 4 crore was spent for the project. The project has been stuck in a stalemate. In 2012, the Planning Commission had approved its cost estimate. The railway project was expected to pave the way for connectivity to various hot spring tourist point of South Odisha i.e. Tapta Pani and Tribal areas like Mohana, Adava, Raipanka, Digapanhandhi, Bhismagiri and so many other tribal dominated areas which have so far not seen Indian Railway since Independence. Significantly, it would provide cargo transportation to the products of Nalco, Utkal Alumina and various Industries of this area to Gopalpur port and from there these products would be exported. It would also help in commercial performance of the Gopalpur port. I request the Hon'ble Minister of Railways to reconsider Gopalpur – Rayagada Railway Project since it will not only push economic progress but also ease movement of passengers in this region.

(xix) Regarding setting up of a medical college in Shravasti district of Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र व विश्व प्रसिद्ध एतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल का तक सबसे अधिक 24 से 25 वर्षा तक व्यतीत किया और धम्म परिवर्तन और विश्व शांति का उपदेश दिया था। इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देखने के लिए देश के कोने-कोने से और विदेशों से भी लाखों पर्यटक व बौद्ध अनुयाई प्रतिवर्ष श्रावस्ती आते हैं। यह जिला आकांक्षी जिलों के श्रेणी में आता है । यहां आज भी स्वास्थ व मेडिकल शिक्षा की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्षेत्र की गरीब जनता गंभीर विमारियों के इलाज के लिए दूसरे जनपद गोरखपुर लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें प्राईवेट हास्पिटल में इलाज कराने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और प्राईवेट हास्पिटल- वाले मनमाने तरीके से पैसा वसूल करते है । सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाए ताकि यहाँ की गरीब जनता को कम खर्च में व समय पर इलाज हो सके। जिससे गम्भीर बीमारियों से होने वाली असमय मौतों को रोका जा सके।

(xx) Regarding setting up of displacement and rehabilitation tribunal for displaced persons in Jharkhand

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): झारखंड राज्य में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। और वर्षों से झारखंड कोयला उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता आया है । इसकी वजह है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से झारखंड क्षेत्र में विभिन्न कोयला खदानों की स्थापना की गई और वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन पर खदान और प्रोजेक्ट चालू कर लोगों को विस्थापित कर दिया गया। और सही विस्थापित नीति नहीं होने के कारण आज भी झारखंड विस्थापन का दंश झेल रहा है। कहने को तो झारखंड में ख़ज़ाना है लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग आज भी गरीब है और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे है। झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन झारखंड में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है। माननीय कोयला मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि विस्थापितों के हक़ और अधिकार के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाया जाए।

(xxi) Regarding development of civic amenities in Sonia Vihar in North East Delhi Parliamentary Constituency

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मेरे संसदीय क्षेत्र की करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार क्षेत्र में जन सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण लगभग चार लाख से अधिक आबादी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इस संदर्भ में दिनांक 4 अगस्त 2022 को नियम 377 के तहत मैने सदन का ध्यान आकर्षित करवाया था, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार द्वारा माननीय शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से 17 मई 2023 को एक जवाब भी मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें ऐसी कॉलोनीयो में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 237 करोड़ 42 लख रुपए दिल्ली सरकार की एजेंसी डीएसआईआईडीसी को आवंटित किए गए थे, जिसमें सोनिया विहार का विकास कार्य भी शामिल था, लेकिन जन-सुविधाओं की स्थिति जस की तस है, और नाली, गली और सड़क नहीं बनाई गई है। मैं शहरी विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कि पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और सोनिया विहार के चार लाख से अधिक लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को आवंटित राशि का उपयोग सोनिया विहार में नागरिक सुविधा देने के लिए करने उचित निर्देश देने की कृपा करें ताकि जन सुविधाओं के घोर अभाव में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की स्थिति सुनिश्चित हो सके।

(xxii) Need to provide minimum wages to Anganwadi and ASHA workers/helpers and also extend Employees' State Insurance Scheme benefits to them

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): The Anganwadi Workers/Helpers play an important role in combating hunger and malnutrition among the children in our country. These workers are provided with monthly honorarium, and hence, are not eligible to avail minimum wages. Today, their life itself is in a very pathetic and miserable condition as they are paid low wages. They have been demanding to regularize their job, so that they can get a decent salary and the benefit of pension, health facilities, etc.

The Accredited Social Health Activists (ASHA) are working as frontline rural healthcare volunteers in the country. It is unfortunate that ASHA workers are getting very less payment for their selfless service.

Moreover, the services of these Anganwadi and ASHA Workers/Helpers are essentially more required in Aspirational districts and tribal areas like Bolangir where infant mortality and maternal mortality rates are high.

I urge upon the Government to provide Anganwadi and ASHA Workers/Helpers the minimum wages as applicable to skilled workers and to extend Employees' State Insurance Scheme benefits to them.

12.13 hrs

BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023 AND BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023*

HON. CHAIRPERSON: Further discussion on Item Nos. 29 to 31, Dr. Dubey ji.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। ये बड़े बिल्स हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों को इन बिल्स से राहत मिलने वाली है। ये बिल्स गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे, सभी को राहत पहुंचाने वाले हैं। इन बिल्स को सदन में लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हैं। उन्होंने 163 सालों बाद इन कानूनों को बदलने का फैसला किया है।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पाएंगे कि वहां एक बड़ा अच्छा वाक्य है – 'यतो धर्म: ततो जय:'। जहां धर्म है, वहीं विजय है। यह पार्लियामेंट, हमेशा जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी माननीय सांसद यहां चर्चा करने के लिए आते हैं।…(व्यवधान) इसके लिए वर्ष 2014 से, जब से मोदी जी, प्रधान मंत्री बने हैं, उनका एक मात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, इनके ऊपर कल काफी चर्चा हुई थी। अंग्रेजों ने इस देश को दो चीजें दीं। यह बड़ा विद्वान सदन है। इसके सभी माननीय सदस्य जानकार हैं। जहां से रविशंकर प्रसाद जी ने समाप्त किया, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इस देश को मैकाले ने दो चीजें दी। मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी, जिसमें हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे वे अंग्रेजों की गुलामी के लिए अक्षर, लिखा-पढ़ी कर सकते हैं।

---

* Further discussion on the motion for consideration of the Bills moved by Shri Amit Shah, on 19.12.2023.

एक वह शिक्षा पद्धति थी और एक यह 1860 का इंडियन पीनल कोड, जिसको हमने अभी भारतीय न्याय संहिता नाम दिया है ।... (व्यवधान) इसके ऊपर खूब चर्चा हुई । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस लोक सभा में दो बड़े काम किए । वर्ष 2019 से 2024 तक में एक बड़ा काम यह हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानियां थीं– मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसे खत्म करके नई शिक्षा पद्धति दी और वर्ष 1860 का जो इंडियन पीनल कोड था, उसको खत्म करने का फैसला किया ।... (व्यवधान) लेकिन मुझे दु:ख होता है कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा यह होती है कि यह इंडियन पीनल कोड था, यह सीआरपीसी था, आप इसको बदले लें ।... (व्यवधान) मुझे यह नहीं लगता कि जो भारत की सभ्यता, संस्कृति समझते हैं, उनको अपने ऊपर घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है । यहां पर जो सीआरपीसी, आईपीसी की बात चल रही है, इस देश में दो चीजें चलीं, जिनके आधार पर दंड मिलता था, न्याय मिलता था ।... (व्यवधान) वह याज्ञवल्क्य स्मृति थी, जिनको वेद में, अपने हिन्दू होने में, भारतीय होने में घमंड हो, याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसी थी, जिसमें दंड निर्धारित था । दूसरा, चाणक्य की अर्थ नीति थी, जिसमें दंड निर्धारित था ।... (व्यवधान) आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वे चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे हैं ।

सभापति महोदय, चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, क्योंकि आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे हैं । चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दीया और बाती अलग होती थी और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दीया और बाती अलग थी । इस तरह की भावना थी । माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे ।... (व्यवधान) उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरा लॉ यहां लागू था, वह किस तरह का था? वह यह कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा? जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? जो बीमार लोग हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा? हमने क्या किया कि जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी

सोच को कम्पलीट बदल दिया। कम्पलीट इसलिए बदल दिया कि हम अंग्रेजों की तो बात करते हैं कि वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत आए। अंग्रेजों का यह कानून है, अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन वर्ष 1526 में जो मुगल आए, उसके बारे में कभी याद करते हैं? छठी शताब्दी के बाद जो गुलाम वंश का हमारे ऊपर शासन हुआ, छठी शताब्दी के पहले यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। क्या छठी शताब्दी के पहले इस देश में कोई नियम, कानून लागू नहीं था? क्या इस शिक्षा पद्धति ने हमको अकबर, बाबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो हम अकबर, बाबर, मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग्स ही पढ़ते रहे। ... (व्यवधान) क्या हमने कभी पढ़ने की कोशिश की है कि किस तरह से याज्ञवल्क्य ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? चाणक्य की क्या थ्योरी थी? अशोका द ग्रेट हुआ तो उसने क्या किया? उसी तरह से उसके जो नियम, कानून थे, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है?

मैं आपको यह बता रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने 158 मीटिंग्स के अलावा हमारी ही सरकार, जिनको यह लगता है कि हमारी सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, बुल्डोज करती है, अपोजिशन को सामने नहीं देती।... (व्यवधान) मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार में ही इतना दम था कि जिस बिल को हमने यहां इंट्रोड्यूस किया और लगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद इसमें और भी चेंजेज की आवशकयता है। स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन्होंने जब कहा कि इस बिल को और बदलने की आवश्यकता है तो उस बिल को हमारी सरकार ने वापस लिया तथा एक नए बिल के साथ हम आए, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी रिकमंडेशंस थे, उनको हमने इनक्लूड किया।... (व्यवधान)

सर, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में गया तो 3 पुलिस अफसर – बृजलाल जी इस कमेटी के सभापति थे, कल आपने सत्यपाल जी और वीडी राम इन दो लोगों के भाषण को सुना कि इस एक्ट में क्या-क्या चेंज हुआ है और क्या-क्या अच्छी बात है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तीन लोग डीजीपी रहे हैं, बड़े अपराइट अफसर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। कल इनके भाषण को भी सुना और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में था तो उनको सुना था।

ये लोग यह कह रहे हैं कि पुलिस को अधिकार देना चाहिए। पुलिस के सामने जो एडमिशन लेते हैं, आप जो अपनी बात कहते हैं, उसको सेक्शन 164 का स्टेटमेंट माना जाए। लेकिन हमारी सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इतनी कमिटेड है कि उसका कहना है कि यह आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, हम पुलिस राज नहीं लागू कर सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे ये बातें अपने पुलिस के नज़रिए से बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत नज़रिए से बोलता हूँ।

मैं चुनाव में गया, यह बात सभी एमपीज को जानने वाली बात है। जब मैं वर्ष 2009 में चुनाव में गया, तो मेरे ऊपर या मेरे किसी भी परिवार के ऊपर, न नाना की तरफ से, न दादा की तरफ से, मेरे सात पुस्तों में एक भी केस नहीं था। लेकिन जब मैंने वर्ष 2009 में नॉमिनेशन फाइल किया, तो उस समय मैं कहता था कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, जिसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है। मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर मर्डर, ट्रीजन, लूट-मार, हत्या, चोरी, डकैती आदि के केस हैं। जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, यहाँ पर श्री वी.डी. राम साहब बैठे हुए हैं, ये तत्कालीन डीजीपी थे, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था। ये बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं। इनके ऊपर एक फिल्म- गंगाजल बन चुकी है। ये वर्ष 1980 में मेरे जिले के एस.पी. थे। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, उस दिन मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर धारा 307 का केस लगाया गया। मेरे ऊपर जो पहला केस आया, वह अटेम्प्ट टू मर्डर का आया। उल्टा मेरी ही गाड़ी जलाई गई, मेरी गाड़ी को आग लगा दिया गया, वहाँ पर एस.पी. खड़ा था। इसके बाद भी मैं धारा 307 का एक्युज्ड हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एमपीज और एमएलएज के लिए अलग कोर्ट है, वर्ष 2009 में, मेरे एक कार्यकर्ता को कहा गया कि यह बम बना रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। उसके ऊपर रोड जाम करने का केस है, वर्ष 2009 से लेकर आज वर्ष 2023 हो गया, मैं पिछले 14 साल से पुलिस से लड़ रहा हूँ।

देवघर में एक एससी, एसटी का केस है। जिस मैं अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड में मौजूद था, आप यह समझें कि उसके बाद भी यह कहा गया कि मैंने जाकर किसी को गाली दे दी।

क्या इस तरह के चेंजेज नहीं होने चाहिए? क्या ज़ीरो एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्या ई-एफआईआर नहीं होना चाहिए? पुलिस के उस अधिकार से आम लोगों को बचाने के लिए यदि इस एक्ट में, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने आमूल-चूल परिवर्तन किया है, तो क्या आम जनता को राहत देने के लिए नहीं किया है? जिस पुलिसिया राज में सांसद तक सुरक्षित नहीं है, जिस पुलिसिया राज में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तक सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें हम ऐसा पुलिस राज बना देंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे किसी दबाव में न आएं और पुलिसिया राज से मुक्त करने का बिल लेकर आएं।

"जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।"

यह विरोध क्यों है? पूरा अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से दो वीक तक संसद चलाता रहा। आज अपोजिशन के लोगों ने खुद ही यह निर्णय लिया कि मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी से निकालो। अभी भी ये जो तीन-चार लोग हैं, जिस तरह से ये लोग कागज़ फेंक रहे हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टियों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि इनको पता है कि मोदी है, तो मुमकिन है और मोदी इस तरह का काम करके चला जाएगा कि फिर इन लोगों के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं होगा।

कल ...* जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया। आज समझिए कि केवल लिप सर्विस किस तरह से कांग्रेस करती है और किस तरह का माहौल पैदा करती है। जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को हराया, योगेन्द्र मंडल जी को बांग्लादेश-पाकिस्तान भगा दिया, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज उसके लिए ...* नज़र आते हैं। उनको यह लगता है कि यदि यह बिल आ जाएगा, तो शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स को फायदा हो जाएगा। उनको यह लगता है कि कालेलकर कमेटी के बाद भी हमने ओबीसी रिज़र्वेशन नहीं दिया,

---

* Expunged as ordered by the Chair.

मंडल कमीशन के बाद भी ओबीसी रिज़र्वेशन नहीं दिया। ओबीसी के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी को बेइज्ज़त करके कांग्रेस से निकाल दिया, फिर भी ओबीसी जातिगत जनगणना की बात करेंगे, तो ये ओबीसी मूर्ख हैं। उनको लगता है कि जो बिल आ रहा है, इसमें ओबीसी को फायदा होगा, इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं।

मैं पार्लियामेंट की बात कहता हूँ। इनको सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय एविडेंस एक्ट में जो समस्या नज़र आ रही है कि इससे 130 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी।

मैं सारे लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं। चूंकि अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की जो उस दिन की घटना है, वह 27वीं घटना है। माननीय अध्यक्ष जी ने 17 घटनाओं का जिक्र किया है, दस घटनाओं का जिक्र मैं कर देता हूं। 1960 का सवाल हो, 1962 का सवाल हो, 1964 का सवाल हो, 1966 का सवाल हो, 1971 का सवाल हो, वहां से लेकर लगातार कांग्रेस के लोग …* करते रहे और कांग्रेस के लोग यहां …* आते रहे, …* आते रहे।

पार्लियामेंट में कभी भी, किसी भी अपोजीशन पार्टी हो, चाहे वह जनसंघ हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या उस वक्त की जनता दल हो, कभी किसी ने पार्लियामेंट रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि संसद का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको मैनेज करने का अधिकार केवल और केवल लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा सेक्रेटेरिएट को है। लोक सभा अध्यक्ष और लोक सभा सेक्रेटेरिएट पर इस सदन में कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन पहली बार ऐसा है, क्योंकि यह बिल आ रहा था और यह बिल आम गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित के सम्मान के लिए आ रहा था, इसलिए इस बिल को किसी तरह से नहीं पास करें, इसलिए यह विरोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है और जो मुद्दा नहीं है, उसे वह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। यह इसका कारण है।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

सर, मैंने नोट ऑफ डिसेंट देखा, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई । आप मानसिकता समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उसके अपोजीशन की क्या मानसिकता है? उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है । नोट ऑफ डिसेंट उन्होंने तीन-चार विषयों पर दिया है, इस बिल पर, जिससे आपको लगेगा कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक नोट ऑफ डिसेंट दिया कि यह जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य बिल है, यह हिंदी में है । नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, मतलब देश को बांटने के लिए, पाकिस्तान और भारत को बांटने के बाद भी आज उनको खुशी नहीं है कि भारत यूनाइटिड है, भारत मजबूत है और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है । यह उनको मंजूर नहीं है । उन्होंने कहा कि यह हिंदी में है ।

सर, आप यह समझें कि जो पुराना पार्लियामेंट है, जहां से अभी हम लोग नए पार्लियामेंट में आए हैं । जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो साउथ ब्लॉक है, सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की कि 'यतो धर्मस्ततो जय:' या जो राष्ट्रपति भवन है, ये सारी बिल्डिंग्स अंग्रेजों ने बनाईं, हमने नहीं बनाईं । आज हम भले ही नई बिल्डिंग में आ गए हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह नई बिल्डिंग दी है । मैं कांग्रेस के सारे मित्रों को चैलेंज करता हूं कि आप जाकर एक बार दोबारा पढ़िए । आप 70 सालों तक वहां गए होंगे, तो केवल पैसा कमाने के लिए गए होंगे, आपने देखा नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है? सभी बिल्डिंग्स में केवल और केवल संस्कृत के श्लोक हैं । एक भी अंग्रेजी का कोई वाक्य नहीं है, एक भी बाइबल का कोई वाक्य नहीं है, एक भी कुरान का कोई वाक्य नहीं है । क्या आप उस बिल्डिंग में जाकर नहीं बैठे?

हिंदी कौन सी मानसिकता है? आज आप समझिए कि जब पूजा होती है, यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, तो कोई भी पंडित हो, चाहे वह तमिल बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, मलयालम बोलने वाला है, भोजपुरी या कन्नड़ बोलने वाला हो, वे सभी संस्कृत में ही पूजा कराते हैं । यही मानसिकता है । उनको गुलामी की मानसिकता है, भूलने की मानसिकता है, जिसके ऊपर मैं कह रहा था कि यह देश मुगल काल से नहीं है, मुगलों या अंग्रेजों के आने के बाद

यह देश नहीं बना है। यह देश, चार वेद, 13 उपनिषद, रामायण और महाभारत, जो हजारों-हजार सालों से चले आ रहे हैं, उसी मानसिकता के साथ यदि आप बात करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जो विरोध आप कर रहे हैं, वह गलत विरोध कर रहे हैं।

सर, उनका दूसरा विरोध है कि लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? पोटा के कानून को आपने रोका। उसके आधार पर, उसके बाद आप यूएपीए लेकर आ गए, उसके बाद आपने एनआईए बना लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस देश में टेरिरिस्ट आ जाए, दाउद इब्राहिम बम विस्फोट करके चला जाए, लेकिन उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? आप कहेंगे कि अभी तक हमने छ: लोगों को ही फांसी दी है।

सर, कानून केवल भय दिखाता है। कानून बताता है कि यदि आप गलत काम करेंगे, तो आपको इतनी बड़ी सजा हो सकती है। इसमें कनविक्शन कितना हुआ, कितनी फांसी हुई, आतंकवाद के खिलाफ हमने जो यह बड़ा कानून बनाया है, हमने टेरिरिज़म को डिफाइन किया है, टेरिरिस्ट एक्टिविटीज को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है। मैं नोट ऑफ डिसेंट की एक और अच्छी बात बताता हूं। लोग कहते हैं, आप दिग्विजय सिंह का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, अधीर चौधरी जी का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, रवनीत बिट्टू का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, तीनों ने अलग-अलग नोट ऑफ डिसेंट दिया है। तीनों की लाइन, कोमा, फुलस्टॉप सब एक ही है। यदि तीनों की लाइन, कोमा, फुलस्टॉप एक ही था तो आप एक लेटर पर साइन कर देते, अधीर रंजन चौधरी के लेटर पर साइन कर देते। सब एक पर ही साइन कर देते, लेकिन सबको अपना नाम लेना है। यह विरोध की बात है।

इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि दूसरा उनका विरोध यह है कि जो आउटसाइड में लोग हैं, उनका कन्विक्शन कैसे होगा? अब दाउद इब्राहिम 1993 में बम विस्फोट करके चला गया, वह पाकिस्तान भाग गया। यदि वह हमारे यहाँ नहीं आ रहा है।… (व्यवधान)

सर, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि और भी बहुत सारे वक्ता इस पर बोलना चाहते हैं। यदि दाउद इब्राहिम नहीं आ रहा है, उसकी सम्पत्ति यहाँ पड़ी हुई

है, यदि उसने देश के खिलाफ विरोध किया, इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया, तो क्या आप उसकी सम्पत्ति जब्त नहीं करेंगे, क्या उसके ऊपर आपको फाँसी की सजा नहीं करनी है? इसके लिए वे विरोध करते हैं। यदि विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, यदि वह चला गया और हमारे यहाँ के बैंक को खाली, खोखला करके चला गया, आम लोगों को परेशान करके चला गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसे कन्विक्ट करें? यदि कहीं वह भाग गया तो उसको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए? सर, उसका विरोध है कि आप इस तरह का काम मत कीजिए, इससे एफडीआई नहीं आएगा, इससे चीजें नहीं आएंगी। मैं केवल कांग्रेस की मानसिकता बता रहा हूँ। इनकी हिन्दी के विरोध की मानसिकता है, इनकी टेरेरिस्ट मानसिकता है, आउटसाइड इंडिया में जो लोग रहते हैं, यह उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट में दिया है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ।

दूसरा सवाल है कि कई एक लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि यह सरकार ऐसी है, जो आम लोगों के लिए चिंतित है। हमारी तरफ से भी वक्ता काफी बोलते रहे कि एडल्टरेशन पर यह होना चाहिए, आन्दोलन पर यह होना चाहिए। कई एक्ट ऐसे हैं, जो स्पेशल एक्ट हैं। एडल्टरेशन का अलग से एक्ट है, उसमें फाँसी तक की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है। इसीलिए आईपीसी में यदि यह धारा इस तरह से है, तो इसमें आपको भारतीय न्याय संहिता में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

चौथा जो उनका विरोध है, जो मेन विरोध है कि पुराना ही बिल है, उसको कट, पेस्ट करके हमने डाल दिया। अब आप यह बतायें कि आजादी का यह 75वाँ साल है, हमसे पहले भी यहाँ सांसद होते रहे, इस पार्लियामेंट में किस तरह की चर्चा होती है। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए। उसी तरह से महिलाओं के ऊपर यदि जुर्म होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? गैंगरेप होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? टेरेरिज्म का मामला होगा तो क्या सजा होनी चाहिए? मैं आपको बताऊँ कि क्या कोई और भी अलग बातचीत हो सकती है? हो सकती है, ऑर्म्ड फोर्सेज के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एडल्ट्री के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हम 377 और एडल्ट्री के खिलाफ हैं और मैं

आपको बताऊँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यतो धर्म: ततो जय: की बात कही, तो उन्होंने जय: की बात नहीं की, धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी धर्म एडल्ट्री और 377 को, अननेचुरल सेक्स को बढ़ावा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, वह गलत किया और सारे लोगों ने आग्रह किया है, जो भी होगा, सरकार बातचीत करेगी। मैं आपको बताऊँ कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य ही जब मेन विषय हैं, तो कोई भी यदि सजा देनी होगी, मर्डर की जो सजा होगी, रेप की जो सजा होगी, वह बराबर होगी। उसके लिए आप कहेंगे कि हमने पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी या नई शराब पुरानी बोतल में डाल दी।

हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, जो मुगलों की निशानी थी, जो अंग्रेजों की निशानी थी, उसको मिटाकर भारतीय परम्परा को स्थापित करने के लिए यह बिल लाने का फैसला भारतीय मानसिकता के साथ किया है कि हमारे यहाँ पिता का पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, संयुक्त परिवार में किस तरह का सम्बन्ध होता है। इसलिए इसे वे लेकर आए हैं।

अंत में, मैं दिनकर जी की एक कविता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र से आता हूँ, बारह ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र से आता हूँ: "कि कह दे शंकर से आज कहे, वो प्रथम दिव्य फिर एक बार कहे, सारे भारत में गूँज उठे, हर-हर बम-बम का जयकारा, हर-हर बम-बम का जयकारा" और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, वह फिर से कायम हो, 130 करोड़ लोगों को न्याय मिले।

महोदय, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द-जय भारत।

माननीय सभापति : राज्य सभा के माननीय सदस्य का नाम प्रोसीडिंग में से निकाल दीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सभापति जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन तीन फौजदारी नए क़वानीन पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं शुरूआत में एक शेर से अपनी बात का

आगाज करता हूं कि 'हम को शाहों की अदालत से तवक्क़ो तो नहीं, आप कहते हैं तो ज़ंजीर हिला देते हैं।'

सभापति जी, ये फौजदारी के तीन क़वानीन खुद मुजरीमाना हैं। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जिरायम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफेतमाशा यह है कि पिछले सैशन में हुकूमत ने जन विश्वास बिल, 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजन्स और 43 क़वानीन इम्प्रिजनमेंट के थे, उन्हें निकाल कर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट की भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन का प्रोविजन रखा है। मैं यह बोलना चाहूंगा कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैनुफैक्चर के लिए तरमीम करके आपने जेल के बजाय फाइन में तब्दील कर दिया। इस ऐवान में यह बोलना जरूरी है कि जन विश्वास के नाम पर आपने सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। आप डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां कम्पनीज को सजा देनी थी, वहां आपने सजा को फाइन में तब्दील कर दिया। जो क़वानीन नॉन वॉयलेंट क्राइम्स सेडिशन, डेफामेशन हैं, इनको नए क्रिमिनल लॉ में ले लिया। यह बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास यह हुकूमत का नया मंत्र है और यदि लाइटर वे में मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि 'हम जुर्म में कमी करें भी तो क्यूं, तुम सजा भी तो कम नहीं करते।' आज देश में सच्चाई यह है कि सूट पहनने वाला जुर्म करके सजा से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को गोली मार सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेरोरिज्म का चार्ज है, वे इस कानून के बारे में बोलेंगे कि टेरोरिज्म क्या है या क्या नहीं है।

सभापति जी, मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह और मोहन दास कर्मचंद गांधी पर ये तीन क़वानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहन दास कर्मचंद गांधी कहते कि यह तीन क़वानीन रॉलेट एक्ट हैं। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है? सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान और आदिवासी लोगों के लिए

जिंदगी से बड़ी सजा कोई नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि और कौन-से जुर्म होते हैं। यदि हमें रिफार्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमें उन प्रोविजन्स को निकालना था, जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देते हैं। हमें उन प्रोविजन्स को निकालना था, जिनसे मंत्रियों और पुलिस को बिना कोई जुर्म साबित हुए लोगों को सालों जेल में रखने का मौका देते हैं। हमें यह करना चाहिए था कि जो प्रोसीक्यूटर होता है वह फेब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर छूट दे देता है। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है। आज हमारे वतनेजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल यदि कोई जेलों में हैं तो मुसलमान, दलित और आदिवासी हैं। आप इनका कंविक्शन रेट देख लीजिए। एनसीआरबी का डेटा वर्ष 2017 से 2023 का है। इसमें बताया है कि 20 प्रतिशत अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, 16 प्रतिशत कंविक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2 परसेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि इस्तेमाल किया जाता है, ज्यूडीशियल प्रोसेस को सबवर्ड करने के लिए और फेक ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए आज भारत की जेलों में 30 फीसदी डिटेनीज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33 प्रतिशत मुसलमान डिटेनीज थे और आज 83.9 परसेंट उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डिटेनीज हैं। मैं एक और मिसाल सीएसडीएस की रिपोर्ट की दे रहा हूं। यह बहुत बड़ा थिंक टैंक है। यह कहता है कि 'They have found substantial prejudice against Muslims in the Police force. In Bihar, Maharashtra, Uttarakhand and Jharkhand two-third of the surveyed Police personnel believed that Muslims were more inclined to violence than members of other communities.' ये इम्प्रिकल एविडेंस है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35 फीसदी जिन पुलिस कार्यवाहियों का सर्वे किया गया, उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां कॉऊ स्लॉटर होता है। सीजेपीएपी की इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट है कि कोविड-19 के दौरान 25 फीसदी मुसलमानों को अरेस्ट किया किया गया था। यह बॉयसनेस नहीं है तो क्या है?

सर, मध्य प्रदेश में मुसलमान 7 फीसदी के करीब हैं और 21 फीसदी मुसलमानों का नाम एफआईआर में डाल दिया गया था।

सर, प्रोजेक्ट-39ए में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया, जिन्हें सज़ा-ए-मौत दी गयी। हैरतअंगेज़ बात यह है कि 76 प्रतिशत का ताल्लुक बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलिजियस माइनॉरिटी से था।

सर, कितने दलित और एस.टीज़. डेथ रॉ पर हैं? महाराष्ट्र में ये 50 फीसदी हैं। मध्य प्रदेश में सज़ा-ए-मौत में दलित और आदिवासी 36 फीसदी हैं, कर्नाटक में 36 फीसदी हैं, बिहार में 31 फीसदी हैं, झारखंड में 30 फीसदी हैं। गुजरात में 19 लोग, जो सज़ा-ए-मौत के इंतज़ार में हैं, उनमें से 15 मुसलमान हैं। केरल में सज़ा-ए-मौत के जो मुलज़िम हैं, उनमें 60 फीसदी रिलिजियस माइनॉरिटीज़ के हैं। आखिर इस देश में कब तक यह चलता रहेगा कि अनस्पोकेन रिज़र्वेशन उन लोगों के लिए है, जिनके पास पूरी पॉलिटिकल पावर है और एक दूसरा अनस्पोकेन रिज़र्वेशन दलित, मुसलमान और आदिवासियों के लिए है कि इन्हें जेल में रहना पड़ता है?

सर, आखिर यह कैसे मुमकिन है कि आलाज़ात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं, उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान, दलित, और आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अगर आप तीन कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो यह कौन-सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है, जैसे अंग्रेजी में कहा गया था - the cure is dangerous than the disease.

सर, अब आप बी.एन.एस.एस. के क्लॉज 187(3) को देखिए। उसमें डिटेंशन का पीरियड देख लीजिए यानी यह अभी पन्द्रह दिनों से ज्यादा का होना मुश्किल है। अब आपने यह प्रोविजन दे दिया कि 90 दिनों तक, कभी भी किसी को 5 दिनों की, 6 दिनों की, 10 दिनों की, बेल नहीं मिलेगी। हैरतअंगेज़ बात यह है कि यू.ए.पी.ए. के कानून में जिसे जेल में डाला जाता है, उसके 30 दिनों के बाद एक सुप्रिटेंडेंट-ऑफ-पुलिस को कोर्ट में एफिडैविट देना पड़ता है कि आप क्यों जेल से पुलिस कस्टडी ले रहे हैं। आपने उसे भी निकाल दिया, यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यू.ए.पी.ए. से भी ज्यादा, मतलब वह 90 दिन जेल में रहेगा। कौन रहेगा जेल में? जेल में मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा और उसे बेल नहीं मिलेगी।...

(व्यवधान) आप लोग सुन लीजिए, यानी कन्विक्शन नहीं होगा, न बेल मिलेगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी है। यह कानून में है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।

आपने डी. के. बसु की गाइडलाइन्स को आपने एडॉप्ट नहीं किया। क्लॉज 53(1) में आप यह भी नहीं कह रहे हैं। उसे कौन एग्ज़ामिन करेगा? इसमें लिखा है – 'discretion of the medical practitioner'. आप जब पुलिस की कस्टडी में जाते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवे से लेकर जिस्म तक उसके पूरे निशानात रहते हैं और आप कहते हैं कि मेडिकल प्रैक्टीशनर डिस्क्रेशन करेगा तो यह होगा।

सर, मैंने क्लॉज 187 का तो जिक्र कर दिया। अब आप क्लॉज 472 को देखिए। मर्सी पिटीशन को देखिए। आर्टिकल 79 और 161 तो कंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। आप कानून लाकर कहते हैं कि कन्विक्ट, लीगल हेयर्स या अदर रिलेटिव्स, उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन डालेगा तो ही होगा।

सर, जो सज़ा-ए-मौत काटेगा, वह तो जेल में आधा पागल हो जाता है। आप थर्ड पार्टीज़ को इसके लिए मौका नहीं दे रहे हैं। यह आपका कौन-सा इंसाफ है? फिर आप यह बताइए कि आप थर्ड पार्टीज़ को इससे बाहर कर रहे हैं। इसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन और एसएलपी के बाद 30 दिनों का समय दे रहे हैं और गवर्नर के रिजेक्शन के बाद 60 दिनों का समय दे रहे हैं। यह कैसा इंसाफ होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि multiple petitions can be filed. आपने उसको भुला दिया।

सर, आप एक और बात देख लीजिए। क्लॉज 479 में यह कहा गया है कि अगर किसी ने उस ऑफेंस के पनिशमेंट का आधा समय अपने डिटेंशन पीरियड में पूरा कर लिया तो उसे बेल मिलेगी। आपने तो इसे और खतरनाक बना दिया है। क्लॉज 479 में आप यह कहते हैं कि अगर लाइफ इम्प्रीजनमेंट का एक से ज्यादा ऑफेंस होगा या वह पेंडिंग होगा तो उसे बेल नहीं मिलेगी।

निशिकान्त दुबे जी, आप पर जब केस लगा तो आपने कहा कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ। यह मैं जानता हूं। पर, आप पर केवल एक सेक्शन तो नहीं लगा, बल्कि कई सेक्शंस आप

पर लगा दिए गए, तो फिर क्या मुझे बेल नहीं मिलेगी? आप यह क्या कर रहे हैं? आप यह किसलिए कर रहे हैं? क्या आप इसका अंदाजा भी लगा रहे हैं कि आज आप वहां बैठे हैं, कल आप यहां आएंगे, इंशा अल्लाह, फिक्र मत कीजिए। पावर इटर्नल नहीं होता। यह तो कुदरत का निज़ाम है कि जो गन्दगी करता है तो उनकी जगह किसी और को मौका मिलता है। मगर, आपको एक दिन आना पड़ेगा। आप यह गन्दगी कर रहे हैं।

सर, यह बताइए कि आप इसको कितना करेंगे? Persons had pending proceedings in more than one offence और चार्जशीट में कई आते हैं यानी जब हम पर केस बुक होता है तो फूल का गुलदस्ता आता है, उसमें हर सैक्शन होता है, तो मुझे बेल नहीं मिलेगी। यह एक बात है। सर, सॉरी यह इतना बड़ा बिल है।

सर, अब टैररिज्म पर आते हैं, बीएनएस का टेररिज्म – यह बड़ा ही खतरनाक काम आपने किया है। इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा। सिविल लिबर्टीज़ ख़तरे में पड़ जाएंगी और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें किसी को टेररिस्ट नोटिफाई करेंगे तो कोर्ट क्यों नहीं करेगा, पुलिस वाला क्यों करेगा? किसी ऑर्गनाइज़ेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो ये ख़ुद सैपरेशन ऑफ पॉवर्स का वॉयलेशन है। ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस का वॉयलेशन है। इंदिरा गांधी वर्सेज़ राज नारायण केस का वॉयलेशन है। यह मोदी सरकार ज्यूडिशरी की पॉवर्स को छीन कर ख़ुद जज, ज्यूरी और एग्ज़िक्यूशन बन रही है। सर, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि – 'वो ही कातिल, वो ही मुखबिर, वो ही मुंसिफ ठहरे'।

सर, मैंडेटरी वीडियो, आपने कहा कि जिस जगह पर सर्च होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मैं यह कहता हूँ कि जब मेरा अरेस्ट होगा, तब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। जब मेरे घर पर पुलिस आती है, तब वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। जो मैं पुलिस को देता हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। क्लॉज़ 183 में विटनेस स्टेटमेंट होगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज्ड को उसकी रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। लेकिन उसको नहीं मिलती है। … (व्यवधान) सर,

क्लॉज़ 250 और 262 इनकंसिस्टेंट है। क्लॉज़ 250 में 60 दिनों का टाइम लिमिट डिस्चार्ज के लिए है। अगर एक्यूज़ को कागज़ नहीं मिलता है, हम सब जेल में गए हैं, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूँ, मैं ससुराल में इतना नहीं गया हूँ, जितना मुझे जेल में जाने का मौका मिला है, चाहे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही हो या तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत रही हो। ... (व्यवधान) सर, क्लॉज़ 262 में डिस्चार्ज एप्लिकेशन है । वह फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद डाल सकते हैं । It defeats the purpose. What is the discharge application which is to prevent police from using delay tactics? Discharge always precedes framing of charges. मैं उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं डाल सकता हूं, जब तक कि वह नहीं होगा। सर, अब क्लॉज़ 251 और 263 देखिए। Time limit for framing of charges in cases of Session trials is 60 days from the date of first hearing on charges; warrant charges should be of 90 days. मगर आपने क्या किया, होशियारी देखिए, बर्बाद करने की कहानी देखिए। आपने 193 (9) डाल दिया। Can it prescribe a 90-day time limit for further investigation? What will happen when the supplementary charge-sheet is put? Will the accused be acquitted? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्या कोई टाइमलाइन होगी? This is a dead letter. यानी आप तो पूरे के पूरे सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ छीन ले रहे हैं। सर, बीएनएस में लिंचिंग का एक कानून बनाया है, क्लॉज़ 103 में, अब आप इसमें देखिए, लिंचिंग कब हो सकती है, जब आप यह बताएंगे कि किसी को पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया। सर, आप एक्यूज़्ड को तो छोड़ने के लिए मौका दे रहे हैं। अच्छा! पर्सनल बिलीफ में आप रिलीजन क्यों नहीं लिखते हैं? इन तीनों कानूनों में रिलीजन इस्तेमाल किया गया है और क्या पर्सनल बिलीफ में रिलीज़न नहीं आता है?

सर, आप यह भी देखिए कि क्लॉज़ 190 में अनलॉफुल असेंबली है । five or more acting together, फिर यह आप क्यों कर रहे हैं? पांच लोग मिल कर भी मर्डर करेंगे तो एक क्लॉज़ 103 भी तो आपने कर दिया है। यह तो अनलॉफुल एक्टिंग टुगेदर है।

सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएनएस का 172(2) देखिए कि पेटि केसेज़ में, ‘when the occasion is past’ इसका मतलब क्या है? सर, होगा क्या आप और हम चुनाव लड़ते हैं, तो जो पार्टी अपोज़िशन में रहती है, उनके 25-50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मेरे बूथ्स के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसमें आप क्या लिख रहे हैं कि ‘when the occasion is past’ मतलब कि पोलिंग पांच बजे खत्म हो जाएगी तब पास्ट हो जाएगा तो पांच बजे छोड़ देंगे। अरे! आप अपना ही हाथ ख़ुद काट रहे हैं। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे तो यह काम कोई और आपके साथ कर देगा।

सर, रेप क्या सिर्फ महिलाओं का होता है, क्या मर्दों का रेप नहीं होता है? आपका प्रोविजन नहीं है। क्या मर्दों की स्टॉकिंग नहीं होती है?… (व्यवधान)

सर, ऐसा होता है।… (व्यवधान) आप हँस रहे हैं। ऐसा होता है। आपकी हँसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं कि किसका हुआ है।… (व्यवधान)

सर, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा कि यह जेंडर न्यूट्रल हो। क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। उसमें आप बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। अब उसमें सप्रेसिंग आइडेंटिटी के बारे में क्या बताना पड़ेगा, यानी अगर चंडीगढ़ की कोई महिला मोनू मानेसर से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वह मानेसर या चंडीगढ़ का नहीं है तो क्या क्रॉस एक्शन नहीं आएगा? आप बताइए। अगर कोई यह कहेगा कि मेरा नाम कुछ और है, कहीं कुछ और नाम होता है। मुसलमानों में कुछ कॉमन नाम होता है। क्या वह सेक्शन अप्लाई होगा, यह आप क्या कर रहे हैं? आपने एडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया। यह कंसेन्सुअल सेक्सुअल रिलेशन, जिसे 18 से 20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं मजहबी इतेबार से उसके खिलाफ जरूर हूं, मगर आप क्यों उनकी एटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? सर, बीएनएस का क्लॉज 109 देखिए। It does not require knowledge or intention on the part of person facilitating the commission of organised crime.

सर, आप सेडेशन को देख लीजिए। सेडेशन को आपने दोबारा ला दिया। आपने लव ए सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया। आपने सुप्रीम कोर्ट में अण्डरटेकिंग दी थी कि यह प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। चेयरमैन सर, यहां पर मुझे हिन्दी के एक बहुत मशहूर कवि का शेर याद आ रहा है। यह मैथिलीशरण गुप्त जी का शेर है।

राज्यों को यदि हम बना लें भोग, तो बनेगा वह प्रजा का रोग

फिर कहूं मैं क्यों न उठ कर ओह! आज मेरा धर्म राष्ट्रद्रोह।

सर, कार्ल मार्क्स ने कहा था - "History repeats itself, first as a tragedy, second as a farce." आप क्लॉज 195 (1D) देखिए। It criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty and integrity of India. यह वैग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेशन जर्नलिजम लिखेगा, आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और उसको जेल की सलाखों में डाल कर सड़ा देंगे। सर, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा। रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्ट जो आईपीसी में था, उसमें दो साल की सजा थी। वह धारा 304 है। आपने उसको बढ़ा कर पाँच कर दिया। यह बीएनएस की धारा 106 में है। रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्ट की धारा 304 आईपीसी में थी, उसे दो साल की जगह 10 कर दिया। यह क्रिमिनल जुरिसप्रूडेन्स का हिस्सा नहीं है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन – उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता है। आप बताइए कि फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियाँ बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। वह नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों का होगा। वह पोलिटिकल पार्टीज़ जो आज सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगी, वे बदले की भावना से काम करती हैं। सर, मुझे पुलिस ने पीटा। वर्ष 1999 में 22 दिसम्बर को मेरे सिर पर 20 टांके लगे। पीठ से लेकर

पैर तक मारा गया। सर, आपको मालूम है कि क्या हुआ, तेलगुदेशम की सरकार थी। उन्होंने दोनों पुलिस वालों को, जिन्होंने मुझे मारा था, आईपीएस स्टेट्स दे दिया।... (व्यवधान) ... *

HON. CHAIRPERSON: No. Mr. Owaisi, please do not talk to them.

… (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैं डरने वाला नहीं हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, आप उनको रोकिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay, please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : हां, ... …* और कुछ नहीं कर सकते हो।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, do not say anything.

… (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, आप टेररिजम के डेफिनेशन में देखिए। यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: उसको हम देख लेंगे। आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे।

… (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : यूएपीए का क्लॉज 18, 113(3) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20, 113(5) में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19, 113(6) में आ गया। अरे, भाई साहब, फिर क्या बचा है? आप यूएपीए, मकोका, गुजरात कोका, पीएमएलए सब ला दिया।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

स्पीकर सर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले उम्मीद कर रहा था, मैंने वजीरे ए दाखिला अमित शाह साहब का एक स्टेटमेंट सुना। जब वह गुजरात के होम मिनिस्टर थे, तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम यह समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वह क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वह दूसरों से नाइंसाफी नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे हजारों लोग हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है। न उनके पास दलील है, न उनके पास वकील है, न उनके पास आजादी है। सर, ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जम्हूरियत के लिए, गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं सरकार को यह चार्ज दे रहा हूं, चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, उसको लेकर आओ, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, उसे लेकर आओ, कतर में हमारे फौजी बैठे हैं, उनको लेकर आओ। कहां तुम्हारी देशभक्ति है? निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून का इस्तेमाल करो, मगर वे नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं, जो भारत की जम्हूरियत के लिए खतरा बनेगा।... (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): What about me? Will you call me or not?

माननीय सभापति : आपको बुलायेंगे। Have patience.

... (*Interruptions*)

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ان تین فوجداری نئے قوانین پر بولنے کا مجھے مو قع دیا۔ میں شروعات میں ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ

ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں

آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں

چیرمین صاحب، یہ فوجداری کے تین قوانین خود مجرمانہ ہیں۔ یہ جرم کی روکتھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو قانونی شکل دینے کے لئے بنائے جا رہے ہیں ۔ اب طرفہ تماشہ یہ ہے کہ پچھلے سیشن میں حکومت نے جن وِشواس بِل 2023کو جس میں 183 پروویزنس اور 43 قوانین اِمپریزنمینٹ کے تھے، انہیں نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا۔ اس میں ڈرگس اینڈ کوسمیٹِکس ایکٹ کی بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سب اسٹینڈرڈس ڈرگس کے لئے آپ نے فائن کا پروویزن رکھا ہے۔ میں یہ بولنا چاہوں گاکہ سب اسٹینڈرڈس ڈرگس کے مینوفیکچر کے لئے ترمیم کرکے آپ نے جیل کے بجائےآپ نے فائن میں تبدیل کر دیا۔ اس ایوان میں یہ بولنا ضروری ہے کہ جن وِشواس کے نام پر آپ نے سب اسٹینڈرڈس ڈرگس سے عوام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈیکریمینلائزیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں کمپنیز کو سزا دینی تھی، وہاں آپ نے سزا کو فائن میں تبدیل کر دیا۔ جو قوانین نان وائلینٹ کرائمس سیڈیشن، ڈیفامیشن ہیں ان کو نئے کریمینل لاء میں لے لیا۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لئے اوِشواش اور دھندے کے لئے وِشواس یہ حکومت کا نیا منتر ہے اور اگر لائٹر وے میں میں کہوں تو جون ایلیا نے کہا تھا ہم جرم میں کمی کریں بھی تو کیوں، تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے۔۔ آج ملک میں سچائی یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا جرم کرکے سزا سے بچ جاتا ہے۔ ایک

خاکی پہننے والا کسی کو قریب سے ہتھکڑی پہنے ہوئے مجرم کو گولی مار سکتا ہے اور اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے، وہ اس قانون کے بارے میں بولیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔

چیرمین صاحب، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیئے کہ اگر آج بھگت سنگھ اور موہن داس کرم چند گاندھی پر یہ تین قوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور موہن داس کرم چند گاندھی کہتے کہ یہ تینوں قوانین رولیٹ ایکٹ ہیں۔ اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مکولِ پُتر کون ہے؟ سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب، دلِت، مسلمان اور آدی واسی لوگوں کے لئے زندگی سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسے جرم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ریفارم کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا تو ہمیں ان پرووِیزنس کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولس کا منمانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں ان پرووِیزنس کو نکالنا تھا جن سے منتریوں اور پولس کو بنا کوئی جُرم ثابت ہوئے لوگوں کو سالوں تک جیل میں رکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہئیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹِڈ ایویڈینس ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر چھوٹ دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی جیلوں میں ہیں تو مسلمان، دلت اور آدی واسی ہیں۔ آپ ان کا کنوِکشن ریٹ دیکھ لیجئے۔ این۔سی۔آر۔بی۔ کا ڈیٹا سال 2017 سے 2023 کا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ 20 فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں، 16 فیصد کنوِکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی 14.2 فیصد ہے۔ پریوینٹیو ڈیٹینشن اگر استعمال کیا جاتا ہے، جیوڈیشل

پروسیس کو سبورڈ کرنے کے لئے اور فیک ٹرائل کو سبورڈ کرنے کے لئے آج بھارت کی جیلوں میں 30 فیصدی ڈیٹینیز مسلمان ہیں۔ اتر پردیش میں 2017 میں 33 فیصد مسلمان ڈیٹینیز تھے اور آج 83.9 فیصد اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹینیز ہیں۔ میں ایک اور مثال سی۔ایس۔ڈی۔ایس۔ کی رپورٹ دی رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا تھِنک ٹینک ہے یہ کہتا ہے کہ They have found substantial prejudice against Muslims in the Police Force. In Bihar, Maharashtra, Uttrakhand and Jharkhand two-third of the surveyed police personnel believed that Muslims were more inclined to violence than Members of other communities. یہ اِمپریکل ایویڈینس ہے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ 35 فیصدی جن پولس کاروائیوں کا سروے کیا گیا، انہوں نے موب وائلینس کو نیچرل قرار دیا، خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں کاؤ سلاٹر ہوتا ہے۔ سی۔جے۔پی۔اے۔پی۔ کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے کہ کووِڈ 19 کے دوران 25 فیصدی مسلمانوں کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ یہ بائسنیس نہیں تو کیا ہے ؟

سر، مدھیہ پردیش میں مسلمان 7 فیصد کے قریب ہیں اور 21 فیصد مسلمانوں کا نام ایف۔آئی۔آر۔ میں ڈال دیا گیا تھا۔

سر، پروجیکٹ۔39اے میں نیشنل لاء یونیورسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا، جنہیں سزائے موت دی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 76 فیصد کا تعلق بیکورڈ کلاس، دلت اور ریلیجیس اقلیتوں سے تھا۔

سر، کتنے دلت اور ایس۔ٹیز۔ ڈیتھ رو پر ہیں؟ مہاراشٹر میں یہ 50 فیصدی ہے۔ مدھیہ پردیش میں سزائے موت میں دلت اور آدی واسی 36 فیصدی ہیں، کرناٹک میں 36 فیصدی ہیں، بہار میں 31 فیصدی ہیں، جھارکھنڈ

میں 30 فیصدی ہیں۔ گجرات میں 19 لوگ، جو سزائے موت کے انتظار میں ہیں، ان میں سے 15 مسلمان ہیں۔ کیرل میں سزائے موت کے جو ملزم ہیں، ان میں 60 فیصدی ریلیجیس مائنوریٹیز میں ہیں، آخر اس ملک میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ ان اسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لئے ہے، جن کے پاس پوری پولیٹیکل پاور ہے۔ اور دوسرا ان اسپوکن ریزرویشن دلت،مسلمان اور آدی واسیوں کے لئے ہے کہ انہیں جیل میں رہنا پڑتا ہے؟

سر، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلیٰ ذات کے جو اکثریتی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، سوشل طاقت ہے اور مسلمان، دلت اور آدی واسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ تین قانون لا کر اصلاح کر رہے ہیں تو یہ کونسی اصلاح ہے؟ آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، جیسے انگریزی میں کہا گیا تھا - The cure is dangerous than the disease.

سر، اب آپ بی۔این۔ایس۔ایس۔ کے کلاز 187 (3) کو دیکھئے۔ اس میں ڈیٹینشن کا پیریڈ دیکھ لیجئے یعنی یہ ابھی 15 دنوں سے زیادہ کا ہونا مشکل ہے۔ اب آپ نے یہ پرووِیزن دے دیا کہ 90 دنوں تک، کبھی بھی کسی کو 5 دنوں کی، 6 دنوں کی، 10 دنوں کی، بیل نہیں ملے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو۔اے۔پی۔اے۔ کے قانون میں جسے جیل میں ڈالا جاتا ہے ، اس کے 30 دنوں کے بعد ایک سپریٹینڈینٹ ۔ آف ۔ پولس کو کورٹ میں ایفیڈیوِٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ کیوں جیل سے پولس کسٹڈی لے رہے ہیں۔ آپ نے اسے بھی نکال دیا، یعنی جس کسی کو بھی آپ اس قانون میں اریسٹ کریں گے، یو۔اے۔پی۔اے۔ سے بھی زیادہ، مطلب وہ 90 دن جیل میں رہے گا۔ کون رہے جیل میں؟ جیل میں

مسلمان رہےگا، دلت رہےگا، آدی واسی رہے گا اور اسے بیل نہیں ملے گی۔ (مداخلت) آپ لوگ سُن لیجئے، یعنی کنوکشن نہیں ہوگا، نہ بیل ملےگی، کیونکہ پولس کسٹڈی ہے۔ یہ قانون میں ہے۔ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔

آپ نے ڈی۔کے۔باسو کی گائنڈ لائنس کو آپ نے ایڈوپٹ نہیں کیا۔ کلاز 53 (1) میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہ ہیں۔ اسے کون ایگزامِن کرے گا؟ اس میں لکھا ہے کہ Discretion of the Medical Practitioner. آپ جب پولس کی کسٹڈی میں جاتے ہیں تو پولس اتنی خاطر تواضع کرتی ہے کہ تلوے سے لیکر جسم تک اس کے پورے نشانات رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میڈیکل پریکٹیشنر ڈِسکریشن کرےگا تو یہ ہوگا۔

سر، میں نے کلا 187 کا تو ذکر کر دیا۔ اب آپ کلاز 472 کو دیکھیئے ۔ مرسی پیٹیشن کو دیکھیئے، آرٹیکل 79 اور 161 تو آئین کا حصہ ہیں آپ قانون لا کر کہتے ہیں کہ کنوِکٹ، لیگل ہائرز یا دوسرے ریلیٹِڈ، اس کی طرف سے مرسی پیٹیشن ڈالے گا تو ہی ہوگا۔

سر، جو سزائے موت کاٹے گا، وہ تو جیل میں آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس کے لئے موقع نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کا کونسا انصاف ہے؟ پھر آپ یہ بتائیئےکہ آپ تھرڈ پارٹیز کو اس سے باہر کر رہے ہیں۔ اس کے لئے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ریجیکشن اور ایس۔ای۔پی۔ کے بعد 30 دنوں کا وقت دے رہے ہیں اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد 60 دنوں کا وقت دے رہے ہیں یہ کیسا انصاف ہوگا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ Multiple petitions can be filed. آپ نے اس کو بھلا دیا۔سر، آپ ایک اور بات دیکھ لیجیئے۔ کلاز 479 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اس آفینس

کے پنِشمینٹ کا آدھا وقت اپنے ڈیٹینشن پیریڈ میں پورا کر لیا تو اسے بیل ملے گی۔ آپ نے تو اسے اور خطرناک بنا دیا ہے۔ کلاز 479 میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر قید کا ایک سے زیادہ آفینس ہوگا یا وہ پینڈِنگ ہوگا تو اسے بیل نہیں ملےگی۔

نشی کانت دوبے جی، آپ پر جب کیس لگا تو آپ نے کہا کہ آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا، یہ میں جانتا ہوں۔ پر آپ پر صرف ایک سیکشن تو نہیں لگا بلکہ کئی سیکشنس آپ پر لگا دئے گئے، تو پھر کیا مجھے بیل نہیں ملے گی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کس لئے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ آج آپ وہاں بیٹھے ہیں، کل آپ یہاں آئیں گے، انشاء اللہ، فکر مت کیجیئے۔ پاور انٹر نل نہیں ہوتا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کو موقع ملتا ہے۔ مگر، آپ کو ایک دن آنا پڑے گا۔ آپ یہ گندگی کر رہے ہیں۔

سر، یہ بتائیے کہ آپ اس کو کتنا کریں گے؟ Persons had pending proceedings in more than one offence اور چارج شیٹ میں کئی آتے ہیں یعنی جب ہم پر کیس بُک ہوتا ہے تو پھول کا گُلدستہ آتا ہے، اس میں ہر سیکشن ہوتا ہے، تو مجھے بیل نہیں ملے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ سر، سوری یہ اتنا بڑا بِل ہے۔

سر، اب ٹیررزم پر آتے ہیں، بی۔این۔ایس۔ کا ٹیررزم۔یہ بڑا ہی خطرناک کام آپ نے کیا ہے۔ اس سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ سوِل لبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گی اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو ٹیررسٹ نوٹیفائی کریں گے تو کورٹ کیوں نہیں کرے گا، پولس والا کیوں کرے گا؟ کسی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ گھوشِت کر دیں گے تویہ خود

سیپریشن آف پاورس کا وائلیشن ہے۔ جیوڈیشیل انڈی پینڈینس کا وائلیشن ہے۔ اندرا گاندھی ورسز راج نارائن کیس کا وائلیشن ہے۔ یہ مودی سرکار جیوڈیشری کی پاورس کو چھین کر خود جج، جیوری اور ایگزیکیوشن بن رہی ہے۔ سر، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ ہی قاتل، وہ ہی مخبر، وہی منصف ٹھہرے۔۔

سر، مینڈیٹری ویڈیو، آپ نے کہا کہ جس جگہ پر سرچ ہوتا ہے، اس کی ویڈیوں ریکارڈنگ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا اریسٹ ہوگا تو، تب آپ ویڈیو ریکارڈنگ کیجئے۔ جب میرے گھر پر پولس آتی ہے، تب ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ جو میں پولس کو دیتا ہوں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ کلاز 183 میں وِٹنیس اسٹیٹمینٹ ہوگی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کیجیئے۔ کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولس والے کے جسم پر ایک ویڈیوں ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو اس کی ریکارڈنگ ملنی چاہئیے لیکن اس کو نہیں ملتی ہے۔ (مداخلت) سر، کلاز 250 اور 262 انکنسسٹینٹ ہے۔ کلاز 250 میں 60 دنوں کا ٹائم لِمٹ ڈسچارج کے لئے ہے۔ اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے تو ہم سب جیل میں گئے ہیں، میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں، میں سسرال میں اتنا نہیں گیا ہوں، جتنا مجھے جیل میں جانے کا موقع ملا ہے، چاہے کانگریس پارٹی کی حکومت رہی ہو، یا تیلگو دیشم پارٹی کی حکومت رہی ہو۔ (مداخلت) سر، کلاز 262 میں ڈسچارج ایپلیکیشن ہے۔ وہ فریمینگ آف چارجز کے بعد ڈال سکتے ہیں۔ it defeats the purpose. What is the discharge application which is to prevent police from using delay tactics ? discharge always precedes framing of charges. میں اس وقت تک ڈِسچارج

نہیں ڈال سکتا ہوں جب تک وہ نہیں ہوگا۔ سر، اب کلاز 251 اور 263 دیکھیئے۔ Time limit for framing of charges in cases of Session Trials is 60 days from the date of first hearing on charges; warrant charges should be of 90 days. مگر آپ نے کیا کیا، ہوشیاری دیکھئیے، برباد کرنے کی کہانی دیکھیئے، آپ نے 193 (9) ڈال دیا۔ Can it prescribe a 90 days time limit for further investigation ? what will happen when the supplementary chargesheet is put? Will the accused be acquitted ? کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا کوئی ٹائم لائن ہوگی؟ This is a dead letter یعنی آپ تو پورے کے پورے سِول رائٹس، سوِل لِبرٹیز، چھین لے رہے ہیں۔ سر، بی۔این۔ایس۔ میں لنچنگ کا ایک قانون بنایا ہے، کلاز 103 میں، اب آپ اس میں دیکھیئے، لنچنگ کب ہو سکتی ہے، جب آپ یہ بتائیں گے کہ کسی کو پرسنل بیلیف پر مارا گیا، جینڈر پر مارا گیا، کاسٹ پر مارا گیا۔ سر، آپ ایکیوزڈ کو تو چھوڑنے کے لئے موقع دے رہے ہیں۔ پرسنل بیلیف میں آپ ریلیجن کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ ان تینوں قانونوں میں ریلیجن استعمال کیا گیا ہے، اور کیا پرسنل بیلیف میں ریلیجن نہیں آتا ہے؟

سر، آپ یہ بھی دیکھیئے کہ کلاز 190 میں انلاء فُل اسمبلی ہے۔ Five or more acting together, پھر یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پانچ لوگ ملکر بھی مرڈر کریں گے تو ایک کلاز 103 بھی تو آپ نے کر دیا ہے۔ یہ تو انلاء فُل ایکٹِنگ ٹو گیدر ہے۔ سر، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بی۔این۔ایس۔ کا 172 (2) دیکھیئے کہ پیٹی کیسز میں، When the occasion is past اس کا مطلب کیا ہے؟ سر، ہوگا کیا آپ اور ہم چناوُ لڑتے ہیں، تو جو پارٹی اپوزیشن میں رہتی

ہے، ان کے 25-50 لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، میرے بوتھ کے ایجینٹس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ When the occasion is past مطلب کہ پولنگ 5 بجے ختم ہو جائے گی تب پاسٹ ہو جائےگا تو پانچ بجے چھوڑ دیں گے۔ ارے آپ اپنا ہی ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیئے، آج آپ مسکرا رہے ہیں، کل یہاں پر بیٹھیں گے تو یہ کام کوئی اور آپ کے ساتھ کر دےگا۔

سر، ریپ کیا صرف خواتین کا ہوتا ہے، کیا مردوں کا ریپ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا پرووِیزن نہیں ہے۔ کیا مردوں کی اسٹاکِنگ نہیں ہوتی ہے ؟ (مداخلت)۔

سر، ایسا ہوتا ہے (مداخلت) آپ ہنس رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپکی ہنسی اس بات کا اِقرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس کا ہوا ہے (مداخلت)۔

سر، جسٹس جے۔ایس۔ ورما نے کہا ہے کہ یہ جینڈر نیوٹرل ہو، کلاز 69 لو جِہاد آ گیا۔ اس میں آپ بیونڈ ریجنیبل ڈاوُٹ پروو ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب اس میں سب پریسنگ آئیڈینٹِٹی کے بارے میں کی بتانا پڑے گا، یعنی اگر چنڈی گڑھ کی کوئی خاتون مونو مانیسر سے عشق کرتی ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانیسر یا چنڈی گڑھ کا نہیں ہے تو کیا کروس ایکشن نہیں آئے گا؟ آپ بتائیے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرا نام کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور نام ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ کومن نام ہوتا ہے کیا وہ سیکشن ایپلائی ہوگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایڈلٹری کو نکال دیا، آپ نے ہوموسیکسویلیٹی کو نکال دیا۔ یہ کنسینشول ریلیشن، جس سے 18 سے 20 سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں، میں مذہبی اعتبار سے اس کے خلاف ضرور ہوں، مگرآپ کیوں ان کی ایٹونومی کو روکنا چاہتے ہیں؟

سر، بی۔این۔ایس۔ کا کلاز 109 دیکھیئے۔ It does not require knowledge or intension on the part of person facilitating the commission of organized.

سر، آپ سیڈیشن کو دیکھ لیجیئے۔ سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لا دیا۔ آپ نے لو۔اے۔ سیڈیشن استعمال نہیں کیا۔ آپ نے سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکِنگ دی تھی کہ یہ پرووِیزن نہیں لایا جائے گا۔

چیرمین سر، یہاں پر مجھے ہندی کے ایک بہت مشہور کوی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ یہ میتھلی شرن گپت جی کا شعر ہے۔

راجیوں کو یدی ہم بنا لیں بھوگ، تو بنے گا وہ پرجا کا روگ
پھر کہوں میں کیوں نہ اُٹھ کر اوہ، آج میرا دھرم راشٹر دروہ

سر، کارل مارکس نے کہا تھا کہ - History repeats itself, first as a tragedy, second as a farce.

آپ کلاز 195 (1D) دیکھیئے۔ It criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty and integrity of India. یہ ویگ ہے، یعنی جو کوئی بھی پترکار انویسٹی گیشن، جرنلزم لکھے گا، آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال کر سڑا دینگے۔

سر، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، ریس اینڈ نیگلیجینٹ ڈرائیوِنگ ایکٹ جو آئی۔پی۔سی۔ میں تھا، اس میں 2 سال کی سزا تھی۔ وہ دھارا 304 ہے۔ آپ نے اس کو بڑھا کر 5 کر دیا۔ یہ بی۔این۔ایس۔ کی دھارا 106 میں ہے۔ ریس اینڈ نیگلیجینٹ ڈرائیوِنگ ایکٹ کی دھارا 304 آئی۔پی۔سی۔ میں

تھی، اس دو سال کی جگہ دس کر دیا۔ یہ کریمینل جیورس پروڈینٹس کا حصہ نہیں ہے۔ کریمینل آرگنائزیشن ۔ اتر پردیش میں یو۔پی۔ گینگسٹر ایکٹ میں ایک چارج شیٹ میں گینگسٹر ایکٹ لگتا ہے، آپ بتائیےکہ پھر یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کیا ہوگا، پی۔ایم۔ایل۔اے۔ کا کیا ہوگا، مہاراشٹر مکوکا کا کیا ہوگا، گجرات کے کوکا کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سب قانون رکھ رہے ہیں، اور پولس والے کوآپ تمام قانون کی اجازت دیں گے۔ یاد رکھیئے، زندگیاں برباد کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا نقصان دلتوں، مسلمانوں اور آدی واسیوں کا ہوگا۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج پاور میں ہیں، کل نہیں رہیں گی، وہ بدلے کی بھاوُنا سے کام کرتی ہیں۔

سر، مجھے پولس نے پیٹا۔ سال 1999 میں 22 دسمبر کو میرے سر پر 20 ٹانکے لگے، پیٹھ سے لیکر پیر تک مارا گیا۔

سر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، تیلگو دیشم کی سرکار تھی، انہوں نے دونوں پولس والوں کو، جنہوں نے مجھے مارا تھا، آئی۔پی۔ایس۔ اسٹیٹس دے دیا (مداخلت)

میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سر آپ ان کو روکئیے (مداخلت) (کاروائی میں شامل نہیں) اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔

سر، آپ ٹیرزم کے ڈیفِنیشن میں دیکھیئے۔ یو۔اے۔پی۔اے۔ کا سیکشن 16 کلاز 113 میں آ گیا۔

یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کلاز 18، 113 (3) میں آ گیا۔ یو۔اے۔پی۔اے۔ کا کلاز 20، 113 (5) میں آ گیا۔ یو۔اے۔پی۔اے۔ کا سیکشن 19، 113 (6) میں آ گیا۔ ارے، بھائی

صاحب، پھر کیا بچا ہے؟ اب یو۔اے۔پی۔اے۔ ، مکوکہ، گجرات کوکا۔ پی۔ایم۔ایل۔اے۔ سب لا دیا۔

اسپیکر سر، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے امید کر رہا تھا، میں نے وزیرِ داخلہ امت شاہ صاحب کا ایک اسٹیٹمینٹ سُنا۔ جب وہ گجرات کے ہوم منسٹر تھے، تو ان پر ظلم کیا گیا، ان کو دبایا گیا۔ مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نا انصافی ہوئی، جو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو کم سے کم وہ دوسروں سے نا انصافی نہیں کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ان کے پاس وکیل ہے، نہ ان کے پاس آزادی ہے۔

سر، یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لئے، غریب طبقات کے لئے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ میں سرکار کو یہ چارج دے رہا ہوں، چیک ریپبلک میں نکھل گُپتا بیٹھا ہے، اس کو لیکر آوُ، کلبھوشن یادو پاکستان میں بیٹھا ہے، اسے لیکر آوُ، قطر میں ہمارے فوجی بیٹھے ہیں، ان کو لیکر آوُ۔ کہاں تمہاری دیش بھکتی ہے؟ نِکھل گپتا کو لاوُ اس قانون کا استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے۔ میں اس قانون کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں، جو بھارت کی جمہوریت کے لئے خطرہ بنے گا۔]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, आज इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने के लिए मुझे पार्टी ने अनुमति प्रदान की है और मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। कल इन तीनों बिलों पर और हमारे सदन के सभी दलों के विद्वान माननीय सदस्यगणों ने विस्तार से अपने विषय यहां पर रखे । आईपीसी, सीआरपीसी और एवीडेंस एक्ट, आईपीसी एक्ट में बदलाव की आवश्यकता वर्षों से थी । मैं सौभाग्य मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक नये सदन में देश की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों एक्ट्स को समाप्त करके, आईपीसी को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, 2023, सीआरपीसी को समाप्त करके भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, 2023 और एवीडेंस एक्ट को समाप्त करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लाया गया है । अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत में यह आईपीसी क्यों बनाया था? जब देश को आजाद कराने के लिए देश के मतवाले राष्ट्रभक्त सभी क्रांतिकारी वर्ष 1857 के संग्राम में कूदे तो उनको लगा कि देश में राष्ट्र भक्ति की भावना बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है । इससे बहुत जल्दी हमारा देश आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ेगा । इसलिए, 3 साल के बाद वर्ष 1860 में मैकाले द्वारा इसे तैयार किया गया । उन लोगों को उस समय उन अत्याचारी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने मानवाधिकारों के बिल्कुल विपरीत केवल राष्ट्रवाद की ज्योति को रोकने के लिए आईपीसी का निर्माण किया कि देश बहुत लम्बे समय तक गुलाम रह सके । इस एक्ट के कारण 90 वर्षों बाद हमें आजादी मिल पाई, यह मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है ।

महोदय, अंग्रेजों ने दंड देने के लिए कानून बनाये थे, न्याय देने के लिए नहीं बनाये थे । आज 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो नये तीनों कानून बन रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये न्याय देने के लिए हैं और यह सदन उनको अभी पास करने वाला है । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं ।

जब-जब बदलाव की बात भारत सरकार ने की, मोदी सरकार ने की, विपक्ष ने हमेशा हंगामा किया, हमेशा उसको गलत बताया, चाहे 'वन नेशन, वन टैक्स' की बात रही हो। जीएसटी आया, सभी ने विरोध किया, सड़कों पर भी विरोध किया, सदन में भी विरोध किया, लेकिन आज उस जीएसटी से देश का खजाना भर रहा है और देश बड़ी रफ्तार के साथ बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो हमारी अर्थव्यवस्था दसवें नम्बर पर थी, आज वह अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर आ गई है। हर कानून को बनाने का जो उद्देश्य है, वह मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का यह है कि कैसे हमारा देश पूरी दुनिया का सिरमौर बने, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।

पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से विषय को रखा। आदरणीय विष्णु दयाल राम जी, जो पूर्व डीजीपी रहे, सत्यपाल जी, वह भी पुलिस कमिश्नर रहे, उन्होंने अपनी पुलिस की बात कही। जगदम्बिका पाल जी, निशिकांत दुबे जी, सभी लोगों ने अपने स्तर से अपनी बात को रखने का काम किया।

13.00 hrs

जो विषय पहले विस्तार से आ चुका है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बात करना चाहूंगा, जो प्रावधान किए गए हैं, वे बहुत अच्छे हैं। तीन दिनों के अंदर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर किया जा सकता है, यह बहुत अच्छा नियम है। आने वाले समय में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़गी। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, उसके लिए लगभग 33 हजार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स हर साल फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटीज से आएंगे, लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। पीड़ित को न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलने का काम होगा। अनेकों ऐसे नियम बनाए गए, पहले गिरफ्तारी के बाद चार-पांच दिनों तक थाने में ही बंद करे रखते थे। खासतौर से जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें होती हैं, जहां जातिवाद से काम करते हैं, क्षेत्रवाद से काम करते हैं, समाज को बांटने की विचारधारा से काम करते हैं, वे लोगों को थाने में पीड़ित करते थे, उनके घर वाले ढूंढ़ते रहते थे कि लोग कहां हैं? अब हर थाने में एक

एसआई लेवल का ऑफिसर डेप्युट किया जाएगा। अब उनकी जिम्मेवारी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उसके घर वालों को सूचना देगा कि हमने गिरफ्तारी की है, कब की है और किस थाने में रखेंगे।

समरी ट्रॉयल में दो-तीन साल का मामला था, उसके आधार पर जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, बड़ी तेजी से हम लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को न्याय मिल सकेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, राष्ट्र हित के अति महत्वपूर्ण विषय पर इस बहस का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, मैं वहां देखता हूं कि जितने सूदूरवर्ती गांवों में निर्धन और ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों को, अनेक मामलों में दबंग और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, झूठे मामले में फंसाने का काम करते हैं। वे न्याय के लिए दर-दर भटकते रहते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है।

सदन में कई लोग ऐसे हैं, इस सदन की आदरणीय रमा देवी जी के पति बिहार सरकार में मंत्री थे, वहां उनकी हत्या हुई थी। आज तक उनको न्याय नहीं मिला, वह अपने क्षेत्र को रिप्रजेंट करती हैं, उनकी जनता उनको चुन कर बार-बार यहां भेजती है। निशिकांत दुबे जी बता रहे थे कि मेरे ऊपर कभी मुकदमा नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ ही धारा 307 लग गयी। सभी माननीय सदस्य लोग इस बात को देखते हैं कि जो भी सामाजिक क्षेत्र में आगे आता है, लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करता है और लीड करता है। वहां विपक्ष की सरकारें निश्चित ही उसके ऊपर मुकदमा लगाने का काम करती हैं।

मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पूरी शुचिता और शत-प्रतिशत पूरी निष्ठा-ईमानदारी से काम करता हूं। आज तक किसी भी मामले में पांच नया पैसा का गुनाहगार नहीं हूं लेकिन जब ईमानदारी से काम करते हैं, माफियाओं से डरते नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों के सामने घुटने नहीं टेकते, अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेकते, जितने खनन माफिया हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं तो हमें भी कई बार व्यक्तिगत रूप से कई ऐसी चीजें झेलनी पड़ती हैं। जब वे कुछ नहीं कर

पाते हैं, जब मोदी सरकार और योगी सरकार ईमानदारी से काम करती है तो अपराधियों के मंसूबे पूरे नहीं होते हैं।

आजकल एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मीडिया में कई लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ लोग पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलौने बनकर, जिन्होंने मान-सम्मान कमाया, उन पर आंच डालने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे लिखाने का काम करते हैं। पिछली बार वर्ष 2018 में जब आदरणीय सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थीं, उस समय सदन में एससी/एसटी बिल पास हो रहा था, मैं सदन में वोटिंग कर रहा था। जब मैं यहां सदन से निकल कर गया तो मुझे वहां फोन आया कि टेलीविजन में चल रहा है कि हमीरपुर के दबंग सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने फायरिंग की। मैं यहां सदन में उपस्थित हूं और वे लोग पुलिस में एफआईआर कराने गए, वहां के पत्रकार लोग पहुंचे, बड़ी ताकत के साथ वहां घेराबंदी की, जब उनको पता चला कि सांसद दिल्ली में संसद में बैठे हैं तो मेरे पिताजी के खिलाफ दूसरा अप्लीकेशन टाइप किया और थाने में पहुंच गए। जब एक सामाजिक व्यक्ति, जो दूसरों की लड़ाई लड़ता है, कई बार उसे भी मजबूर होना पड़ता है। सुदूर गांव में रहने वाले अशिक्षित व्यक्ति को झूठे केस, एससी/एसटी केस में फंसाया जाता है। मेरे यहां बुंदेलखंड की हर जेल में लगभग 70 परसेंट निर्दोष लोग बंद हैं, जिन्हें झूठे केसेज में फंसाया जाता है। उनको देर-सवेर न्याय मिलता है। आज अमित शाह जी बिल लेकर आए हैं, इससे निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा और जल्दी से उनको सुविधा प्राप्त होगी। उनका सम्मान भी कायम रहेगा।

सभापति जी, डिजिटलाइजेशन से न्याय सब के लिए सुलभ हो जाएगा। पहले न्यायालय के आदेश दोनों पक्षों के लिए दुर्गम होते थे, अब इंटरनेट से यह सब एक क्लिक ही दूर है। यह ऐतिहासिक कदम है। पहले गांवों में अशिक्षित पीड़ित अपने स्वयं के मामलों से संबंधित न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे।

महोदय, डिजिटलाइजेशन के साथ गोपनीयता और लोगों को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई समस्याओं का समाधान करने की भी आवश्यकता है। इसमें इस विषय पर भी विचार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। डीप फेक जैसी झूठी सामग्री प्रकाशित करने पर दंडित करने के लिए मानहानि की धारा के तहत प्रावधानों को पेश करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं उन पीड़ितों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके ऊपर झूठे मामलों के कारण अत्याचार होते हैं। झूठे मामलों में घसीटे जा रहे निर्दोष लोगों को निर्दोष साबित होने पर मुआवज़े का हक होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों की प्रेक्टिस बन गई है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। हमारे यहां बहुत लोग ऐसे हैं, जिनके पास जमीनें हैं और उनको भू-माफिया और भू-स्वामी पुलिस का भय दिखाकर, झूठा मुकदमा करने की बात कहकर आधी से कम कीमत पर जमीन ले लेते हैं और वे अपना नगर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। झूठी एफआईआर लिखवाने वाले लोगों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

महोदय, सरकार ने जो कानून बनाया है, दंड देने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए बनाया है और मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं दिनकर जी की एक पंक्ति कहकर अपनी बात पूरी करता हूं –

छीनता हो सत्व कोई, और तू त्याग-तप से काम ले, यह पाप है,

पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।

भारत माता की सुरक्षा के लिए जिस न्याय और कानून की आवश्यकता है, उसे निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार पूरा करेगी। मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Sir, what about me?

HON. CHAIRPERSON: You will be given the chance.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Yesterday also, you said the same thing.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. You are a lone Member of your party. You will be given the chance. Now, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

Shrimati Harsimrat Kaur Badal.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य माइनोरिटी कम्युनिटी से हैं। आप इनको भी बोलने का मौका दे दें।

Sir, today, we are debating on the total overhaul of the Criminal Procedure Code after many, many years. The Government is bringing in something which is going to send out a message not only to the people of this country but to the entire world. आज जब भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चलना चाहता है तो विश्व गुरु अपने लोगों के इस सिस्टम को जब ओवरहॉल करता है, तो पीछे से सीखकर आगे क्या दिशा देगा? We are looking to the future and we want to compete with the developed countries. But we should not bring in such a draconian law. By this, we can become an authoritarian State like China. We want to live in a State where human lives, human values, our rights as enshrined in the Constitution for everybody, from a minority to an SC, to the last person in the queue, all are given equal importance and equal regards.

Before me, my colleague Owaisi sahab said a lot of things and I am in agreement with many of those things. The fact of the matter is that history has shown that whenever there are atrocities, it is the minority which has suffered

the most. I come from a State where we have been at the receiving end of this forever.

Sir, today, the most important thing for any human being is his freedom as enshrined in the Constitution, my civil rights, my right as a human being to express what I believe, to be able to say what I want and not to live in fear of a police state, misusing their powers to hound me because I have certain beliefs. I have the right to express them.

Unfortunately, today, this law is going to give unbridled power to the police and make it an authoritarian State rather than a democratic country that we want to live in as enshrined in the Constitution of Dr. Baba Sahab Ambedkar.

Sir, on this Bill, I would just like to make a few small points that the police is getting the kind of powers which I do not think any police force should ever have. It is clear that all those who are appointed are appointed by political people and obviously their allegiance will be towards those political people. I do not need to tell what the Supreme Court says about certain caged parrots but here we are talking about police at the level of State also. Starting from Thanedar to the SSP, to the DIG, to the DGP, all are political appointees and because of that there is political pressure on their actions. Everybody sitting in this august House, every political party, has borne the brunt of that. Nobody should understand it better than us and our hon. Home Minister. That is why, I feel that these powers have been given without any check and balance to do as they want. The police have been given such powers. There

is UAPA law but today the police have been given exactly the same powers and there are no checks and balances whatsoever. These arbitrary powers are against liberty, democracy, dissent, and opposition. I think, here is a living example that such an important Bill is being discussed, which should be discussed in a free and transparent manner where everybody is allowed to air their views, and there is only the Ruling Party and a handful of us, the Opposition people, who are being allowed to say what we want. This is not the way for such an important Bill to be passed. These Bills have many discrepancies. I do not know whether I should repeat what Owaisi *sahab* has already said. For example, the police custody upto 60 days and how the police will decide what they want to do and how they want to do, I do not want to get into all of these things.

My point is more on the human rights angle of it because as a Sikh, Sir,

I am a Sikh and I would like to say that our history is replete with examples of police atrocities. The entire India knows that our 9th Guru Shri Guru Tegh Bahadur ji sacrificed his life for protecting 'tilk' and 'janeu' of Hindus. He became a martyr. In Gurudwaras, we pray for welfare of all human beings. If we talk about the country … (Interruptions)

Sir, if we talk about the country, whether it is Pre-Independence, Post-Independence, and till date, the Sikh community has made the largest

… English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

sacrifices for this nation and are the most patriotic community. I would like to highlight a few of these things.

Before independence, Sikhs constituted only 1.5% of India's population. We have suffered a lot at the hands of majority community. If they took certain steps in the passion of the moment, it was because of the conditions that were prevailing in Punjab at that time. These people are rotting in jails for the last thirty to thirty-five years.

I would like to tell this august House that during the freedom struggle, 77 per cent out of the total people sent to gallows were Sikhs. During Quit India Movement when many indiscriminate arrests were made, 70 per cent of those were Punjabis who were arrested. Out of 2000 people who joined the Indian National Army when that Army was formed, 60 per cent were Sikhs. Out of 121 patriots hanged during the freedom struggle, 93 were Sikhs. Out of 2600 awarded the life imprisonment during the freedom struggle, 2147 were Sikhs. Out of 1300 martyred in Jallianwala Bagh, 799 were Sikhs. जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय सिखों ने सन् 1925 से 1930 में अपना गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिट्ठुओं से आजाद करवा लिया था । After that, all leaders of every party admired our sacrifices. Pandit Jawaharlal Nehru said: "I salute the Akalis who have started the struggle for freedom and are fighting for it." This was in 1920 when Jawaharlal Nehru said this who became the Prime Minister later. पंडित मदन मोहन मालवीय जी

... English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

ने कहा था– “Guru Ka Bagh Morcha has given birth to the freedom movement which must lead us to Swaraj.”

यह फ्रीडम मूवमेंट हमारे अकाली दल ने शुरू किया था Lala Lajpat Rai ji said:

> “Freedom is our birthright. The Akalis are the legitimate sons of Mother India who are fighting for her.”

Sir, in every sphere, I can say that, considering we were hardly 1.5 per cent of the total population, we have made a contribution. यह भी मैं कह सकती हूं कि अगर आज पंजाब हिन्दुस्तान में है तो इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन थी। He went to the Muslim League Flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru, and the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. यह लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी। उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ और हजारों-लाखों सिख और हिंदू वहां से उजड़ के इधर आए। यह सब होने के बाद what did we receive post-Independence? Those were all kinds of atrocities by the State. हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद कराने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े-टुकड़े करके, अलग-अलग राज्य बनाए गए। हमें राजधानी नहीं दी गयी। हमारा पानी दूसरे राज्यों को दे दिया गया against riparian principles. हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव … (व्यवधान) सर प्लीज, अब तो कोई ओपोजिशन नहीं है, आज तो बोलने के लिए टाइम दे दीजिए।

माननीय सभापति : आप इस बिल पर बोलिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, मैं बिल पर आ रही हूं। मैं एट्रोसिटीस की बात कर रही हूं कि कानून कितना जरूरी होता है।

उसके बाद एक स्टेट स्पोंसर्ड जेनोसाइड कैसे हुआ? हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर, …* के कहने पर टैंकों-तोपों से हमारे धार्मिक स्थान पर अटैक किया गया। गुरूपूरब के दिन जब वहां श्रद्धालू थे, उनका कत्ल करके, सारा सरोवर लाल कर दिया गया। यह स्टेट स्पोंसर्ड था। जब …* अपने ही लोगों के ऊपर, क्यों आज तक …* नहीं लगा। उसके बाद जब दिल्ली में वर्ष 1984 का जेनोसाइड हुआ तो हमारे कितने सिखों का कत्लेआम सरेआम हुआ। यह सारा देश जानता है कि यह कांग्रेस की देन थी। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई। आज 40 साल होने के बाद भी हमें कोई जस्टिस नहीं मिला, आपके इस नये कानून में। सिखों के साथ कहां इंसाफ है? कौन सा वह पॉइंट है, मुझे गृह मंत्री जी बताएं जहां हमें 40 साल बाद इंसाफ मिलेगा। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब हम सिखों के धार्मिक स्थानों पर अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, किसी को वहां सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगायी गयी। हमारी बहनों के साथ जो रेप हुआ तो हमारी कहीं सुनवायी नहीं हुई। इसी तरह पंजाब में जब हजारों नौजवानों को, बेगुनाहों को यूएपीए लगाकर के, ऐसे-ऐसे कानून लगाकर उनकी पूरी जवानी, यहां बिट्टू जी नहीं हैं, कांग्रेस के एमपी साहब, …* फेक एनकाउंटर्स में आज तक हजारों-लाखों नौजवानों का पता नहीं लग रहा है कि वे कहां गए? पुलिस के पास अनब्राईड्ल्ड पावर्स थे। इस तरह के विदआउट चैक्स एंड बैलेंसेस पावर कितना बढ़ा नुकसान कर सकता है, यह हम पंजाबियों ने देखा। सर, जब ऐसे हालात थे कि नौजवानों को पुलिस द्वारा मारा जा रहा था। एक कहानी से आपको हैरानी होगी कि एक 19 साल की लेडी के हसबैंड को उठाकर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। अब 30-40 साल बाद थानेदार से लेकर डीजीपी और आईजी तक सबने माना और इंसाफ दिया कि वह फेक एनकाउंटर था, फेब्रिकेटेड था, उसको टेररिस्ट बनाकर एनकाउंटर कर दिया गया। यह तो 80 के दशक में पंजाब के हर घर की कहानी थी। जब ऐसा माहौल था और नौजवान मारे जा रहे थे तो उन लोगों को रोकने के लिए … (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं तो दीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, मैं उसी पर आ रही हूं। जब ऐसा माहौल पंजाब में 10-12 साल चल रहा था तो कुछ नौजवान, इस हाउस में आपने देखा कि कुछ नौजवानों ने कुछ दिन पहले क्या किया? वे नौजवान क्या कह रहे थे? वे अपनी बेरोजगारी, मणिपुर या फार्मर्स के राइट्स की बात कर रहे थे। नौजवानों ने अपनी भावनाओं में बहकर के उस समय कुछ कदम उठाए। वे 25-25 साल के नौजवान थे।

मैं बहुत विनम्रता से बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है। पंजाब में उस समय के माहौल में भाई राजोआना जी जैसे, देविन्दर पाल सिंह भुल्लर जैसे तथा गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने कई कदम उठाए, क्योंकि पंजाब के हालात ही ऐसे थे। उन सभी को 30-30, 35-35 साल हो गए, वे जेल में बैठे हुए हैं। Where does the Constitution or the legal prudence say that you can just be imprisoned forever without any justice? यह तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। यह एक इंसान की इंसानियत के लिए वायलेशन है। Here, I want to speak on the mercy petition. आपने मर्सी पिटीशन के बारे में कहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई राजोआना जी के बारे में आप जानते हैं, वे 28 सालों से जेल में बंद हैं। क्योंकि सन् 1984 के दंगों के समय उन्होंने कोई कदम उठाया था, कोई कॉन्सपिरेसी की थी। He is lying in a 8x8 prison cell for 28 years. His mercy petition is pending for 12 years. No decision is being taken. The court asks the Government to take a decision. But the Government does not take any decision. Now, the new law says that besides his family nobody can apply for it at all. What if the person in prison has no family? उनके माँ-बाप मर गए तो कौन करेगा? आप यह कहाँ से लेकर आ रहे हैं। अगर 12-12 सालों तक फैसला न हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, मैं आपसे अपील करती हूँ कि जो आठ बाय आठ सेल की जेल में 25 सालों से बंद है, जिनकी आज उम्र 60-65 साल हो गई, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पर फैसला दीजिए, लेकिन the Government says that anti-social elements are a problem to society.

सर, कई लोग ऐसे हैं, जो बेअंत सिंह जी की हत्या में शामिल थे, उनको लीगली तरीके से परोल भी मिल गई है। वे अपने घर पर भी रह रहे हैं। अदालत ने उनको घर भेज दिया है। राजीव गांधी के किलर्स को भी घर भेज दिया है। उनसे सोसायटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रिजन में गुड कंडक्ट रहा तो ऐसे लोगों को क्यों फ्री नहीं किया जाता है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, please give me two more minutes. ....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No, please conclude. You have taken enough time.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, गुरू नानक साहब के 550वें प्रकाश पर्व पर सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था, लेकिन आज मुझे इस कानून में कुछ नहीं दिख रहा है। When remission has been granted, and when these prisoners are going to be set free which you promised in 2019, nothing seems to happen. आज तक कुछ नहीं हुआ। आज आप यूएपीए के तहत पुलिस को पूरी पावर दे रहे हैं। वर्ष 2019 में आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, लेकिन अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है। अब देश में भी हम देख रहे हैं कि किसी को भी टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों द्वारा सिखी का प्रचार करने के लिए उनके घर पर कुछ पैम्प्लेट मिले तो उन पर भी

यूएपीए लगा दिया और फिर आप उनको उठाकर दूर-दूर भेज देते हैं, जहां बेल तक नहीं होती है। यह पुलिस का मिसयूज है। हम इसके गवाह हैं। अगर ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो …*

HON. CHAIRPERSON: Why are you standing like this? Please sit down.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have told you that your chance to speak will also come.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

Shri Ramesh Bidhuri ji, please continue your speech.

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, गुलामी की निशानी को मिटाने के लिए, 100 साल पहले के चिह्नों को समाप्त करने के लिए मैं देश के माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पर लगभग 200 मीटिंग्स कीं। कानूनविद्, बुद्धिजीवी वर्ग, स्टैंडिंग कमेटी की स्टडी के बाद और एक लंबे प्रोसेस के बाद यह फैसला हुआ है। सन् 1860, 1872 तथा 1973 के ऐसे कानून थे, जो अंग्रेजों के द्वारा राज को बचाने के लिए बनाए गए थे। अगर मैं इसको सन् 1857 और 1860 से जोडूं तो सन् 1857 में अंग्रेजों को हटाने के लिए देश ने अंगडाई ली थी। उन लोगों को कानूनों का सहारा लेकर दबाया जाता था।

माननीय सभापति जी, आप स्वयं मेरठ से सांसद है। सन् 1857 के धन सिंह कोतवाल को कौन भूल सकता है? उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और जेलों में जो बेकसूर लोग थे, उन्हें छुडाया। तब करीब 6 हजार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वे काले कानून आज तक किसी ने बदलने की और अभी सिमरत कौर जी मनुष्यों के अधिकारों के बारे में बोल रही थीं तो उन सब अधिकारों को दिलाने के लिए कभी किसी ने साहस नहीं जुटाया, लेकिन मैं मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पहले वाले कानून दंड पर आधारित कानून थे। हमारे देश के अंदर तीन तरह के कानून थे, जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे।

इंडियन पीनल कोड, 1857 यह बताता है कि अपराध क्या है? किसी अपराध की क्या सजा है? अब यह कानून बदल कर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, न कि अपराध और दंड की तरफ ध्यान दिया जाए। अब यह भारतीय न्याय संहिता जो पहले भारतीय दंड संहिता के रूप में था, मूल रूप से पहले वाला दंड और अपराधी पर केन्द्रित था और अब पीड़ित के लिए न्याय केन्द्रित विधेयक लाया गया है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 स्टैब्लिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील कैसे होगी? अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब अब प्रोसिजर नागरिक को सुरक्षित एवं

न्याय दिलाने के लिए संकल्पित होगा। तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 है। यह कानून साक्ष्य से संबंधित है। प्रस्तुति एवं रिलायबिलिटी के विषय में कानून को लाया गया है।

सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशेषताएं है। माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा कुछ तब्दीली की गई है, जैसे अलगाववाद। अगर रिबेलियन अगेनस्ट गवर्नमेंट, जिस प्रकार से अलगाववाद की बात किया करते थे, अलगवाद की बात करने से भारत तेरे टुकड़े होंगे, जैसे गैंग के लोगों को भारत में अलगाववाद फैलाने का मौका मिलता था। नक्सलाइट के रूप में जो होते थे, वे गवर्नमेंट के खिलाफ कहते थे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं। अब यह कानून कर दिया गया है कि यह कानून राज्य के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि यह राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा और अब इसको आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, ताकि आगे आने वाले वक्त में लोग ऐसी हिमाकत न कर पाएं।

अभी जिन्होंने चर्चा की है। बहुत वक्ताओं ने चर्चा की है। पार्लियामेंट में एक सप्ताह पहले जो घटना घटी थी। जो लोग यहां कूद गए थे, उनको सरदार भगत सिंह जी की फोटो दिखाई जाती है, उनको सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो दिखाई जाती है। वह सोशल मीडिया पर डाला जाता है। उन नौजवानों को बरगलाया जाता है। उनको यह बताया जाता है। अरे भाई! तब देश गुलाम था। तब देश में तानाशाही थी, लेकिन अब देश में लोकतंत्र है। अब देश में सरकारें जनता चुनती है। अगर जनता को लगेगा कि सरकार गलत कर रही है तो तुम्हारी आतंकवादी जैसी गतिविधियों से संदेश नहीं जाना चाहिए, बल्कि पांच वर्षों के बाद जनता खुद सरकार बदल देगी। यहां तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो लगाकर, सरदार भगत सिंह जी के आइकॉन के रूप में उनको भी बदनाम करने का काम लोग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ताकि कोई भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के बारे में हिमाकत न कर पाए। यह सेक्शन 113 के अंदर प्रोविजन किया गया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग बहाना क्या बताते हैं कि हम बेरोजगार थे। क्या बेरोजगारी के कारण आप बैंक को

लूट लेंगे? आप धंधा करिए। 39 करोड़ लोगों को लोन मुद्रा योजना के तहत दिया गया है। आप उसके माध्यम से लोन लेकर धंधा करिए। आपको 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक स्वनिधि योजना के तहत काम करने के लिए पैसा मिल रहा है। देश के लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। आप उसका लाभ उठाइए, इसके लिए आपको कौन मना करता है। लेकिन सरदार भगत सिंह जी की फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर, जिससे देश की छवि दुनिया में कलंकित होती है। मैं पूछना चाहता हूं - बेरोजगारी, बेरोजगारी। 39 करोड़ लोगों को जो लोन दिए गए हैं, वे देश के ही नौजवानों को ही दिए गए हैं। वे पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं दिए गए हैं, वे देश के नौजवानों को दिए गए हैं। हम आपको पहले का इतिहास बताएं, तो पहले गरीब लोगों को बगैर ब्याज के कितने लोन प्रोवाइड किए जाते थे? बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारी जा कर घर पर गरीब को कह रहे हैं कि गारंटी मोदी जी की है। आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आप यह पैसा लीजिए और काम-धंधा कीजिए। ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 113 के अंदर व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मानसिक प्रताड़ना, पहले महिलाओं के साथ जो मार-पीट, केवल उसी को क्रुएलटी बोलते थे, अब उसको मानसिक प्रताड़िता, दहेज के रूप में किसी भी रूप में, अगर घर में बहन को प्रताड़ित करेंगे, कुछ गलत मानसिकता के लोग होते हैं, उसको भी अब क्रुएलिटी के रूप में सेक्शन 80c में यहां पर स्थान दिया गया है, ताकि बहनों-माताओं के साथ अत्याचार न हो। माता-बहनों के साथ होने वाले जो सेक्सुअल जो ऑफेंस होते थे, उन केसेज में वुमन की आइडेंटिटी को डिसक्लोज करने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है।

अभी आप देख लीजिए। पश्चिमी दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने…* ने सोशल मीडिया पर, वे हाउस के माननीय मैम्बर हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे माननीय मैम्बर नहीं थे।

अपनी पॉपुलेरिटी प्राप्त करने के लिए उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया, उस परिवार को बदनाम करने के लिए उस बच्ची का फोटो ट्विटर पर डाल दिया। इस प्रकार अगर माता, बहनों के साथ हैरासमेंट होगी, कोई व्यक्ति उसको पब्लिसाइज करेगा तो इस कानून के सेक्शन 72 के अंदर दो साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, जो पहले नहीं होता था, जो 100 साल पुराने कानून थे। गैर जिम्मेदार लोगों पर भी रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। सेक्शन 69 में शादी का झूठा झांसा देकर लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। लोग कहते थे कि मैं शादी करूंगा, पुलिस के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं मिलती तो सेक्शन 376 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती थी। महिला बेचारी होस्टाइल हो जाती थी। वह सोचती थी कि मैं कोर्ट में जाकर बदनाम होती फिरूंगी। कोर्ट में जाकर कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे जलील होना पड़ेगा। अब नाम बता कर, अपना काम बता कर, अपनी पहचान छुपा कर यदि कोई कहता है कि मैं शादी करूंगा और उसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट करता है, भले ही वह सहमति से भी करे तो उसमें भी दस साल की सजा का प्रोविजन रखा गया है। हमारे कानून में पहले कोई स्पष्टीकरण कहीं भी उजागर नहीं था। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता … (व्यवधान) सर, मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने दस मिनट के लिए बोला था। सर, मेरे पांच मिनट बढ़ा दीजिए।

सर, अब ट्रायल कोर्ट टाइम बाउंड मैनर में होंगी। 15 साल, 17 साल जैसे निशिकांत दुबे जी ने अभी जिक्र किया था। मैं अभी एक पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर खड़ा था। मैं मंच पर खड़ा हुआ हूं, नीचे कुछ लोगों का झगड़ा हो गया। विरोधी लोगों ने उनको बहला-फुसला कर कहा कि

* Not recorded as ordered by the Chair.

आप बिधूड़ी का नाम कहो। पुलिस ने कहा कि हम मौके पर मौजूद थे, बिधूड़ी जी झगड़े में थे ही नहीं, लेकिन कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर कह दिया कि पुलिस दबाव में आ जाती है और मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा। 14 वर्ष तक एक बेतुके धारा 323, 341 के मुकदमे में मुझे कोर्ट में जा-जाकर खड़ा होना पड़ता था। ये ...* जैसे लोग, बौने दुर्योधन लोगों को गुमराह करते थे कि रमेश बिधूड़ी हीनियस क्रिमिनल है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि किसी देश की अदालत में मेरे पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है। इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए अब टाइम बाउंड, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और वे फैसले किए जाने चाहिए। पुलिस इनवेस्टिगेशन के अंदर समाज की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकार – इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करके कानून में प्रोविजन किया गया है। यहां एक तरफ जहां पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, वहीं कोर्ट को भी पावर दी गई है ताकि अभियुक्त के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। मैं आगे आने वाले वक्तव्य में आपको बताना चाहूंगा। कम्युनिटी सर्विस के अंदर, इस प्रावधान के अंदर जो पेटी ऑफेंसेज होते थे, छोटे-मोटे अपराधी को सेक्शन 4(एफ) के अंदर समाज सेवा में लगाया जाएगा। अगर वह व्यक्ति जेल जाएगा, कोई छोटा-मोटा क्राइम हो गया, जेल में जाकर किसी बड़े क्रिमिनल की संगत में जाएगा, तो वे उसकी लाइफ को खराब कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे इन लोगों को बहला-फुसला कर पार्लियामेंट में कूदवा दिया। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी के संकल्प को भी यहां दोहराने का प्रयास किया है कि उन्हें सुधरने का मौका मिल जाए। ऐसे क्रिमिनल की रिफॉर्मिंग हो जाए। अगर मैं सेक्शन 473 की बात करूं, रेमिशन के अंदर 14 वर्ष के बाद अगर किसी को सजा हो गई, अभी बहन जैसे पंजाब के बारे में जिक्र कर रही थी कि 28 साल हो गए हैं, अगर आजीवन कारावास के बाद उसको यह अधिकार मिला हुआ है और स्टेट के अंदर वे अपनी पेटिशन में जाते हैं, तो सरकार को यह स्पष्टीकरण करना चाहिए कि 'एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट' शब्द लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सही होगी? एक स्टेट 'ए' है, उस

* Not recorded as ordered by the Chair.

स्टेट के अंदर क्राइम हो गया, दूसरी स्टेट 'बी' है। अगर 'ए' स्टेट के अंदर क्राइम हो गया और वह वहां की सरकार के दबाव में कहने लगे कि ट्रायल दूसरी स्टेट में किया जाना चाहिए। ट्रायल दूसरी स्टेट में जाकर हो गया। ट्रायल दूसरी स्टेट में जाकर होगा और उन्होंने कन्विक्टेड घोषित कर दिया, अगर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है या माफीनामे के लिए जाता है तो अदालत कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेगी। मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस राज्य में जुर्म हुआ है, उसी राज्य को एप्रोप्रिएट मानना चाहिए। उसी राज्य की सरकार देख सकती है कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। इसको भी यहां पर इसमें क्लियर करने की आवश्यकता है। सर, मेरा सरकार को सुझाव है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां अपराध हुआ है, उसको मानने के लिए … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, 11 मिनट हो चुके हैं।

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। यह बहुत जरूरी है। जो इनवेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वह एक रिस्पोंसबिलिटी के साथ, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके या अगर कोई दबंग व्यक्ति अपराध करता है उसके दबाव में आकर साक्ष्यों को खत्म कर देता है, तो लोअर कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा हो जाती है। हाई कोर्ट में वह बरी हो जाता है, अदालत में जज भी कहता है कि मुझे मालूम है कि यह क्रिमिनल है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री रमेश बिधूड़ी : लेकिन क्या करूं, मेरे पास कानून अंधा है, मेरे पास साक्ष्य पूर्ण नहीं है। इसलिए उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए।

जो साक्ष्य को टेम्पर करके किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराने में साबित होता है, अगर अदालत उसको बेकसूर करार दे या कोई कसूरवार साक्ष्य में कुछ कमी रहने के कारण बरी हो जाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए। 'मेरा भारत महान, सारा का सारा बेईमान।' हम ऐसे नारे बीस-तीस साल पहले सुनते थे। इससे देश की छवि खराब होती थी। ये सारी चीजें ये लोग बोला करते थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग की भाषा ये बोलते हैं। इस

कानून के मजबूत होने से दुनिया में भारत की इमेज बनेगी। लोग यहाँ पर इंवेस्ट करने के लिए आएंगे। वे सोचेंगे कि भारत का कानून भी सिंगापुर जैसा है, मैं वहाँ पर व्यवसाय करूँगा। काम करने के बाद मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए मुझे भी भारत में इंवेस्टमेंट करनी चाहिए।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Chairman. I want to speak on these Bills, namely the Postal Bill and the Criminal Bills that are coming for debate. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : वे तो डिस्कस हो चुके हैं।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I beg your pardon.

माननीय सभापति : वे बिल तो डिस्कस हो चुके हैं। वे पास भी हो चुके हैं।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: These Criminal Bills, which are being debated. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : जी हाँ, आप इस पर बोलें।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am talking about those. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Right.

… (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Do not get suspicious of me.

HON. CHAIRPERSON: No, I am not getting suspicious. You please go ahead.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am speaking on these three Bills, which are coming up, and I want to inform the House that this is an undemocratic practice of debating these Bills because the Opposition is not even present. Secondly, they are unconstitutional again because the Opposition is not present. The Supreme Court, after all, have declared them

ultra vires to the Constitution. Mr. Chairman, I propose that these Bills come up when the whole Opposition is present and these Bills are properly debated. It is because in many of the Acts of criminality death penalty has been given. Now, you will understand that in Qatar there are eight Indians who are to get capital punishment, and in Pakistan there is one Jadhav who is going to get capital punishment. Now, when the Foreign Office is negotiating with Qatar about not letting the Indians get capital punishment, with what morality will he say when Qatar says that in the new Bills you have introduced capital punishment for more crimes. The other thing that I want to bring to your notice is that these Bills are exclusive of the National Security Adviser, the RAW Secretary, IB Director and Military Intelligence Director General. They are not responsible to Parliament and their secret service funds are not audited. Now, what difference does it make if the National Security Adviser is not brought under the purview of Parliament? Then, all the actions of the National Security Adviser come upon the Prime Minister. There is no buffer between the Prime Minister and the National Security Adviser and these intelligence agencies. That is why I say that these intelligence agencies and the National Security Adviser must be brought under the purview of Parliament. ... *… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : इसका इस बिल से क्या संबंध है?

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am telling you very relevant things. … (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister wants to intervene.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी) : सभापति महोदय, हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है और कनाडा की गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाई है, जो बातें आप कह रहे हैं। … (व्यवधान) इस तरह के अनर्गल आरोप यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। … (व्यवधान) यह विदेश से संबंधित मामला है, इस पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। … (व्यवधान) ये इस कानून की बात करें, अपने देश में जो कानून हैं … (व्यवधान) आप बिल पर बोलिए। बिल के अलावा आप कैसे बोल रहे हैं? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have taken note of it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not speak about what is not related to the country.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Sir, they are related to our country. These are criminal acts. The National Security Adviser of America came here. … (*Interruptions*) Why are you running away?

HON. CHAIRPERSON: Please do not raise this issue.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मिस्टर मान, आप ऐसी बात मत बोलिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are deviating the debate. Please do not call the Chair with the name.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सर, व्यवस्था यह है कि जो विषय, अंतर्राष्ट्रीय धरती की घटना ये लेकर आ रहे हैं, हमारे सदन से उसका कोई सरोकार नहीं है। उसको एक्सपंज किया जाए।

माननीय सभापति : ठीक है, उसको देख लेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सरदार सिमरन जीत सिंह मान जी की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

… (व्यवधान) …*

माननीय सभापति : रूडी साहब, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, आज की इस चर्चा में स्वाभाविक तौर से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन कानूनों पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल रूडी जी का वक्तव्य रिकॉर्ड में जा रहा है। अन्य कोई सम्माननीय सदस्य न बोले।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, इन पूरे विधेयकों में जो चर्चा की गई है, उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि जब अंग्रेजों ने कानून बनाया, तो उससे पहले भी इस देश में भारतवासियों के लिए कोई कानून था। अंग्रेजों के कानून से पहले, मुगलों का साम्राज्य था। वहां, उस समय Mohammedan Law बनाकर देश में जस्टिस सिस्टम लागू किया जाता था। Quran

---

* Not recorded.

was the main source of law. उस समय काज़ी होते थे, जो क्रिमिनल जस्टिस का भी काम करते थे। उनका भी अपना एक स्वरूप था।

जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद English criminal law, as modified by several acts, was administered by the presidency towns of Calcutta, Madras and Mumbai. The system of administration of justice in the presidency town of Bombay was revised in the year 1827 and, from time to time, the law administered by the criminal courts was in accordance with the law laid down by Regulation Acts of 1827. But in the remaining presidencies of Calcutta and Madras, the Mohammedan criminal law remained in force. Subsequently, the British worked on that and they created the Indian Penal Code. So, the British also had the semblance of some of the provisions which were there to rule this country in an authoritarian way and those presidencies when we got the IPC and the CrPC in this country had some reminiscences of the old laws which prevailed in the country. So, this aspect was left behind by many of our hon. Members who spoke. I thought I would just flag it. It was a combination and reminiscence of certain Mughal rule provisions which possibly may have been carried into the IPC.

सर, इससे आगे बढ़ते हुए हम इस विषय पर अब आना चाहेंगे। हम सब 150 साल के बाद इस सदन में हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैं पुलिस प्रशासन, अपराध, लोगों को न्याय, न्यायिक प्रकिया आदि के बारे में देखता रहता था, क्योंकि मैं लॉ का भी विद्यार्थी रहा हूं और लॉ की भी प्रैक्टिस करता हूं। वह मेरा चौथा प्रोफेशन है। मैं कभी बैठे-बैठे सोचता था कि आखिर वह समय कब आएगा? जो इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो व्यवहारिक रूप से गलत हैं, चाहे मैं यहां बैठा हूं या आसन पर आप बैठे हैं, व्यवहारिक

रूप से हम महसूस करते थे कि ये चीजें गलत हैं। लेकिन चाहे वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे वह कोर्ट हो, चाहे लोअर अधीनस्थ न्यायालय हो, जिला अदालत हो या हाई कोर्ट हो, उसी पर केन्द्रित रहा। मेरा एक सपना पूरा हुआ कि आज इस सदन में, नए संसद भवन में हम लोगों ने 150 साल के कानून को निरस्त नहीं किया, उसमें जो अच्छी बातें थीं, उन्हें स्वीकार किया और इस देश में जो बातें अब लागू होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय को वर्ष 2019 में रखा था, तो शायद इसकी गंभीरता को हम सब लोगों ने नहीं समझा। आज 150 साल के बाद इस पूरे कानून में संशोधन करके अमित शाह जी इसे लेकर आए हैं और एक-एक प्रावधान को जब हम लोग पढ़कर देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि यह तो जिन्दगी में मैं कब से सोच रहा था कि कोई आकर करे और सचमुच देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा। जो सोच इस पिछले 75 वर्ष में, 26 जनवरी को यह 75वाँ वर्ष पूरा होगा, उसी बड़ी सोच को एक बड़ी धारा के तीन विधानों में परिवर्तन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है, जो शायद देश को मजबूत भी करेगा, प्रेरणात्मक भी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री को इस बड़े अभियान के लिए, बड़ी कार्यवाही के लिए मैं अपनी और सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो जैसे कि सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चाहे वह राजद्रोह से जुड़ा हुआ था, चाहे वह खजाने की लूट से जुड़ा हुआ था या शासन के अधिकारी, पर वह सब था, जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने का था। स्वाभाविक है और कई बार आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकारी काम में बाधा का जो कानून है, वह सबसे खतरनाक कानून है। अगर किसी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि या किसी को भी दुखी करना है तो उस पर एक साधारण सी धारा ठोक दीजिए कि सरकारी काम में बाधा और उसमें कोर्ट में बेल भी नहीं होती है। कम से कम आज वैसी स्थिति आ गई है कि उस पर चर्चा करके हम लोग संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि प्रक्रियात्मक तौर से कई सारे कदम हम लोग उठाते हैं, जो धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन होते हैं, लेकिन अगर उसमें एक यह धारा लग जाए कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो बड़े आन्दोलन का भी स्वरूप बदल जाता है और वह अपराध का स्वरूप ले लेता है।

बड़ा कंसल्टेशन हुआ, कंसल्टेशन चाहे जजेज से हो, राजनीतिक लोगों से हो, विश्वविद्यालयों से हो, राज्यपालों से हो, स्टेक होल्डर्स से हो, सामान्य नागरिकों से हो, चारों तरफ से कंसल्टेशन हुआ और कई सारे संशोधन किए गए। कम से कम आज जो हम लोग परहेज करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। वे शब्द कि 'Parliament of United Kingdom','Provincial Act','London Gazette',`Jury' and `Barrister', पता नहीं आज भी आप लोगों की कोर्ट में होता है या नहीं, लेकिन बिहार में अभी भी जज साहब को हम हुज़ूर, हाकिम से संबोधित करते हैं कि हुज़ूर सुना जाए, हाकिम सुना जाए। आज भी अंग्रेजों के जो वे शब्द थे, गुलामी वाले शब्द, पता नहीं कोर्ट में अब उनमें संशोधन हुआ है या नहीं और कई बार लोग कहते हैं कि माई लॉर्ड भी एक ऐसा शब्द है, जो It is a symbol of insubordination. But I do not know. I do not have to comment on that, लेकिन हुज़ूर, हाकिम, इन शब्दों का उपयोग आज भी बिहार की कोर्ट में होता है। पता नहीं बाकी सारी कोर्ट्स में क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता हूँ। यह इस प्रकार से है। वे बड़े शब्द `Great Britain',`British Crown',`Her Majesty', इन सब चीजों से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। एक चीज और हो रही थी कि इस कानून से, क्योंकि मोटे तौर से 150 साल से यह कानून था, लोगों का भरोसा कोर्ट में, एक तो न्यायिक प्रक्रिया इस भारत में पुलिस से प्रारम्भ होती है। मेरे इलाके में जब भी कोई नया अफसर आता है, चाहे वह छोटे ओहदे का हो, मैं उससे यही विनती करता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ से जो न्याय मिलेगा, वह न्याय भगवान के न्याय से बड़ा न्याय होगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपनी डायरी में सही बात लिख दे तो गरीब को न्याय वहीं मिलता है। प्रत्येक दिन हम लोग गाँव, देहात में रहते हैं, पता चलता है कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर आयी है। डेली वेजेज पर उसका पति काम करता है। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। पता चला कि उसके पति को, वह अपराधी है, नहीं है, वह सब तो हम लोग तय नहीं कर सकते, उसका पति जेल चला गया। उस महिला को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमारे पास लेकर आता है कि इनका मदद कर देहीं, ये बहुत गरीब बा। वह यह नहीं कहता है कि उसका पति अपराध में शामिल है या नहीं

शामिल है। पुलिस की जो एक प्रक्रिया है कि वह अपना स्टेशन, एंट्री, डायरी करके किसी केस में, सभापति महोदय जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ सदन में हैं, हमारा नाम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी के विटनेस के रूप में डाल दिया जाएगा और 5 लोग कह दें कि ये वहाँ उपस्थित थे, सिर्फ 5 गवाह लगा दें और 5 गवाह ऑथेंटिक हैं, जिनको कोर्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप अपराधी करार दिए जाएंगे।

सभापति जी, हमने कई बार देखा है कि किसी इनवेस्टीगेशन में विटनेसेज गलत आरोप लगाकर अपना बयान देते हैं, तो आईओ की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि सच्चाई और साक्ष्य यदि अलग हैं तो निष्पक्ष होकर केस डायरी करे। इसके लिए मजबूती से इसमें प्रावधान किया गया है। प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। यदि अपराध ऐसा हो कि गिरफ्तार करने की जरूरत है तो पुलिस रात को छापा मारती है। यदि कोई जुआ खेलता है, तो उसके घर भी पुलिस छापा मारती है। जब पुलिस छापा मारती है तो गांव वाले पुलिस को पीट देते हैं। फिर पुलिसकर्मी एसपी को बताते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो गया। पुलिस को लगता है कि जिले में मेरा ओहदा कम हो रहा है, इसलिए पूरी फोर्स के साथ छापा डालते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को भी मारा जाता है और बाद में थाने में लोगों को बंद कर दिया जाता है। फिर सांसद महोदय के पास फोन आता है कि हम पर अत्याचार हुआ है। हम उसके दरवाजे पर जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच पुलिस ने अत्याचार किया है। एसपी से पूछते हैं तो वे कहते हैं ऐसे-ऐसे बात हुई है। न्याय का पहला द्वार थाना है, वह आईओ है जो यदि न्याय दे दे, तो बात संभल जाती है। यदि उनमें प्रशासकीय काबिलियत हो तो काफी विषयों को उसी स्तर पर देखा जा सकता है। डायरी लिखने के बाद आईओ देखता है कि इतने दिन के बाद इसे चालान कर देना है। उसके ऊपर केस के अनुसंधान का दबाव नहीं है। उसके ऊपर यह दबाव है कि चार्जशीट पेश कर दे। यह स्वाभाविक है कि यदि केस चलेगा तो कोर्ट में केस पेंडिंग होते जाएंगे। कई केस वर्षों तक चलते रहते हैं। यह प्रावधान बहुत बड़ा है और कठिन भी है। इसे लागू करने में सरकार को कठिनाई भी होगी कि यदि कोई भी आपराधिक वारदात हो

तो उसमें फोरेंसिक एविडेंस मस्ट हो। यह भी देख सकते हैं कि फारेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने में दो, चार, सात या आठ साल का समय भी लग जाता है और तब तक केस वैसे ही खत्म हो जाता है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 11 मिनट का समय हो चुका है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति जी, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं। श्री श्रीलाल शुक्ल आईसीएस आफिसर थे।

माननीय सभापति : हाँ, मैंने उनकी पुस्तक राग दरबारी पढ़ी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उस पुस्तक में दरोगा का जो चित्रण अंग्रेजों के समय किया था कि लूंगी पहन करके भांग घोट रहा है, वह बैठा हुआ है और चौकीदार घूम रहा है। महोदय, कम से कम उस वातावरण से हम बहुत आगे आ गए हैं। माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि यदि कस्टडी में किसी को लिया जाता है तो मैनडेटरी सर्टिफिकेट उसके परिवार वालों को सूचना देना है। हमारे पास लोग आते थे कि पता लगाओ कहां गया, कोर्ट के पास जाओ, हैबियस कॉर्पस लगाओ। ऑन लाइन सूचना देने की व्यवस्था करना बहुत अच्छा कदम है। यौन उत्पीड़न में यदि कोई महिला बयान देती है तो उसकी वीडियो रिकार्डिंग करना एक्ट्रा आर्डिनरी कदम है। आरोप डायरी में लिखते रहिए, नाम डालते रहिए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने की बहुत जरूरत थी। चार्जशीट 90 दिन के अंदर दे देनी है। ऐसा नहीं कि चार्जशीट कर दी और पांच साल तक डायरी इनवेस्टीगेशन हो रही है और दारोगा बदल गया। हम पैरवी कर रहे हैं कि नाम डालो, नाम निकालो। बिहार का पुलिस प्रशासन इस मामले में बहुत अच्छा है। डीम्ड परमिशन – यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप बनता है और सरकार उसे 120 दिनों के भीतर अनुमति नहीं देती है और अधिकारी गलत करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। यह बहुत बड़ा निर्णय है, नहीं तो सरकार से अनुमति आने में वर्षों लग जाते थे। अमित शाह जी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है, उसका फायदा इसमें मिला है। एसपी साहब ने केस इनवेस्टीगेट किया और केस इनवेस्टीगेट करते-करते डीजी बन गए। डीजी बनने के बाद में कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते और जब तक उनका बयान नहीं होगा, तब तक केस खत्म नहीं होगा। अब

यह तय हो गया है कि जो एसपी लेवल पर केस है, चाहे वह फाइल इंस्टीट्यूशनली उसके पास रहेगी और वही उसके लिए जिम्मेदार होगा। महोदय, आपने देखा होगा कि पांच लोग अभियुक्त हैं। एक हाजिर हो गया लेकिन चार आदमी हाजिर नहीं हो रहे हैं। जब तक सब हाजिर नहीं होंगे, तब तक केस नहीं चलेगा। अब प्रावधानों में उसे खत्म किया है। आर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। चेन स्नेचिंग तो कोई ऑफेंस ही नहीं होता था।

महोदय, इसमें एक ह्यूमन टच है। पहले यह होता था कि कोई गरीब आदमी है, विकलांग आदमी है, अगर उस पर केस हो गया, उस पर आरोप लग गया और साबित हो गया तो उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता था, जैसे कि किसी ठीक-ठाक आदमी के साथ ट्रीट किया जाता है। आपने चाइल्ड ऑफेंसेज पर किया है। महोदय, हम सब नेता यहां बैठे हुए हैं। अगर हम अपराध करके इस सदन में आते हैं तो क्या आपके पास यह मानवीय अधिकार है कि आप इस सदन से कानून पारित करके मुझे रिहा कर देंगे? बिहार में बिहार की सरकार ने राजनीति के लिए 22 ऐसे लोगों को, जिन पर आजीवन कारावास का दंड था, जिन पर आपराधिक मामले थे, जैसे हत्या का, लूट इत्यादि का केस था, उन सबको बिहार की सरकार ने छोड़ दिया। क्या यह सही है? महोदय, मैं बिहार से आता हूं। वर्ष 1990 में जब मैं विधायक बना तो मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे मित्र थे, जो गोलियों का शिकार हो गए या भगवान को प्यारे हो गये या उन्हें आजीवन कारावास हो गया। यह ईश्वर की दया है कि मैं यहां पर हूं। बिहार राज्य में, जहां चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए आर्मरी खोल कर हथियार जारी किए जाते थे, मैं वैसे राज्य से राजनीति करके आया हूं। मैंने अपराध को अपनी आंखों से देखा है। भगवान की कृपा है, अपने मित्रों की और अपने परिवार की कृपा है कि मैं अपराध की दुनिया से चुनाव जीत कर आया हूं। महोदय, एक बात बताइए। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। मैंने 11 सालों तक केस लड़ा। जब-जब मैं छपरा कोर्ट में जाता था, जिले में यह हेडलाइन्स में आता था कि राजीव प्रताप रूडी कोर्ट में एपियर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो। अपराध यही था कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले सर्किट

हाउस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए मैं ऑथोराइज्ड था और वहां के एसडीओ ने मुझ पर केस कर दिया। फिर दस सालों तक मैं कोर्ट में एपियर होता रहा।

माननीय सभापति : आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। प्रसंग को संक्षिप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, चूंकि वहां की सरकार मेरे पक्ष में नहीं है तो वहां की पुलिस चुनावों में मुझ पर लगातार केस करती रही। मैंने एक में भी बेल नहीं ली। मैंने कहा कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगा, अगले दिन यह फाइनल हो गया और मुझे कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। सिस्टम में इतने सारे लूपहोल्स हैं, जिन्हें हम दूर करना चाहेंगे।

आज देश की सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह काम कर दिखाया है। बहुत सारे मुद्दे और भी हैं। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। महोदय, अभी हाल-फिलहाल में चुनाव परिणाम आए और ये परिणाम हतप्रभ करने वाले थे। अब मुझे समझ में आता है कि देश के प्रधान मंत्री ने गरीबों के लिए किस प्रकार से धरातल पर जाकर काम किया है। यह कानून भी उन गरीबों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। मैं देश की सरकार, खासकर, प्रधान मंत्री जी को, अमित शाह जी को और अपने सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज हम लोग इस सदन में इस पर चर्चा करके इसे पारित करेंगे और इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करेंगे।

महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में अपना मंतव्य देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on these important Bills.

Sir, we are replacing three Acts with three new Bills. When I was going through the Bills which have been presented by the Treasury Benches, three cases came to my mind. The first one is this. In the first year of this term, an incident of rape and murder had happened in Hyderabad. When it happened, common men had actually asked for an immediate justice and everything. But what was surprising to me was that even the hon. Members in this House were also vying for an instant justice, and they were asking that something should be done to the perpetrators. So, this is the first thing that has come to my mind.

<u>14.00 hrs</u>

The second one is about a recent acquittal of accused in the Noida serial murder case. The said case had gone on for almost seventeen years. They were in jail for seventeen years. After seventeen years, the court had given a death sentence. Then, it went back on the decision. Then again, the court has acquitted them because there is no evidence. This shows that, in India, the process becomes a punishment. So, this is the second case that has come to my mind.

The third case is this. We all have seen what happened in Manipur where two women were paraded naked, and it took more than 14 days for the FIR to be registered. It also gives us this idea, and it also throws this real idea towards us, that law and justice which is available in this country, sometimes is not equally available.

Sometimes it is available for the people who have access to good lawyers and who have good access to the police and justice system. They are able to get justice but that is not available to everyone. So, these three cases have come to my mind. I appreciate the Home Minister that he has come forward to repeal the old Acts which are there from the times of British. It is almost 150 years. So, I appreciate the Prime Minister and the Home Minister for coming with this Bill.

14.01 hrs (Shri Shrirang Appa Barne *in the Chair*)

While appreciating this, I have some reservations. There is hypocrisy that is present in these three Bills which I want to raise. I also want some clarifications on these three Bills.

Coming to Clause 187 of BNSS, there is police custody that has been mentioned in this. Earlier, there was a custody of 24 hours. Within 24 hours, they have to go to Magistrate and seek the time for further 14 days custody. But now, it has been extended to almost 90 days wherein the police can go to Magistrate and ask for repeated custody. So, in a way, again I am saying that process itself is a punishment. Someone who has not committed any wrong can be put in jail for almost 90 days, when the police seek repeated custody. This is one thing on which I want to have a clarity from the hon. Minister. Is this applicable only to certain cases or is there any leeway in this whole thing? It is because on the one side, we are saying that there are so many undertrials who are in jails and need to be released, and on the other side, we are saying that

the police can seek the custody up to 90 days. This is contradictory to what the Government is saying and what is actually presented in this Bill.

My second thing is with respect to Clauses 20 and 21 of Bharatiya Nyaya Sanhita where the minimum age of the child for any criminal act has been mentioned as seven years. You can compare with any of the nations that are very well developed like US and UK. In US, it is 11 years and in UK, it is about 12 to 15 years. So, the age of a child of seven years in India is too low. It is actually a reflection of what society is. It is not just finding seven years old child who has done something wrong could be labelled as criminal but actually, it shows what the society is. When we talk about our economy that is growing at jet speed and we being in the top five economies of the world, that should not be confined only to economy. We should compare ourselves with what other countries are doing in this procedure. So, we should try to imitate and at least try to take some lessons from them as to why they have put 11 years to 13 years as minimum age in other countries. So, I would request the Minister to look into it and give a clarity whether this can be readjusted.

With regard to some of the civil laws, these civil laws have been incorporated as criminal laws. Not that one or two Members of this House had mentioned about this, many Members have mentioned about this aspect in this House. A lot of cases which are civil in nature are registered as criminal cases so that they can be harassed. It is not just Members will face the problem but even common people will also have the problem.

All of us are expecting that when you are repealing the old laws and coming up with the new laws, these things will be ironed out. But, unfortunately, even defamation cases are still treated as criminal cases. So, I request the Minister to give clarity whether these laws will be reformed so that criminal cases and civil cases will have a clear difference.

With regard to Clause 107 of BNS, death penalty is retained. The country is moving forward. The society is moving forward. Most of the countries have banned the death penalty. Somehow, we still have mentioned death penalty in this Bill. More than this, if you see statistics, not just the Indian statistics but statistics across the world, people who have actually gone ahead with the death penalties are those who do not have access to the judicial system and who cannot afford a good lawyer. They are the ones who were punished in the harshest way.

Owaisi ji has already mentioned that Dalits, Tribals and Minorities will be more affected. So, I request the Minister to give clarity on this thing.

Coming to Clauses 150, 195 and 257 of Bharatiya Nyaya Sanhita, there is a definition with regard to acts against sovereignty of India. I am proud to say that this is a country where we fought a lot for our rights and our freedom struggle as well. Even in Indira Gandhi's time, this country has fought for so many things.

But something has been included in these laws as sedition. I want a clarity from the Ministry on this. We have seen recently as to what has happened with the farm laws. Farmers from Haryana and Rajasthan staged a

protest. It was a peaceful protest. They protested against the farm laws so that their rights can be taken care of. If you put that as a sedition, if you put that as acts against sovereignty of this country, then it does not make any sense. So, I request the Ministry to give a clarity on this.

With regard to Clause 133 of BNS, definition of terrorist acts is too broad. Both the State Governments and the Union Government have various laws relating to this. I request that all the laws should come under one heading so that it does not become too broad.

I now come to Clause 43(3) of BNS with regard to handcuffs. These days putting someone in handcuffs and parading him itself shows how regressive it is. If we do this thing with someone before he is convicted, it does not suit well to a country which is moving forward like India.

Sir, I welcome this Bill. But I want to say something about Indian forensic labs. When we are talking about the Noida killings, obviously there is a very much requirement for our national forensic labs to get better. But how do they get better? We are putting the cart before the ox and asking it to move forward. The problem is, unless we improve our forensic labs, they cannot perform well. Just bringing in the Bill does not ensure its improvement.

If we see the vacancy rate, almost 40 per cent posts are vacant in most of the forensic labs. About one of every three posts in each forensic science laboratory is vacant. These are the statistics which are available. When we have statistics like this, when there is not enough money to fund these labs, when there are not enough people to man these labs, when there is not

enough equipment in these labs, how can we expect the Forensic Department to do well and bring justice to the people?

I appreciate that the Home Ministry and the Treasury Benches have come up with these three laws. But let us not make just a small dent. Let us make a huge dent in these three laws and make them as black and white as possible. Do not leave too many grey areas. Our judiciary is already over-burdened with giving clarifications on various laws that have been passed in the Parliament. Do not give another chance to the judiciary so that it spends more time in giving clarity to the laws. With that, I appreciate the Home Ministry for coming up with these three laws. Thank you very much.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपका और विशेष तौर पर अपनी पार्टी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक विधेयकों पर मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय न्याय संहिता 2023 जैसे विधेयक चर्चा के लिए इस सदन में लाए। इन विधेयकों से अनेक परिवर्तन आने वाले हैं।

महोदय, यहां पर पहले भी बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो प्रावधान थे, वे अब बदले जाएंगे। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, देशद्रोह और धोखाधड़ी जैसे केसों में तेजी से फैसले आएंगे।

पहले के पुराने कानूनों के बजाए नए कानून लाए जा रहे हैं, जिनसे देश भर के नागरिकों को लाभ पहुंचने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 1,500 से ज्यादा कानूनों को हटाया है जिनकी जरूरत ही नहीं थी और बहुत सारे नए कानून बनाए गए, जिनकी जरूरत है और आज के मुताबिक उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी ने देश के हर एक नागरिक को न्याय दिया। अब इन बिलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को भी जो न्याय में देरी होती थी, उस न्याय प्रक्रिया में राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि इससे एफआईआर प्रक्रिया में भी राहत मिलेगी। हम सब जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाने में भी कितनी परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था। हमने देखा है कि कई-कई बार, कई-कई दिन थाने के चक्कर काटते रहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब वह प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है। महोदय, जम्मू-कश्मीर में पुराने कानूनों की वजह से कई परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था। इसीलिए, देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया गया। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता रहा और आतंकवादियों को संरक्षण भी मिलता रहा।

यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कहते रहे। आर्टिकल 35 ए, जिसे हटा दिया गया है, उससे महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था। अब महिलाओं को इन विधेयकों के माध्यम से और भी मान-सम्मान मिलने वाला है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों की कमी नहीं थी। अब उन पर लगाम लगाई गई है और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। पहले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। जो जिसके मन में आया, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी गई और जिस गरीब की एफआईआर दर्ज करनी थी, उसकी दर्ज नहीं होती थी। मैं कहना चाहता हूं कि अब गरीब और असहाय लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उनके साथ भी न्याय होगा।

महोदय, ये कानून नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु हैं। इनमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। अब न्याय में तेजी आएगी और इंसाफ मिलेगा, सामाजिक समरसता बनी रहेगी और ऑडियो-वीडियो का भी उपयोग होगा। बलात्कार पर रिपोर्ट जल्दी मिले, इसके भी प्रावधान यहां पर किए गए हैं। पीड़ित को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब पीड़ित तंग नहीं होंगे, उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। इस बिल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी आधार बनाया जा रहा है। जो टेस्ट ऐसे थे, जिनमें 6-6 महीने, कई-कई साल लग जाते थे, अब उनमें भी तेजी लाई जाएगी और न्याय भी तेजी से मिलेगा। महोदय, अब निर्णय प्रक्रिया में देरी नहीं होगी और 30 दिनों के अंदर जो निर्णय लिया गया है, उसे सार्वजनिक करना होगा। मोबाइल और चैन छीनने जैसे अपराधों पर भी अब अंकुश लगेगा, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और इन्हें भी एक अपराध माना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ लम्बित हैं, जिनसे लोगों और समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये विधेयक, जिन पर आज चर्चा हो रही है, जिन्हें गृह मंत्री जी यहां पर लाए हैं, उन कानूनों के माध्यम से देश के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब केस के निपटारे भी जल्दी होंगे और न्याय प्रक्रिया भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी। जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, वह कमजोर कानूनों की वजह से भी मिलता रहा है। ऐसा माना जाता है। अब अलगाववाद को बढ़ावा

देने वालों, बयानबाजी करने वालों पर और राजद्रोह की बातें करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर भी अंकुश लगेगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इस बिल में सारे प्रावधान रखे गए हैं। इस बिल में कहा गया है, सम्मन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी यहां प्रावधान रखे गए हैं। पहले क्या होता था, पुलिस को सम्मन देने के लिए कई-कई दिन लग जाते थे, फिर डाक द्वारा भी सम्मन भेजे जाते थे। अब नयी व्यवस्था के माध्यम से मोबाइल, ई-मेल और बाकी प्रावधान रखे गए हैं, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले कोई भी कोर्ट में केस रजिस्टर करा देता था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाना होगा, उसे भी बुलाकर सुना जाएगा। आज मार्डन टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जिससे केसों का निपटारा जल्दी होगा, जो पहले सालों साल पेन्डिंग रहते थे, इन्वेस्टीगेशन भी जल्दी होगा और प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होगी। अंत में, मिलावट करने वाले के खिलाफ भी सख्त काननू यहां बनाए गए हैं, चाहे खाने वाली वस्तुएं हों या दवाएं हों, उसके लिए भी यहां प्रावधान रखे गए हैं। मैं एक-दो बात कहकर अपना कथन समाप्त करूंगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है, माताओं व बहनों, कमजोर और सीधे-सादे लोगों को रोजगार का झांसा देकर, विवाह, पदोन्नति और झूठा वादा करके और अपनी पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाते थे, अब इसे एक नया अपराध बनाया गया है। इससे अपराधी को दंड मिलेगा और उनमें डर पैदा होगा। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है और एक व्यक्ति मर जाता है और दूसरा ठीक रहता है, लेकिन वह भाग जाता है। न वह पुलिस को खबर देता है न ही घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है, अब इसे भी बहुत बड़ा अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी। यह बिल सभी को राहत देने वाला है, माताओं, बहनों, नौजवान, बीमार, दिव्यांग और गांव-गरीब किसान के हित में है। विपक्ष ने कभी भी देश हित में कोई काम नहीं किया इसीलिए वे इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on these very important Bills. The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023, and the Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 are the proposed replacements for the Indian Penal Code, 1860; the Code of Criminal Procedure, 1898; and the Indian Evidence Act, 1872. I, on behalf of my Party Biju Janta Dal hail the introduction of these new laws as the biggest criminal law reform in the last 76 years. The three new criminal laws will get rid of all the colonial influence from the criminal justice system. The old criminal laws were made to protect the colonialists, and the new laws have been made to protect the rights of the citizens of India. The existing criminal laws make it difficult for the poor to access justice. The rate of conviction is low. As a result of this, the prisons are over-crowded with under trials. These Bills seek to modernize the current legal framework and overhaul the criminal justice system.

Sir, the revision of India's colonial era criminal law is undeniably complex as the functionaries and stakeholders of this legal framework have been conditioned for the same for over 162 years. The Indian Criminal Law is undoubtedly an instrument of social control, and is moulding and guiding us in more ways than one. The Bills hold the potential to shape the future landscape of criminal law. Therefore, the task of testing their sustainability, efficacy, adherence to rule of law and justice delivery capacity becomes paramount.

Sir, the Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita Bill defines terrorism and offences such as separatism and armed rebellion against the Government, challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law. It repeals the offence of sedition which was widely criticized as a colonial relic that curbed free speech and dissent.

Sir, the Bill introduces community service as a form of punishment for specific crimes which can help in reforming offenders and reducing overcrowding in prisons.

This Bill prescribes capital punishment as the maximum sentence for mob lynching which has been a menace in recent years.

Sir, the Bill proposes 10 years imprisonment for sexual intercourse with women on false promise of marriage which is a common form of deception and exploitation. However, marital rape has not been criminalised despite India having tough laws to deter sexual violence against women.

There also exist formidable institutional challenges. For instance, the Bill proposes that every crime scene must undergo forensic investigation. But is India's forensic system ready to handle that? We do not have proper infrastructure for it. We are in shortage of judges, prosecutors, police personnel, forensic experts and legal aid lawyers. For a country of 135 million, there are only 21 judges per million population. There are almost 400 vacancies in the High Courts and around 35 per cent of the posts are lying vacant in the lower judiciary.

Sir, the Criminal Procedure Code provides for the procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various Acts. The primary objective of CrPC is to ensure fair and just criminal proceedings while protecting the rights of the accused and victims.

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill will replace CrPC and will have 531 Sections instead of 478. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill has addressed the gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw the prosecution of a case with the consent of the court but with an important addition that the victim must be heard before such withdrawal. This is a significant step towards recognizing the victim as a stakeholder in the criminal trial.

Sir, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill widens the scope to any police officer regarding the medical examination of the accused at the request of a police officer. This creates greater risk of improper collection of samples by junior officers who may not have the required skills, training or experience. This may adversely affect the right of the accused to fair trial and right to privacy.

There has been overall emphasis on the use of technology at every stage of criminal legal process. Considering the risk of manipulation of evidence and possibility of misuse of police power, the mandatory inclusion of audio-video recording in search and seizure proceedings is a laudable addition proposed. But important thing to note here is that there is no clear provision mentioned under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill that entitles the

persons concerned including the accused access to the audio-video recordings. This must be remedied. It also misses the opportunity to introduce the requirement for audio-video recording of other crucial processes during an investigation like spot inspections.

The Indian Evidence Act contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian courts of law. The Bharatiya Sakshya Bill replacing the Indian Evidence Act defines electronic evidence as any information generated or transmitted by any device or system that is capable of being stored or retrieved by any means. It lays down specific criteria for admissibility of electronic evidence such as authenticity, integrity, reliability which can prevent misuse or tempering of digital data.

It introduces the resumption of innocence as a fundamental principle of the criminal justice system, which means that every person accused of an offence is presumed to be innocent until proven guilty beyond reasonable doubt.

Sir, in conclusion, I would like to thank and congratulate the hon. Home Minister and this Government for brining this transformative and progressive Bill which was the need of the hour. The laws are made to keep India’s criminal justice system in sync with the global changes and a futuristic vision.

Laws are not passed to signify the knowledge of the legislators but for the benefit of the people and it needs to be updated time and again depending upon relevance.

With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया गया है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने सम्बोधन में जिन 5 प्रणों का जिक्र किया था, उसमें से जो दूसरा प्रण है, वह यह है कि इस देश और देश के लोगों की मानसिक गुलामी का नामो-निशान मिटाना होगा तथा उससे मुक्ति पाना होगा। यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था। आज उसी राह पर चलते हुए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी यह बिल इस सदन में लेकर आए हैं। इंडियन पीनल कोड, 1860 को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता बिल, 2023, सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल तथा उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 को खत्म करके भारतीय साक्ष्य बिल, 2023 लाए गए हैं, के समर्थन में स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आजादी के कई सालों बाद, 75 साल पूरे होने के बाद और आजादी से पहले 75 सालों तक जो कानून चला, यानी करीब डेढ़ सौ साल बाद इस गुलामी की मानसिकता के कानून को रिफॉर्म किया जा रहा है। … (व्यवधान) इसके माध्यम से इस देश में जो पहले का कानून दंड पर निर्धारित था, उसको जस्टिस पर लेकर आ रहा है। आज मैं उन शहीदों को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपना बलिदान दिया । फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस, जिनको 11 अगस्त, 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी चढ़ाकर शहीद कर दिया, आखिर उनका जुर्म क्या था? अंग्रेजों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की, लेकिन खुदीराम बोस जी मानते थे और उन्होंने पूरे देश में यह प्रचार भी किया कि गुलामी से ज्यादा, गुलामी से बढ़कर बीमारी क्या हो सकती है? यह खुदीराम बोस जी का कहना है। … (व्यवधान)

14.29 hrs

At this stage, Shri Thomas Chazhikadan and Adv. A. M. Ariff came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

14.30 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

> "That this House, having taken a serious note of the grave misconduct of Shri Thomas Chazhikadan and Adv. A.M. Ariff, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, through display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That this House, having taken a serious note of the grave misconduct of Shri Thomas Chazhikadan and Adv. A.M. Ariff, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, through display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

The motion was adopted.

14.31 hrs

BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023,
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023
AND
BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023…Contd.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मैं कह रहा था कि 11 अगस्त हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 11 अगस्त, 1908 को खुदीराम बोस जी, जो इस देश के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, उस दिन उनका शहीदी बलिदान दिवस था, उसी बलिदान दिवस के दिन 11 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी इस कानून को इस सदन में लेकर आए थे, जिससे अंग्रेजों की मेंटलिटी खत्म हो। मैं इसका स्वागत करता हूं।

सर, इस नए बिल के माध्यम से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा ओवरहॉल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा और लोअर पेंडेंसी हो जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर सभी माननीय सांसदगण ने बोला है। जब इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया तो मेरा उस कमेटी का सदस्य बनने का भी सौभाग्य रहा और मुझे उस कमेटी के जरिए भी योगदान देने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं कि हम अमृत काल में हैं। इस अमृत काल में माननीय प्रधान मंत्री जी इंसाफ और न्याय का अमृत लाने की कृपा कर रहे हैं। इस देश के प्रति माननीय प्रधान मंत्री जी का जो विज़न है, मोदी जी का जो सपना है कि इस देश के हर एक नागरिक को जस्टिस मिले, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो और चाहे जो भी उसकी पहचान हो।

सर, मैं अभी औवेसी साहब को सुन रहा था। वह बड़े विद्धान वकील हैं। मैं उनके वक्तव्य से एक चीज़ नहीं समझ पाया कि उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म और एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि कानून धर्म और पहचान को देखकर नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देखकर काम करेगा। मैं भी माइनोरिटी

कम्युनिटी से आता हूं। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी आधी बुद्धिस्ट माइनोरिटी है और आधी मुसलमान माइनोरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लद्दाख के जो मुसलमान हैं, वह हाई रेट पर हैं। अभी औवेसी साहब ने जो डेटा दिया कि इतने परसेंट या उतने परसेंट अपराधी लिस्ट में नहीं आते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : वहां बहुत सज्जन लोग रहते हैं। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि कानून किसी के धर्म और पहचान को देखकर नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देखकर काम करेगा। इन नए तीनों बिलों के आने के बाद और भी सख्ती से काम करेंगे। आजादी के अंदोलन के समय एक नारा चला था कि – अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं, बल्कि अंग्रेजों की आत्मा छोड़ देने की बात थी, लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए और काले कानून छोड़ गए। वह हम भारतवासियों को उत्तराधिकार में सौंप गए। उन काले कानून की प्रक्रिया को लगातार रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। इस बिल में सेडेशन का केस खत्म किया जा रहा है। सेडेशन, यानी राजद्रोह, इसमें आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आज मोदी जी यह एंश्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजद्रोह को हटाकर राष्ट्रद्रोह का कानून इस बिल में ला रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सर, मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का टाइम दिया गया है और मुझे दो ही मिनट बोलते हुए हुए हैं।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपकी पार्टी ने जितना टाइम दिया है, वह खत्म हो गया है। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सर, इस बिल के माध्यम से इतना रेवोल्यूशन, इतना रिफॉर्म, इतना चैंज क्यों चाहिए था? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि रोड पर एक्सिडेंट देखकर बहुत सारे लोग नजर चुराकर साइड से गुजर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसको बचाना नहीं चाहते हैं, यह नहीं है कि उसके मन में दया नहीं है, लेकिन वह यह समझते हैं कि उसको बचाने के चक्कर में उसे ख्वामखवाह गवाह बनना पड़ेगा, ख्वामखवाह कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि everyone is equal before law. कानून के सामने सब एक ही हैं। लेकिन हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है जो बहुत महंगा है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं।

माननीय सभापति : डॉ. जयंत कुमार राय।

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak in this august House.

First of all, I would like to convey my heartfelt gratitude to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for providing us Circuit Bench in Jalpaiguri. I am also grateful to the hon. Home Minister for his relentlessness effort towards freeing Indian criminal justice system from the clutches of British colonial legacy.

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 was first introduced in August, 2023, which seeks to repeal the Indian Penal Code, 1860. The main changes include provisions related to sedition, offences against women and vulnerable groups, terrorism, and offences against the State also. The need for bringing out a new substantive law is due to the evolving nature of crimes in the society. There has been changes in technology thereby there is change in accepted social norms, change in nature of economic crimes and also ever-growing crimes against the vulnerable sections of the country. Another important reason for which this law has been brought is to strike down omission of offences through court judgements such as adultery and same-sex intercourse. As my previous speaker was mentioning that it removes sedition, which was there in the IPC, and it has added some provisions for attempts to excite, secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers our sovereignty, unity and integrity. Therefore, with this new provision, the ambit of activities has been clearly defined and broadened. Additions are related to use of electronic

communication and use of financial means as tools for indulging in activities, which could be against the integrity and sovereignty of the country. This was absent in the IPC.

There is a very important issue that this Bill addresses. The exact definition of 'terrorism' was not only absent in IPC, but also in UAPA, 1967. The Bill has proposed to add hefty financial penalties for terrorist activities. There is a provision of mandatory minimum fine in this Bill from Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh. The BNS Bill has also incorporated a specific provision on 'mob lynching'. I am myself a victim of mob attack. In 2021, on 11th June, I was attacked by a group of people belonging to TMC Party, but no one has been punished yet. I have not got justice. The current IPC does not have any separate law on mob lynching. But this Bill now has incorporated specific provisions for mob lynching where seven years' imprisonment or death penalty has been stipulated. This separate law on mob lynching would ensure holding people accountable in lynching activities. For the first time, 'organised crime' has been defined and the inclusion of organised crime aligns with the international obligation of India and endeavours to adopt global practices. सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले स्पेशली फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद दोषी के विदेश भाग जाने से उसका प्रॉसिक्यूशन नहीं होता था, but under this Bill, they will also be prosecuted. The Bill also proposes to increase the age of a girl from 16 to 18 years for child related legislation and creates uniformity in the age of children. Women have also got some benefits in this Bill.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिए। अभी बोलने के लिए और भी मैम्बर्स हैं।

डॉ. जयंत कुमार राय : सर, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

माननीय सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

DR. JAYANTA KUMAR ROY: While courts have dealt with several cases of women complaining against rape on the basis of breach of promise of marriage, there is no such specific provision in this IPC which leads to confusion. Thus, section 69 which criminalises sexual intercourse not amounting to rape through deceitful means is reducing confusion and is for the benefit of women.

The provisions relating to kidnapping of children, trafficking, employing or procuring minors to commit offences are also gender neutral in this Bill.

The language in the offences of assault and voyeurism has been changed so that persons of any gender may be charged with these offences. … (*Interruptions*)

Thank you, Sir.

माननीय सभापति : आपको जितना समय दिया गया था, उतना समय पूरा हो गया।

DR. JAYANTA KUMAR ROY: So, this is a very progressive step in replacing the outdated IPC.

Sir, thank you for giving me this opportunity once again. I convey my heartfelt gratitude to the hon. Home Minister for bringing this Bill.

With these words, I conclude my speech.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण बिल्स के समर्थन में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिल्स लाने की पहल की है। मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

मैं कल से काफी लोगों की बातें सुन रही हूं और बार-बार यह सुनने में आ रहा है कि ये कानून ब्रिटिश राज में कैसे बने थे और गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें इन कानूनों को बदलने की जरूरत है। एक ओर, हम लोग गुलामी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम बार-बार ब्रिटिश राज का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स हमारे देश में इस इरादे से ही आए थे कि वे हमारे देश को लूट सकें, इस पर राज कर सकें। वे अपने नहीं थे। हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। पर, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आज तक हमारे स्वतंत्र भारत की जो सरकारें बनीं, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा तो हमें गुलामी से मुक्ति उनके विचारों से चाहिए थी, न कि ब्रिटिशर्स के विचारों से। उनको क्या तकलीफ थी कि आज तक उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा? आज हम इस बिल में न केवल नाम का बदलाव कर रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया में भी बदलाव ला रहे हैं। यह समय की मांग थी। यह मांग विकसित अमृतकालीन भारत की मांग है। अमृतकाल का महत्व क्या है? अमृतकाल का महत्व यह होता है कि हम विष का प्रभाव कम कर सकें, विष का प्रभाव नष्ट कर सकें। जो गुलामी का विष था, जो अन्याय का विष था या जो पॉलिसी पैरालिसिस का विष था, अमृतकाल की मांग उसको नष्ट करने की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में आज अमित शाह जी ये बिल्स लेकर आए हैं। मैं उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। इनमें काफी सारे मुद्दे हैं, जिन पर मुझसे पूर्व काफी माननीय सांसद बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन मुद्दों को न दोहराऊं। जीरो एफआईआर का मुद्दा मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा। इससे काफी हद तक परेशान लोगों को सहूलियत मिलने वाली है।

हम लोग यहां पर वन नेशन – वन राशन कार्ड की बात करते हैं। आधार कार्ड लेकर आए हैं और हम लोग पूरे देश के लिए एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, वहीं पर किसी पुलिस स्टेशन की हद में

अगर कोई क्राइम न घटा हो, तो वहां एफआईआर दर्ज न किया जाना, यह बहुत ही तकलीफदेह था। इसको मिटाने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। हमें इसका भी बहुत-बहुत स्वागत करना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ जो कानून बने हैं, उनको और सख्त बनाया गया और इसके साथ ही महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है। मैं कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कल जसकौर मीना जी ने बात उठाई थी कि जनजाति समूहों को इसके दायरे में लाने के लिए भी कुछ सोच सरकार को रखनी चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। जब हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो जो स्पेशलाइज्ड एक्ट्स हैं, जो जनरल कानून हैं, उनके साथ साइबर क्राइम आज के समय में सभी के हिसाब से चिंताजनक मुद्दा है। साइबर क्राइम्स में अलग-अलग तरह के क्राइम्स हैं, जिस पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। उसमें सेक्सुअल और फाइनैंशियल क्राइम्स बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं। अलग- अलग बैंकों के नाम पर आज लोग सामने आते हैं और मेहनत-मजदूरी करने वालों का पूरा पैसा लूट जाता है। ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आने वाले समय में साइबर क्राइम के माध्यम से टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मैं एक अन्य मुद्दे के बारे में कहना चाहती हूं। इन धाराओं को पुख्ता करने के लिए प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस, सेक्शन 15a, एससी और एसटी एक्ट 1989 की अमेंडमेंट, जो वर्ष 2016 में बनी, उसमें था। आज हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इस धारा में प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम और उनके राइट्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन हो, इसमें क्लैरिटी आ जाए, तो लोग भी आगे आ कर अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के बारे में बात करेंगे।

मैं इसके बारे में भी सरकार की तरफ से थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगी। मुझे लगता है कि जहां लोगों के दिल में अगर आपका इरादा नेक है, आपकी सोच सही है और आप काम करने के

लिए आगे आते हैं तो आपको बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसके बारे में उदाहरण देना चाहूंगी। जब गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ जो कदम उठाएं, उनके चलते मुम्बई को गैंगवार फ्री करने में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और लोग आज तक इस घटना का उल्लेख करते हैं। जब इरादा नेक हो और सोच सही हो, अगर आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है।

आज हम जो यह बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव को देखते हुए मुझे कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि ये मोदी जी के नेतृत्व में ही थे। मोदी जी के द्वारा नाम बदलने से लोगों को जो ऐतराज है, मुझे लगता है कि जब आप नाम बदलते हैं तो आप सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, आप सोच भी बदल रहे हैं। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांग न कहकर उनको दिव्यांग कहा जाए, जब मोदी जी ने सिर्फ यह एक शब्द बदला, तो लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। आज एक आध जिले का या एक आध राज्य का कोई भी छोटा सा गांव है, कस्बा है, अगर हम उसको आखिरी छोर बोलते थे, तो उसको आज फर्स्ट विलेज की तरह देखने की सोच मोदी जी ने रखी है। इस सोच को आगे ले जाने वाले... (व्यवधान) सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। हम जिनको कह सके कि जिनका सीना फौलाद का है और दिल मोम का है, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं, जो आर्टिकल 370 को रद्द कर सकते हैं तथा इसी संसद में सबके सामने यह बोल सकते हैं कि पीओके वगैरह कुछ नहीं है। कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। यह फौलादी मन जो दिखा सकता है, वही गृह मंत्री सीआरपीसी और आईपीसी कानूनों में इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं। मैं अमित भाई शाह का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं और उनकी सोच को अपना समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी हम गांधी जी की प्रतिमा के पास से आए हैं। हम सब महिला सांसदों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का विरोध किया कि जिस प्रकार से भारतीय संसद और इस भारतीय संसद को संविधान ने जो ताकत दी है, हमें जनता ने यहां पर चुनकर भेजा है, उस भारतीय संसद में जिस प्रकार से नाटक गृह की तरह नाटकीय कार्यक्रम अपोजिशन की पार्टियां कर रही हैं, उसका हम महिलाएं विरोध कर रही हैं। आज मैं अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले भी उसका विरोध करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारे सांसदों ने उप राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उनका अपमान किया और उनकी जाति का अपमान किया, उनकी कुर्सी का अपमान किया, भारतीय संसद का अपमान किया, ऐसी थियटरिक्स के लिए यह नाटक गृह नहीं है, यह संसद है। वे यह याद रखें।... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): सर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।... (व्यवधान) हम सभी सांसद बहुत दु:खी हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है।

श्रीमती पूनम महाजन : सर, इस पर मुझे अरुण जेटली जी की एक बात याद आई है। अरुण जेटली जी को हम हर वक्त याद करते हैं, सबसे उम्दा कानून मंत्री, हमारे सबसे अच्छे नेता थे। उन्होंने अपोजिशन को एक बार कहा था कि–

इस मोड़ पर घबरा कर, थम न जाइये आप
जो बात नहीं है, उसे अपनाइये आप।
अभी नया बिल आ रहा है। भारत का नव निर्माण हो रहा है।
जब बात नहीं है तो उसे अपनाइये आप,
डरते हैं नई राह पर क्यों चलने से आप
हम आगे-आगे चलते हैं, आ जाइये आप।

जब हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत की संसद में लोकतंत्र के साथ मूल्यों को ले जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि भारत की संसद को नाटक गृह न बना कर इस संसद का आप मान रखें और अपमान न करें।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हर चीज, वर्ष 2014 से जब से सरकार आई है, यह भारत सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी तबके के लिए समर्पित है।

मुझे अच्छा लगता है, जब उन्होंने कहा था कि it has to be a women-led development. महिला को बीच में रखकर जब भारत आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, तो भारत और पुरजोर रूप से आगे जा सकता है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर बिल, हर कानून, हर प्रकार की जनता, हर प्रकार के तबके को विचार करके ही यह कानून लाया गया है।

मैं श्री अमित भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कश्मीर भारत का शीर्ष है। We call it, 'Crown of India'. कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारी जान है, हमारी आत्मा है। हम यह सिर्फ भाषणों में कहते जा रहे थे और लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अनुच्छेद 370 हटाकर श्री अमित शाह जी ने यह दिखाया कि कश्मीर भारत का मुकुट है और हम उसका सम्मान करके दिखाएंगे।

हर कानून इसी रूप से, भारत के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। यहाँ पर हर व्यक्ति कह रहा है कि हम गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 1860 में ये कानून बनाये गये थे। The laws were made to control the people of India and not to govern the people of India. जो वर्ष 1860 में बना है। आज वर्ष 2023 में, जब ये कानून अलग रूप से बनकर आ रहे हैं, to govern and reform, कानून को रिफॉर्म करके समाज को आगे कैसे ले जाएं, इसके लिए इन कानूनों को बनाया गया है। इसमें दो साल लग गये, यह ठीक है। किसी मानसिकता को तोड़कर आगे बढ़ने में समय लगता है। यहाँ पर

मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला कि अंग्रेज और कांग्रेस एक जैसे ही थे। इसलिए उन्होंने भी उसी रूप से कानून आगे बढ़ाए। लेकिन आज नयी सुबह आई है। इस नयी सुबह में नागरिक की सुरक्षा भी होगी, कानून में सुधार भी होंगे और समाज का सम्मान भी होगा।

मैं यहाँ संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगी। Everybody spoke कि कानून कैसे रिफॉर्म हो रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं। मैं चीजों पर सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। Cruelty against women is defined specifically which is very important in this country. Mental illness is a very widely-defined issue. मेंटल इलनेस को अनसाउंड माइंड के हिसाब भी देखा गया है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है। माफ कीजिए, हम कहते हैं कि छोटी-छोटी घटनाएं होती हैं और चोर-उचक्के गलतियाँ करते हैं, तो उनको जेल में डालकर जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में लाकर समाज में काम करने के लिए समाज में सुधारक के रूप में देने की जरूरत है।

मैं अपनी बात केवल एक मिनट में कहूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ।

मेरे बहुत-से साथी बोल चुके हैं। सब बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े हैं। मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ, जो बोल नहीं सकते हैं। मैं मासूम जानवरों के लिए बोलना चाहती हूँ। भारत की संस्कृति, भारत की हिन्दू संस्कृति, विचारधारा आदि सब कुछ मनुष्य और प्रकृति के विचार को साथ में लेकर चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं। प्राणी विशेष को हमारे भगवान भी लेकर चलते हैं। भारतीय हिन्दू संस्कृति में, हर भगवान, चाहे विष्णु हों, ब्रह्मा हों, हर भगवान से कहीं न कहीं प्राणी जुड़े रहते हैं क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम यह भी कहते हैं कि गौ माता के अन्दर सारे भगवान हैं, यदि उनको नमस्कार कर दें, तो सब ठीक हो जाएगा।

मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन उसको आधा स्ट्राइक डाउन किया था और कहा था कि दो कंसेंसुअल लोगों पर सेक्स को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यह गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पर लैंगिक अत्याचार

होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है। गौ माता पर या किसी भी प्राणी पर एक प्रकार का लैंगिक अत्याचार हर जगह होता है। जब ऐसे आदमी को पकड़ना हो, तो आज प्राणियों के लिए धारा 377 तो थोड़ी-सी बची हुई है। लेकिन वह बीएनएस पर नहीं है। इसलिए प्राणियों पर अत्याचार न हो, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए अगर आप प्रावधान कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा।

मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि 'State has a Fundamental Duty to protect all from such assaults'. उसमें प्राणी भी आते हैं। जब तक पीसीए एक्ट अमेंड नहीं होता तब तक यह नहीं होगा। आपने 428 में से 325 को अमेंड किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो, तो आदमी 50 रुपये में छूट जाता है। प्राणियों पर लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक यह प्रावधान हो सके कि कड़ी सजा वैसी ही रहे, जो धारा 377 में प्राणियों को तकलीफ देने वाली होती है। यह बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रावधान को देखा जाए, यह बहुत जरूरी है।

अंत में, मैं इतना ही कहूँगी कि महात्मा गांधी जी ने कहा है :

"The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated."

इसलिए हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेकर बढ़ें। धारा 377 में जो प्राणियों पर अत्याचार होने वाली बातें हैं, जो बीएनएस में नहीं है, आप उन प्रावधानों को फिर से देखें। जब अत्याचार होता है, तो बड़े क्रिमिनल छोटे-छोटे बेजुबान पर ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए आप इसको जारी रखें, मैं यही कहना चाहती हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.00 hrs

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल) : सभापति जी, धन्यवाद।

बहुत समय बीता, 162-163 वर्षों के बाद यह बिल लाने का साहस कोई कर सका, तो वह कोई देशभक्त ही है और वे देशभक्त ही हैं, जो इस बिल को लाने का प्रयास कर पाए। इसके लिए जिजीविषा की आवश्यकता होती है। यह जिजीविषा हर व्यक्ति में नहीं होती और जिसमें होती है, वह अपने देश के लिए समर्पित होता है।

माननीय सभापति महोदय, ये जो तीन बिल्स हैं, हमारे देश के नाम को बदलकर इंडिया कहने के पश्चात् इंडियन कर दिया और इंडियन कहकर उसको पीनल कोड का नाम दे दिया। यह सिर्फ दिखावा था कि यह हमारा है, लेकिन हमारा नहीं था। 'हमारा ही तुम्हारे लिए है', हम अभी भी मालिक हैं और तुम अभी भी गुलाम हो। यह मानसिकता लेकर ये बिल्स हमें दे दिए गए थे, लेकिन जो लोग सत्ता पर बैठे, वे कभी स्वतंत्रता का मान रख ही नहीं पाए। हमें अधिकार प्राप्त हुए, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान का निर्माण हुआ, हमें अधिकार दे दिए गए, संसद दे दी गई कि हम इसमें नियम बनाएं, लेकिन उस समय के जो सत्ताधीश लोग थे, जिन्होंने 65 वर्षों तक शासन किया, उन लोगों के अंदर जिजीविषा का अभाव था, उनके अंदर देश के प्रति निष्ठा का अभाव था, जिसके कारण आज हम इस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक जिन्होंने कष्ट झेला है, उसकी हमें कल्पना भी नहीं है।

हम यह कह रहे थे कि हम भारतवर्ष में हैं, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के कानून के अंतर्गत नहीं हैं। यह हमें आभास हो रहा था, यह हमें झेलना पड़ रहा था। इतने वर्षों की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारे पास ऐसी कौन सी कमी थी कि 65 वर्षों में कांग्रेस की सरकार और जो तत्कालीन सरकारें थीं, वे इसे नहीं कर पाईं। क्या कारण था कि इतना समय लग गया? मुझे लगता है कि हम गुलामी की मानसिकता से हटकर आगे बढ़े हैं। अब हम अपने शुद्ध भारतीय, अपने देश के प्रति सम्मान, अपने देश की आत्मा को छूकर के

जो कानून बनेगा, जो बिल आज आया है, यह कानून बनेगा और तब वह भारतीयों के द्वारा, भारतीयों का और भारतीयों के लिए न्याय होगा, तब ही हम इसमें न्याय पाएंगे।

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आए हैं। महोदय, अब जब इनमें भारतीय लगा है, तो दंड भी प्रारंभ में नहीं है। उन्होंने तो हमें सिर्फ दंड देने के लिए प्रारंभ किया था कि इनको दंड संहिता बनाओ और सबसे पहले इन्हें अपराधी घोषित करो। जब सीआरपीसी आया, पहले 1898 में था और उसके बाद इन्हीं लोगों की सरकारों में 1973 में बना। 25-30 वर्षों के बाद जब ये कुछ कानून बना पाए, तो इन्होंने यह हमें दिया – सीआरपीसी।

माननीय सभापति : आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, इस सीआरपीसी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अभी हमारे एक संसद के साथी कहकर गए हैं कि मुस्लिमों पर यह किया जाता है, मुस्लिमों पर वह किया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता था कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उनको जमानत मिल जाती थी।

मैं आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। मैं श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, आप मुझे प्लीज, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं पहली बार इस बिल पर बोल रही हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी रिप्लाई करना चाहते हैं और अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

… (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा मजबूती पर ध्यान था, उनका उद्देश्य दंड का था, न्याय का नहीं और यह सत्य है। हमने एक इंटरव्यू में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का एक कथन सुना था। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी, जनता हमें जितनी शक्ति देगी, हम उससे बढ़कर काम करेंगे। आज जनता ने यह दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप काम कीजिए। यह जनता का साथ, जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही आज यह दंड का नहीं, आज यह न्याय का प्रावधान हमारे बीच में आया है। हम उस प्रावधान के अंतर्गत चल रहे हैं।

महोदय, यह बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही, लेकिन यह कानून आ रहा है। बहुत सारे कष्टों को झेलकर बहुत लोग आगे आए हैं। अपराधों के लिए कहा जाता है कि यह अपराधी है तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश शासन के जो कष्ट झेले हैं, उनके बारे में यह बात कहना चाहती हूँ कि उस समय समन नहीं दिया जाता था, जैसा सरकार चाहे, वैसा सरकार इन लोगों को चलाती थी। करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक सेक्शन 161 का जो नोटिस दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया था। मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रही हूँ, हम अपनी बात कहते हैं। ऐसा साधु-सन्यासियों के साथ हुआ है। हमने भी उसे झेला है। सेक्शन 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर पूछताछ की जाती है। जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है कि आप कहाँ हो।

महोदय, अपहरण किया गया, 13-13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखकर क्या-क्या यातनाएं दी गईं, वे यातनाएं लोगों के लिए अकल्पनीय थीं, लेकिन ब्रिटिश शासन के उन नियमों को हमने झेला है। किसी और ने नहीं झेला महाराज जी, हमने झेला है और हमें झेलने के

लिए विवश किया गया है। करने वाले लोकतंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया? मैं बताती हूँ कि मोदी सरकार ने क्या किया है।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। अन्य कई माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, कोई भी तंत्र तभी बदलता है, जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं। जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है। जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है। जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है। जनमानस को बदलने के लिए उसको रोटी, कपड़े के साथ-साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है।

माननीय सभापति : श्रीमती हेमामालिनी जी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : जब यह सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर दिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है, तब हम इसके अंतर्गत आते हैं।

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई है। अब हेमामालिनी जी बोलेंगी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : यह इतने वर्षों बाद लाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं। यह चिंतन लंबा रहा है, यह चिंतन जिजीविषा का है, इसलिए यह किया गया है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए।

माननीय सभापति : अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप जल्दी से अपने सुझाव दे दीजिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, बस 5 मिनट दे दीजिए।

माननीय सभापति : 5 मिनट का समय नहीं है। आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। एक मिनट के बाद हेमामालिनी जी अपनी बात रखेंगी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : सर, थोड़ा सा समय दीजिए। सेक्शन 161 का जो नोटिस दिया जाता है, अब वह प्रावधान में आया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है। जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ।

महोदय, सेक्शन 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ई-मेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। सेक्शन 164 का बयान जो जज के सामने होता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : वह अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बनाकर बयान दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे। अब नहीं छूट पाएंगे।

माननीय सभापति : हेमामालिनी जी, आप बोलिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, अन्य माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं। आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। आप अंतिम वाक्य कहकर अपनी बात खत्म कीजिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह हमारा अपना देश है, अपना कानून है और अपना अनुशासन होगा तभी इस देश में सही से विकास हो पाएगा, जिसकी ओर हम चल पड़े हैं। बस हम इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम इसके अंदर लाने की आवश्यकता है। जो अब किसी और को न झेलना पड़े। जो प्रताड़नाएं दी गईं, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है।

माननीय सभापति : मैडम, आपकी बात हो गई है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : महाराज, प्रताड़नाओं की असीमितता थी। उनको हम कह नहीं सकते हैं।

माननीय सभापति : हेमामालिनी जी, बोलिए।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर : इसलिए इनमें सिर्फ यह जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी, अब उनको भी दंड मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है तो यह नये भारत की कल्पना है।

माननीय सभापति : ठीक है। हेमामालिनी जी, अब आप बोलिए।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

महोदय, ये जो तीन नए बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं, मैं इन तीनों का समर्थन करती हूँ और इन्हीं पर मैं बोल रही हूँ।

सभापति जी, सेंचुरीज ओल्ड कानून इंडियन पीनल कोड, 1860, दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 आज इस न्यू इंडिया में बिलकुल इर्रेलेवेंट हैं। ब्रिटिश एरा के लॉज अपने शासन को मजबूत करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। आज अंग्रेजों के इन कानूनों को बदलने के लिए और नए कानून बनाने वाले तीनों बिलों के लिए मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। नया भारत अब विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक ओर जहां मोदी जी देश का नाम दुनिया में आगे लेकर जा रहे हैं, वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी देश में न्याय, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं।

15.11 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष जी, नए कानून में जिन पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है, उन्हें देखकर अपराध और विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने की बात सोचने पर भी अपराधियों की रूह कांपने लगेगी। नए कानून के तहत गैंग रेप के दोषियों को 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अगर दोषी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान किया है। आम इंसान को एक क्लिक पर मुकदमे की

जानकारी मिल सकेगी इसलिए वर्ष 2027 तक देश की सभी कोर्ट्स को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन पर जिले में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो अपराधियों के काले चिट्ठे का रिकार्ड रखेगा। इन नए कानूनों से भारत अपराध मुक्त बनेगा और सभी नागरिकों को समय पर न्याय मिलेगा तथा उनके अधिकारों की रक्षा होगी।

अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से कुछ कहना चाहती हूं। भारत की महान परम्परा में हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़ कर देखा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51(ए) में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अभी पूनम महाजन जी ने भी इसी बात के बारे में कहा था। जानवरों के साथ क्रूरता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा देखने में आता रहता है। हाथी, गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, खच्चर जैसे पशुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। खास तौर से पालतू जानवरों को घर में रखकर ही उनके साथ अत्याचार करते हैं, जिसे देखकर हम जैसे एनिमल लवर्स को बहुत दुख होता है। इस विषय में कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जो लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर 63 साल पहले बनाए गए कानून के हिसाब से 50 या 100 रुपये की पेनल्टी लगती है लेकिन इस एक्ट को बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं। जानवर अपने अधिकार नहीं मांग सकते हैं, हम लोग ही उनके लिए बात कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस विषय को संसद में उठाया था और संसद के बाहर भी मैं पेट एनिमल एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूं। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटिजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस एनश्योर करने के लिए और क्राइम फ्री भारत करने के लिए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए जस्टिस एनश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाएं ताकि जानवरों पर अत्याचार करने पर रोक लग सके। मैं अमित शाह जी के बारे में कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं, वह करते हैं लेकिन वह जो नहीं कहते हैं, उसे जरूर करते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए

भारतवासियों की सुरक्षा, न्याय और कल्याण के लिए अमित शाह जी का जो समर्पण है, परिश्रम है उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रभावशाली भारत देख रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं इतना कहना चाहूंगी –

"लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर
भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर
ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर
कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर।"

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिए यह बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने तीन विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा मौका है, जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा। यह एक ऐसा मौका है, जब अभी-अभी आपकी अध्यक्षता में ही इस संसद ने इस देश की मातृ शक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सदनों में कानून बनाने में इनकी हिस्सेदारी तय की है। उसी समय, इस ऐतिहासिक सदन में करीब-करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) को गवर्न करते हैं, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पीनल कोड वर्ष 1860 में बना। उसका उद्देश्य ही दंड देना था। उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023, इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 अमल में आएगा। कई लोगों से मैं, इस बिल को स्टैण्डिंग कमेटी में भेजने के बाद मिला। वे आज यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परन्तु मुझे कहते थे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर वे आज सुनते तो उन्हें मालूम पड़ता कि क्या फर्क पड़ेगा? एक बेजान मुर्दा पड़ा है। अगर उसमें आत्मा होती है तो वह जिंदा इन्सान बनता है, इतना आमूल-चूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कानून के अन्दर होना है।

अध्यक्ष जी, श्री तालारी रंगैय्या से लेकर हेमा जी तक 35 सांसदों ने इसके ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने उन सभी को ध्यान से सुना है। ज्यादातर किसी के सुझाव बदलाव के लिए नहीं हैं। कुछ सुझाव बदलाव के लिए भी हैं, मगर कुछ चीज़ें जो उठायी गयी हैं,

उनके बारे में मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद वे इनकी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग, चाहे ओवैसी साहब हों, या एक-दो और हैं, जिनकी चिंता ही ऐसी है, जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। उनकी चिंता इस कानून से बड़ी है। वह बहुत उचित हुआ। इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परन्तु स्पष्टता से काफी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तीन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स लेकर भी आऊंगा, जो मैं बाद में बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जैसा मैंने कहा कि ये 150 साल पुराने कानून हैं। मोदी जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिह्न इस देश से जल्दी से जल्दी मिट जाएं और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा।

मान्यवर, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि कोलोनियल कानूनों से इस देश को जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने इसमें परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2019 से गहन विचार-विमर्श चालू किया था।

मान्यवर, ये जो कानून थे, इनको एक विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए थे। ये एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। इनकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं, वे हमारे संविधान की मूल तीन चीजों – व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून हैं। यह इसका मूल परिवर्तन है, जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए हैं।

मान्यवर, हमारे यहां न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहां न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित – व्यास, अत्री, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वात्स्यायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि आदि इन सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं, जो मूल भारतीय विचार हैं।

मान्यवर, अगर पहले वाले तीनों कानूनों को ध्यान से देखते हैं तो उनके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही माना जाता है। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में दंड की

कल्पना न्याय से उपजी है। पाश्चात्य विचारों के, जो ये अंग्रेज़ी शासन में लाए गए कानून थे, उनमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है । हमारे यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और उस दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए यह दंड का प्रावधान है। मान्यवर, मैं ये जो नए तीन विधेयक ले कर आया हूँ, वे मूल भारतीय न्याय के संहिता की आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले विधेयक हैं और सत्य अर्थ में आज़ादी के इतने सालों के बाद, पहली बार तीनों अपराधिक कानूनों का, अपराध के सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का मानवीयकरण होगा।

मान्यवर, इन कानूनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके अंदर आज तक, जब तक यह सदन रिपील नहीं करेगा, तब तक यूनाइटिड किंग्डम की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून आज हमारे कानूनों में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन शब्द भी तब का शब्द है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गज़ट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटिड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गज़ट के ज़िक्र, बिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर आदि जैसे शब्दों के प्रयोग का ज़िक्र आज़ादी के 75 सालों तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानूनों को गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया है।

मान्यवर, ये नए कानून जब बनाए थे, तब ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले थे, वे समझ ही नहीं पाते थे कि हम फ़र्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो वहीं मालूम पड़ जाएगा कि ये पहले वाले तीन कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे। ये कानून अंग्रेज़ों के राज की सुरक्षा के लिए बने थे।

मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, उस कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा-बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा के लिए प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं था, किसी महिला के साथ हुए दुर्व्यहार व अत्याचार का न्याय दिलाना नहीं था, प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश राज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब इसे पूरा का पूरा बदल कर, सबसे पहले महिला और बच्चों के विरूद्ध हुए अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद सेना, नौसेना, वायु सेना से संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्टोरल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकार स्टाम्प के साथ छेड़खानी को लिया गया है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। मुझे गौरव है कि इन तीनों कानूनों को डेढ़ सौ साल के बाद बदलने का और उस बिल को पायलट करके इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी नहीं समझ में आएगा।

मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहां का है तो तुरंत समझ में आ जाता है। मन अगर यहां का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा।

मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूप होल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए।

मान्यवर, इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम, पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राजकर्त्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था, तो उसके ऊपर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की रक्षा इस लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। यह दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम यह कानून करेगा।

मान्यवर, इस कानून में आज मैं इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशंस जितने भी होंगे, उनकी कल्पना करके हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्जित करने के लिए सारे प्रोविजन्स इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं। सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल्दी न्याय व्यवस्था मिले, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, न आप हमारी पार्टी को समझते हैं और न हमारे सिद्धांतों को समझते हैं। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है- भारत का उत्कर्ष। यह भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र आइडियोलॉजी है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है। उसके लिए हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान करके इंक्लूड कर रहे हैं। मगर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने भी इस देश में 70 सालों में 58 साल शासन किया है। आप मॉब लिंचिंग के लिए बिल क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए, तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तो भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है। इसीलिए, आप उस ओर बैठे हैं और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हैं।

मान्यवर, यह जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें

संतुलन साधा गया है। सजा का डर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अन्दर किए हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन्स किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस करके उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों के बर्डेन में कमी आ जाएगी।

मान्यवर, ये तीनों कानून, जैसा मैंने कहा कि 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं। इन कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है। इसलिए, यह बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस की जाए और समाज के हर वर्ग से और जो-जो लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उन सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से, सभी विधान सभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए। इसलिए, वर्ष 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और सितम्बर, 2019 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। ये सुझाव आने के बाद वर्ष 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे। वर्ष 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए। बीपीआरएंडडी ने देश के सभी आईपीएस आफिसर्स से सुझाव मांगे। भू-मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टर्स से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। मार्च, 2020 में इन सारे सुझावों को नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर संकलित किया। उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकैडमीज़, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे। कुल 3,200 सुझाव एकत्रित हुए, जिनको फुल स्टॉप, कोमा में पढ़कर, इसको रखना है या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाई लाइन नहीं, फुल स्टॉप, कोमा में पढ़ा है। 158 सिटिंग मेरी खुद की हुई हैं,

सुझावों को अमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए और यह सब करके हम यह कानून लेकर आए हैं। 11 अगस्त, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीन विधेयकों को मैं यहां लेकर आया। उनको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचार हेतु भेज दिया। मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवम्बर, 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्य सभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामैटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, इस सबको सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए, उसको जस का तस रखने की जगह, मैं पुराना बिल विदड्रा करके नया बिल लेकर आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार-विमर्श के बाद मैंने यह बिल सदन के सामने रखा है।

मान्यवर, मोदी जी के नेतृत्व में जो तीन कानून आये है, न्याय, समानता और निष्पक्षता, तीन मूल सिद्धांतों के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नये-नये इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना करके अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढ़ेर सारे प्रोविजन किए गए हैं। फॉरेन्सिक साइंस को बहुत तव्वजो दी गई है। इन कानूनों के माध्यम से लोगों को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम इन कानूनों के माध्यम से हुआ है।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, इसकी जगह 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नयी धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नये सब-सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नये प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं, इसकी जगह अब 358 रह गई हैं, 21 नये अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक

सेवा का दंड देने का काम किया गया है, 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थीं, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नयी उप-धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराओं को हटाने का काम किया गया है।

मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद एक लंबे अर्से बाद, अटल जी की सरकार ने भी प्रयास किया, परंतु मिलीजुली सरकार की कई कठिनाइयां होती हैं, मगर लंबे समय के बाद दो बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी, जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरश: लागू करने का काम किया है। जिस मैनिफेस्टो को मैनडेट दिया है, उसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी, सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण तीन हॉट स्पॉट जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी आई है और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है। पूर्वोत्तर से 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र से अफस्पा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडे में रखा था कि हम अफस्पा हटाएंगे, वे ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाएं। हमने नहीं रखा था, अफस्पा को हटाया नहीं है, लेकिन इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त की है क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई है।

मान्यवर, हमने कहा था कि अयोध्या में जितनी जल्दी हो सकेगा, राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी वहां राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वह करती है। हमने कहा था कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आयी, केवल तिथियां निकालती रह गई, हमने आरक्षण दे भी दिया और सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया है। तीन तलाक मुस्लिम माताओं और बहनों के साथ अन्याय करता है, हमने कहा था कि उसे समाप्त कर देंगे और

हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान् राजनाथ सिंह जी घोषणा-पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज यहां हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है कि माननीय मोदी जी ने पार्टी के वादे को पूरा करने का काम किया।

मान्यवर, न्याय अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। न्याय सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की कई परिभाषाएं रखी गई हैं और ढेर सारे अनुच्छेदों, जैसे 38, 39ए, 142 में इसका जिक्र भी किया गया है। जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। न्याय अनेक प्रकार के हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि बड़ी पवित्र संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की है। जनता डे-टू-डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। आज मैं तीन बिल लेकर आया हूं। माननीय मोदी जी से सालों से देश की जनता ने अपेक्षा की थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, दंड नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, यह सब इस बिल के माध्यम होगा।

मान्यवर, राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय है। लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं – न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया है। आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं, बल्कि न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साबित होंगे। आपकी अध्यक्षता में यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्पलीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और बाकी का इम्पलीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। तीनों अंग इकट्ठे होकर देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली प्रस्थापित करेंगे।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि न्याय एक अम्ब्रेला टर्म है। 'न्याय' कहते हैं तो यह बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है, इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और 'दंड' कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। मैं नए कानून में संतुलन बनाकर लाया हूं। यहां पहले दंड देने की सैंट्रलाइज सोच वाले कानून थे और अब विक्टिम सैंट्रिक जस्टिस का उद्‌भव होने जा रहा है।

ईज़ ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। एन्फोर्समेंट के लिए निष्पक्ष समयबद्ध एविडेंस बेस स्पीडी ट्रायल होगा, इससे कोर्ट तथा प्रिज़न का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेश्यो भी बढ़ने वाला है।

मान्यवर, कई लोगों ने अलग-अलग सुझाव दिए हैं। मैं बिल के बारे में बताकर इनका जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बिल लेकर आया हूं, यह नई चीजों को जगह देने वाला बिल है, इस सबका उपयोग करने वाला बिल है। हमने इन्वस्टिगेशन में फोरेन्सिक साईंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है, ब्लात्कार की पीड़िता का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कम्पलसरी किया है। मैं बताउंगा कि कई जगहों पर कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और साथ ही कोर्ट में समय को कम करने के प्रावधान किए हैं।

मान्यवर, देश में अभी तीन प्रकार की न्याय प्रणाली हैं। कहीं मेट्रो जज होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। इस कानून के पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक सारे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी।

मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व व उसे कम्पल्सरी करने का काम किया गया है, क्योंकि न्याय प्रणाली में किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो जाए या किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों केसों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वे ही करते हैं। वह जो गलती हुई है मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं कि अपील करनी है या नहीं करनी है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पर भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ केस में अपील करने लायक है या नहीं है, उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रॉजीक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा, जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रॉजीक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है।

मान्यवर, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की गई है। जैसे कि इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती हैं। परिवार के लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी कहां हैं, हमें मालूम ही नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारे पास नहीं हैं। अब तय कर दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा।

मान्यवर, इसी तरह कुछ मैं आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन ढेर सारी चीजों में हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम भी इस कानून के माध्यम से किया है और विक्टिम सेंट्रिक कानून की बात जब मैं करता हूं, तब हमने ढेर सारे विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 के तहत अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इन्फॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 193 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा विक्टिम की परमिशन के बगैर, उसे सुने बगैर कोर्ट केवल स्टेट के कहने पर विदड्रॉ नहीं कर सकती है। जो विक्टिम है, उसे सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी पुलिस की निर्धारित की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, इन सभी की कॉपी को कम्पल्सरी देने का प्रॉविजन इसके अंदर कर दिया गया है। जांच और मुकदमों के विभिन्न चरणों में पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रॉविजन किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी।

मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से इस सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा। जैसा मैंने कहा कि इसमें मानव संबंधित ढेर सारे अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 में था, अब जहां से अपराधों की बात शुरु होती है, इसमें

सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंगरेप को भी आगे लाया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर की धारा 302 थी, जो अब धारा 101 हुई है। किडनैपिंग की धारा 359 और धारा 369 थी, जो अब धारा 137 और धारा 140 हुई हैं। ट्रैफिकिंग की धारा 370 और 370(ए) थी, जो अब धारा 143 और धारा 144 हुई है।

मान्यवर, शुरुआत की डेफिनिशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधे मानव संबंधी - पहले महिला और बच्चे, उसके बाद शरीर संबंधी अपराधों को हमने प्रायॉरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं। उसको सुनिश्चित करना इन कानूनों की प्रॉयोरिटी है।

मान्यवर, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बड़े-बड़े नायक सालों-साल, छ:-छ: साल तक जेल में रहे। वह कानून अभी तक चलता आ रहा था। जब ऑपोजिशन में होते थे तो विरोध करते थे। मगर, सत्ता में आते थे, तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं लेते थे। पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया कि राजद्रोह की धारा 124 (क) को पूर्णतया समाप्त कर दिया। इसको हटाने का काम किया है।

अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैंने भी थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी है, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्पीति रखी है। अब यह देश आजाद हो चुका है। यह लोकतांत्रिक देश है। शासन पर टीका-टिप्पणी तो कोई भी कर सकता है। वह किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन हो। मैं फर्क समझता हूं। ओवैसी साहब, बड़े कटाक्षमय तरीके से हंस रहे हैं। मगर, इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। इस देश के हितों को कोई नुकसान नहीं कर सकता है। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं और इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में डालेंगे। उसको जेल में जाना चाहिए। यह हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए और सुप्रीम होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र

की सुरक्षा होनी चाहिए । इसलिए, हम राजद्रोह हटाकर देशद्रोह की धारा लाए हैं । इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा ।

मान्यवर, आईपीसी 124 (सी) में शब्द प्रयोग था, 'सरकार के खिलाफ की गई बात', मेरी बात सभी माननीय सदस्य ध्यान से सुनें, अंग्रेजों ने अपने बनाए हुए कानून में लिखा था, 124 (सी) 'सरकार के खिलाफ की गई बात', बीएनएस धारा 152, जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग होगा । वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है और भारत शब्द प्रयोग है । आईपीसी में आसन्न या प्रयोजन की बात नहीं की थी । किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की, करना ही काफी है । हमने इसमें देशद्रोह के डेफिनेशन में आशय की बात की है । उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है । अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए । अगर उद्देश्य शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए । उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है । अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन से घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां हैं । अगर कोई कहता है कि सशस्त्र विद्रोह, बम-धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं । उसको जेल में जाना ही चाहिए और उसको सजा होनी ही चाहिए । इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है । मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग नये इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हों । हम तो संविधान की स्पिरिट को आगे लेकर चलने वाले लोग हैं । देश के खिलाफ जो कुछ करेगा, उसको जरूर सजा होगी । ऐसा कानून में होना चाहिए । मान्यवर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रजों को देश से निकालने के लिए राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन के स्वर्णकाल जेल में काटे, आज नरेन्द्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से

उनकी आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज न्यायिक प्रोविजन हुआ है।

मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजंस किए हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को एड किया है। हम इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिक महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे, जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको पुलिस स्टेशन में फेवर किया जाता था। वहां पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करें या न करें, बलात्कार करने मात्र से ही पॉक्सो की सभी धाराएं इस न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएंगी और उनको सजा मिलेगी। आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिकों को बलात्कार के लिए हमने अलग-अलग सजा का निर्धारण किया है। हमने 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया है। उनको फांसी की सजा मिलेगी। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में हमने फिर से फांसी की सजा को इसमें रखा है।

मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनॉमली थी। सहमति से बलात्कार के केस में 15 वर्ष की जो आयु डाली गई थी, हमने उसको बढ़ाकर 18 साल किया है। अगर 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा, तो वह माइनर रेप के दायरे में आ जाएगा।

मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगहों पर कई सारी चीजें छूट गई थीं। लड़के और लड़कियों का व्यापार, जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था। उसमें लड़कों को भी जोड़ दिया गया है। आईपीसी की धारा 366 (ए) में भी नाबालिक लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र करके हमने इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया है। मान्यवर,

आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद और एक लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाने के बाद, 75 सालों के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है। इस देश की जनता से हमारा वादा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, लेकिन आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। मैं कुछ सांसदों की बातों का जवाब बाद में दूंगा। उन्होंने कहा कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थीं, वहां यूएपीए को नहीं लगाते थे। आतंकवादी कृत्य करके सादे गुनाह की सजा में निकल जाते थे। अब हमने इस मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र करके ऐसे लोगों को जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग-लगभग असंभव कर दिया है। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है, यहां बताया भी है। मैंने भाषण पढ़े हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं हैं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसका मानव अधिकारों के नाम पर विरोध करे, आतंकवादी ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जो इसका विक्टिम होता है, मानव के अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिले।

मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। अगर मैं यहां बैठा होता, तो टोकता भी, रोकता भी और प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया जाए। आप एक्सपोज़ हो रहे हैं। मगर मैं यहां नहीं था, मैंने उसको पढ़ा। आप किसका बचाव करते हैं? किस जमाने में जी रहे हैं? ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी का शासन है। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएंगी। परंतु इसका दुरुपयोग न हो, उसके लिए हमने इसकी व्याख्या भी बड़ी स्पष्ट की है।

<u>16.00 hrs</u>

इसकी व्याख्या की है कि जो कोई भारत की एकता, अखण्डता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास

करता है, आइदर, और साइड से उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया गया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ऐसी घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। क्या इसमें दुरुपयोग की गुंजायश है? मन में एक भय पड़ा हुआ है। उस भय से यह विरोध जन्म लेता है। मैं तो मानता हूं कि यह भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं, उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। उनके लिए कठोर से कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। यह नरेन्द्र मोदी सरकार का उचित निर्णय है कि आतंकवाद के लिए हमने इस कानून में जगह दी है।

मान्यवर, उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कही पर भी कोई गुंजायश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है तो हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसी के ग्रीवेंसेज़ हैं तो आतंकवाद को रोकने का प्रोविज़न कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। इसमें धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांशा करेगा। अगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को, जिसे मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और इस सदन से जीरो टॉलरेंस का संदेश जाना चाहिए।

मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्येतर गैंग्स संगठित अपराध करती हैं। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, भूमि हथियाना, हथियारों के व्यापार, डकैती और मानव तस्करी को रखा है। हमने आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, हवाला व्यवहार, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी

प्रयास को आर्थिक अपराध की व्याख्या में पहली बार लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या, जिसको अकस्मात कहते हैं। हमने इसमें दो हिस्से किए हैं। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकती है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, रास्ते में उसका ध्यान भटक गया और कोई रश करके आ गया तो अकस्मात हो गया। अकस्मात होने के बाद अगर वह व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस में कोई मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजा का प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केसेज़ में काफी कमी आएगी। अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु होती है तो वह भी गैर इरादतन हत्या में आ जाता है। इसकी भी सजा बढ़ गई। मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा और डॉक्टर्स को दो साल तक की सजा कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत की थी। हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है।

मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोला बनाकर किसी को मार दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था। चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल स्नैचिंग होते थे और अलग-अलग धाराओं में, अंत में, कानून में गैप का फायदा उठाकर वे छूट जाते हैं। स्नैचिंग के लिए भी हम कानून लेकर आए हैं। गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने दो डिविजन किए हैं। किसी ने किसी के सिर पर लाठी मार दी, वह इंजर्ड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए। परंतु, लाठी मारने के कारण अगर वह ब्रैन डेड हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। सम्पूर्ण अपाहिजता या ब्रैन डेड के केस में न्यूनतम दस साल के कठोर दंड देने का प्रावधान किया है और इसको सेपरेट किया है। गम्भीर चोट का जो खण्ड 117 है, उसमें सात साल तक की कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी हमने ढेर सारे बदलाव किए हैं। मैंने प्रमुख बदलाव आपके सामने रखे हैं।

मान्यवर, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करना चाहूंगा। इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा और गरीबों के लिए आर्थिक बाधा भी है। मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनायी है और गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है और न्याय भी मिलता है। परंतु न्याय मिलता ही नहीं है। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री जी बता रहे थे, जब मैं बिल पेश कर रहा था, कि वर्ष 2003 में कोई एक्सिडेंट हुआ था और साक्ष्य का कार्य वर्ष 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी यह तो अभी किसी को मालूम नहीं है। सालों तक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। पुलिस न्यायपालिका को दोषी बताती है। सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी बताती है। पुलिस और न्यायपालिका जब बैठती है तो सरकार को दोषी बताती है। सब एक-दूसरे की पीठ के पीछे कानून का सहारा लेकर ऐसा कर रहे हैं। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं, क्योंकि यह समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडिक कार्रवाई- सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है। आप एक कम्प्लेंट देते हैं, जिसका संज्ञान वे दस साल बाद भी ले सकते हैं। अब तीन दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी, अगर प्राथमिक जांच हो चुकी है। उसको कम्प्लसरी कर दिया गया है। तीन से सात साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारम्भिक जांच, आरोप सही हैं या गलत, करके एफआईआर करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारम्भिक जांच कर सकते हैं और छोटी सजा है तो तीन दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर्ड करनी होगी। सबसे पहले न्याय में समय की कटौती यहां होगी। जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी है, इसके लिए भी कोई समय का प्रावधान नहीं था। अब 24 घंटे में, तलाशी रिपोर्ट के बाद, उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हैं।

मेडिकल प्रैक्टिश्नर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट- मेडिकल हुआ, लेकिन कोई समय मर्यादा नहीं है। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वह मुक्त

होगा, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी सात दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने निश्चित कर दिया है।

मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं था। 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु रीइनवेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा करके सालों-सालों तक चार्जशीट लटकायी जाती थी, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते थे। हमने कह दिया है कि 60 से 90 दिन का समय तो रहेगा और 90 दिन के बाद फर्दर 90 दिन तक ही इनवेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इनवेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, यह हमने प्रोविजन करके ट्रायल जल्दी हो, इसके लिए शुरूआत कर दी है।

मान्यवर, इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कब शुरू होगी, उसकी भी समय मर्यादा को तय किया गया है। अब हमने मजिस्ट्रेट साहब के साथ बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्रवाई शुरू करनी होगी। इसको लटका नहीं सकते है। हमारे यहां बहुत सारी फरियादें आती हैं, सच्चा-झूठा तो भगवान जाने कि 12 बजे तक कोर्ट चलती है। 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब 14 दिनों के अंदर संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसे समाप्त करके ही जाना पड़ेगा।

आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है, वह भी सात दिनों के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले अगर एक केस में 25 आरोपी होते थे तो एक के बाद एक करके 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल की अपील करते ही जाते थे और 10 सालों तक मुकदमा चलता ही रहता था। अब जिसको भी अपील करनी है, उसे सात दिनों के अंदर ही करनी होगी और सात दिनों के अंदर ही उस पर न्यायधीश को सुनवाई भी करनी होगी। अब ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों के अंदर केस ट्रायल पर आ जाएगा।

पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था। अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिनों के अंदर आप अपने गुनाह को स्वीकार कर लेंगे तो सजा कम होगी। प्ली बार्गेनिंग को 30

दिनों के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी कंपलसरी 30 दिनों में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है। अब उसमें आप देरी नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, ट्रायल इन-एबसेंशिया का भी प्रोविजन किया गया है। इस पर कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस देश में ढेर सारे मुकदमे हैं। देश को हिला देने वाले मुकदमे हैं, चाहे मुम्बई बम ब्लास्ट का केस हो या कोई और केस हो। वे लोग पाकिस्तान में या किसी और अन्य देशों में शरण लेकर बैठे हैं, जिसकी वजह से ट्रायल नहीं चलती है। अब उनकी यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिनों के अंदर अगर वे कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा तथा फांसी भी होगी। जिसके कारण हम उनको वहां से लाने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में हो तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने प्रावधान कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। पहली बार अपराध करने पर एक-तिहाई सजा का जो प्रोविजन है, उसके तहत अगर एक-तिहाई अंडर ट्रायल कर लिया तो उसको मुक्ति दे सकते हैं। बाकी सभी मामलों में वन-हाफ किया है, जो गंभीर प्रकृति के हैं जैसे हत्या, डकैती आदि।

पहले जजमेंट सालों-सालों तक नहीं आता था। अब यह हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिनों के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा। वे इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है। सजा निर्णय देने के सात दिनों के अंदर ही अपलोड करनी पड़ेगी। उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते हैं। पहले सालों तक दया याचिका करते ही नहीं थे। पहले दया याचिका कोई एनजीओ करता था या दूर-दूर के लोग करते थे। दया तो वही मांग सकता है, जिसको दंड मिला है। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं है। उच्चतम

न्यायालय की अपील खारीज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी। बाद में आपको इसका अधिकार नहीं होगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का प्रावधान भी इसमें हमने तय कर दिया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए हैं। ई-एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है तो महिलाओं को मिलने वाली है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध का किसी के सामने वर्णन करना बड़ी संकोच की बात है। आज ई-एफआईआर से हर कोई एफआईआर कर सकता है तथा कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करवा सकती है। उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और दो दिनों के अंदर ही घर पर आकर उसका जवाब लेने की व्यवस्था भी महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत है। नए विधेयक के अंदर ई-एफआईआर का हमने जो जिक्र किया है, उससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने बहुत तवज्जो देकर कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है।

हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगहों पर पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरणों में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही में निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी।

मान्यवर, हम एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए हैं। हमनें एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग का कम्पलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी पुलिस घर पर जाकर जब्ती करती है, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो उसकी भी यह हो जाएगी और तलाशी की भी हो जाएगी। इससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और बलात्कार के मामले में भी पीड़िता का ब्यान कम्पलसरी करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। वह लेना ही पड़ेगा।

ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जिससे वगदार आदमी आने के बाद, वह बयान को बदलवा नहीं सकता। दूर-दूरस्थ के गांवों में बयान ले लिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने किया है, तो बयान बदल भी दिए जाते हैं। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी तीन कॉपीज, तीन जगहों पर एक हॉस्पिटल, एक पुलिस थाने और एक न्यायाधीश के यहां 24 घंटे में पहुंचानी है। जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी।

मान्यवर, इसके साथ-साथ हमने फॉरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। अगर हम दुनिया भर की अदालतों का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे यहां सजा कराने की दर बहुत कम है। अगर इसको बढ़ाना है, तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना होगा। इसलिए इस बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90 प्रतिशत कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए, हमने एक प्रावधान किया है कि सात सालों से ज्यादा सजा जिस गुनाह में है, उन सभी में एफएसएल टीम की विजिट को कम्पलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल टीम की विजिट कम्पलसरी होगी।

मान्यवर कई लोग कहते हैं कि कब होगा, तो मैं इसके बारे में बताता हूं। नरेन्द्र मोदी सरकार टुकड़े-टुकड़े में नहीं चलती है। नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर माननीय प्रधान मंत्री बने, तब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक एनएफएसयू के सात परिसर और दो ट्रेनिंग एकेडमीज नौ राज्यों में खुल चुकी हैं। पांच सालों के बाद, मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर साल 35 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां से बाहर निकलेंगे, जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वैन का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। दिल्ली में, जो सात साल वाला प्रोविजन है, इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा, जब राज्य में फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। हमनें इसमें पुलिस स्टेशन, तहसील,

जिला और पूरा राज्य - चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है । मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई, तो उस शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं । वह कम्पलसरी हो जाएगा । अगर एक क्षेत्र में हो गया, तो एक क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गया, तो जिलों को करेंगे । जब सब समाप्त हो जाएगा, तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे ।

इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसीक्यूशन की बढ़ेगी । लगभग दो हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिए हैं और 30 राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है । हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ भी बना रहे हैं ।

मान्यवर, जीरो एफआईआर के बारे में कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कम्पलसरी नहीं था । आपको कोई भी व्यक्ति न बोल सकता था । इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी, जिससे इसकी पुष्टि हो जाए । अब विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कम्पलसरी करनी पड़ेगी । यह जीरो नम्बर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए? वह ध्यान रखता ही रह जाएगा, किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा । इसके साथ-साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है । जब कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं, इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी । अगर मेरा रिलेटिव किसी थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस को मुझे इनफॉर्म करना पड़ेगा, किसी को अज्ञात स्वरूप से, अनअथोराइज्ड कब्जा रखकर नहीं रख पाएंगे । पुलिस अधिकारी को 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या डिजिटल माध्यम से देनी होगी । यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है । अगर वह उपलब्ध नहीं है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया

जाएगा । जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त उसके माता-पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा । हमने सरलता लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए हैं । जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी, पहले दो वर्ष तक थे, अब तीन वर्ष तक कर दिए हैं । कम गंभीर मामलों में अब समरी ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी । सिविल सर्वेंट्स के विविध प्रोसीक्यूशंस, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुनाह रजिस्टर्ड होते थे, उनको मंजूरी की जरूरत होती थी, सालों-सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे । अब अगर 120 दिन में रिजैक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया जाएगा, अब इस पर कोई बैठ नहीं सकता है । सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी उसका जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रमोशन होते रहते हैं । जब डीजी बनते हैं, तब डीएसपी के जवाब देने जाते हैं । अब उसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा । उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है । अगर कोर्ट को जरूरत लगे तो हमने इसकी ऑनलाइन गवाही लेने का प्रावधान भी कर दिया है । जमानत और बॉन्ड को भी सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है । हमने घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का भी प्रावधान कर दिया है ।

मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं है, भाग जाएगा और सालों-सालों तक केस लंबित रहेंगे । उसकी अनुपस्थिति में केस तो चलेंगे, मगर उसकी सम्पत्ति की कुर्की भी की जाएगी । प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा । पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान कर दिया है, जिससे देरी न हो । उसमें बहनों पर अत्याचार का मामला भी हमने ले लिया है ।

मान्यवर, मैंने सबसे बड़ा जो कहा, trial in absentia – कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ी आवाज भी उठाई है, ज्यादातर सदस्य तो बाहर हैं इसलिए बहुत सदस्य नहीं उठ पाए, वरना तो सारे ही बोलते । मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुनाह करके जो देश से बाहर भाग गए हैं, उनके

प्रति आपके दिल में क्या सिम्पेथी है? आप मुझे बताइये। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं, कश्मीर में आतंकवाद करके पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं, क्या उनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है।

आपकी उसमें क्या सिम्पैथी है? अब ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ या न आओ, आपको सज़ा भी होगी और आपकी सम्पत्ति भी जाएगी। यह देश ऐसे नहीं चल सकता है। अगर न्याय ही चाहिए, तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है कि न्याय में सज़ा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसको भी हमने यहाँ पर डाला है।

मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए, अगर वह एक-तिहाई कारावास काट चुका है, तो हमने इसमें जमानत का प्रॉविज़न कर दिया है। जहाँ विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुनाह है, वहाँ आधे पर इसका अधिकार बनाया है। हम नयी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आए हैं। हर राज्य को इसे घोषित करना पड़ेगा। हमने इसके अन्दर घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान भी किया है।

सज़ा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया है। यदि मृत्यु की सज़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती है। अगर आजीवन कारावास है तो सात साल की अवधि तक सजा भोगनी ही पड़ेगी और यदि सात वर्ष या उससे अधिक की सजा है, तो कम से कम तीन साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग करके एक साल में ही भले ही कितना भी गंभीर अपराध हो, वह बाहर आ जाए, ऐसा अब नहीं होगा। इस बात को हमने कानून के अन्दर सुनिश्चित कर दिया है। अगर कोई आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय करके सम्पत्ति जमा की है, तो अब उसको भी न्यायालय राज्यसात करेगा और उसको हराजी करके राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा।

सम्पत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते-करते आए हैं। हम लोग सैंकड़ों बार पुलिस थाने गये होंगे। आप बाहर जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो, ढ़ेर सारी साइकिलें, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पोज़ पड़े होते हैं और उन टाम्पोज का कई बार हम से ज्यादा आयुष्य होता है। अगर वह वर्ष 1950 में पकड़ा गया है और उसका केस पड़ा रहा तो पूरा पुलिस स्टेशन के परेड का पूरा मैदान ऐसी ही सम्पत्तियों से भरा पड़ा रहता है।

मान्यवर, हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो सम्पत्तियाँ पड़ी हैं, अदालत के मैजिस्ट्रेट को उनकी विडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके, अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर इनको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट में दी जाएगी। इससे सारे पुलिस स्टेशंस साफ हो जाएंगे। इससे कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है। कब तक वे बीस-बीस साल तक पड़े रहेंगे। वे व्हीकल्स भी किसी के उपयोग के नहीं रहेंगे। यदि वे मालिक को वापस भी मिल जाएं, तो उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा।

हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किये हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को हमने दस्तावेज़ की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड को दस्तावेज़ माना जाएगा। पेन ड्राइव के अन्दर चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर कोर्ट को भी चार्ज शीट दी जाएगी, पेन ड्राइव के अन्दर विक्टिम को भी दिया जाएगा और लॉयर्स को भी दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रेकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानांक जोड़े गये हैं और उसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट के लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है।

मान्यवर, दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करना हमने कम्पल्सरी किया है। अब पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रेकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाणपत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है।

इसके लिए हमने ढेर सारे, 22 थानों के लिए भी, बड़ी एक्सरसाइज़ की है। नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्स्पर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्स्पर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम करके, कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श करके, इस पूरी प्रक्रिया को चिह्नित कर दिया गया है।

मान्यवर, मैं इतना सुनिश्चित कर सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया बन जाएगी। ...(व्यवधान)

मान्यवर, इसके लिए पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे-जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हमने आईसीजेएस के माध्यम से ढ़ेर सारे पुलिस स्टेशंस, 97 परसेंट पुलिस स्टेशंस को कम्प्यूटराइज्ड करने का काम समाप्त कर दिया है। ...(व्यवधान) अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का ऑफिस, जेल और कोर्ट, इन सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने की कगार पर है। इसके माध्यम से ढ़ेर सारी देरी से न्याय मांगने जाने वाले हमारे जो नागरिक हैं, उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा।

मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेज, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की

स्वीकार्यता को इसकी इनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। इसके माध्यम से एफएसएल यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो-जो नई टेक्नीक आती जाएगी, उसको भी समाहित करने का सुझाव समय-समय पर देती जाएगी। इसको हम समाहित करेंगे।

मान्यवर, इस चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग-अलग प्रकार के सवाल उठाए हैं। एक का तो मैंने पहले ही जवाब दिया था कि आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है, तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य को समाहित करने का क्या तर्क है?

मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुनाह रजिस्टर होगा। इसे करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दो कानून अप्लाई नहीं होंगे। कई जगहों पर आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं हैं और आईपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। इससे वे लोग बचकर निकल जाते थे। अब उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए हैं। … (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में नहीं रखनी चाहिए, इसके आश्य भी बताने चाहिए कि यह आपत्ति दर्ज करके हम किसको बचाना चाहते हैं?

मान्यवर, बीएनएस के खंड 69 में पहचान छुपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छुपाना चाहती हैं। इसमें कोई और बच नहीं पाएगा, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, एक सुझाव आया कि दया याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं। अगर, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उसको अपने गुनाह का अहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करके अगर पछतावा नहीं होता है, उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है … (व्यवधान) हरसिमरत बहन, आप बाद में बोलिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप

क्या कहना चाहती हैं। दया का अधिकार उसी का बनता है, जो अपने कृत्य पर पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मानता, मेरा मन यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कृत्य किया है। क्या उस पर दया की जाए? मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

मान्यवर, बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया है। उसमें हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए हैं। उलटा, वे जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि एक-तिहाई सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था। उसके पहले कोर्ट तो जमानत दे ही सकती है।

दूसरी बात यह आयी कि वीडियोग्राफी का प्रोविजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने पर क्यों नहीं है? हम सबको मालूम है कि पुलिस का बयान आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। वह धारा 161 का बयान होता है। कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है और इसीलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा उचित नहीं है। यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। औवैसी जी, खंड 250 और 262 अलग-अलग प्रकार के ट्रायल के लिए हैं। सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा, सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है, इसके लिए खंड 262 है, तो दो अलग-अलग ही हैं। माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था कि क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। यह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी। मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया, तो 15 दिन समाप्त हो गए। हमने यह प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में चले गए, कोई बात नहीं, अच्छे हो जाओ। अच्छा होने के बाद उन 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा, तो टोटल कस्टडी को तो

हमने 15 दिन का ही रखा है और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, इस प्रोविजन को भी हमने रखा है, तो इसका जमानत पर भी असर नहीं होगा और कुल दिन भी नहीं बढ़ेंगे।

डी.के.बसु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है और हर जिले और थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिसे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। यह कहा गया कि किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आगे बताया है कि कई जगह पर पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पर उस पर वाच रखने की व्यवस्था भी हमने की है। इसके साथ-साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है। मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, तो ऐसे हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद भर्तृहरि महताब जी ने दो-तीन प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111, इन दोनों को, जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव करके ही, आपके सुझाव भी बिल के बदलाव में समाहित किए गए हैं।

दूसरा, उन्होंने कहा कि फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है। मैं मानता हूँ कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए, उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है। एक प्रकार से इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चैक एंड बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा है, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा। कोई पुलिस स्टेट, हमारा शासन है, तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए ये कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं तीन आफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तीनों कानूनों में 'द्वितीय' शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही प्रकार के नाम के दो बिल एक साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे। ऐसा संसदीय टेक्नीकल, संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। दूसरा, मैंने

डाक्टर को गैर इरादतन हत्या में कम सजा का प्रोविजन किया है। ये तीनों प्रोविजन्स को भी मैं लेकर आया हूं।

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से कम से कम सौ साल तक जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान हमने इसमें किए हैं। मान्यवर, फोरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता और दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने जा रहा है, ये ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिह्न समाप्त करके सम्पूर्ण भारतीय कानून बनने जा रहा है। हमारे संविधान की जो स्पिरिट सबके साथ न्याय की है और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, उसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें सहमति दीजिए। मोदी जी का एक और वादा आज इन कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया जा रहा है। इसे अपना समर्थन दें।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा कि पीड़ित से पीड़ित को इस नए कानून से न्याय मिलेगा। मेरी विनम्र विनती है कि एक कौम की सेंटीमेंट्स जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए प्रधान मंत्री जी ने भी पिछले सैशन में कहा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय कानून के तहत नहीं है।

… (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अध्यक्ष जी, मर्सी पेटिशन के बारे में है। जिनके माँ-बाप जिंदा नहीं हैं। जिनका परिवार नहीं है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं। मुझे याद है, यह विषय आपने कई बार उठाया है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कानून के विषय में बात कीजिए। यदि कोई विशेष सुझाव है, तो बात कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-29

प्रश्न यह है :

"कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह तरीका ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था। आप इस कानून के विषय में नहीं बोल रही हैं, फिर भी मैंने आपको मौका दिया था। आप वरिष्ठ सांसद है। आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 30 और 31 *लोप* करें। (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 5 Commutation of sentence

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय जी, आप अकेले ही काफी हो। क्या आप संशोधन संख्या 3 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 63 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 64 Punishment for rape

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 एवं 5 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 64 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65 से 102 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 103 Punishment for murder

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 103 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 103 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 104 और 105 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 106 Causing death by negligence

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 48, पंक्ति 8,-

"जुर्माने के लिए भी दायी होगा" शब्दों के पश्चात अंतःस्थापित करें -

'और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

2019 का 30

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।' (67)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 107 से 116 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 117 Voluntarily causing grevious hurt

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : **प्रश्न यह है**:

"कि खंड 117 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 117 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 118 Voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapon or means

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : क्या आपके प्रस्ताव को एक साथ ले लूं, क्योंकि आपने बहुत अमेंडमेंट्स दिए हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 118 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 118 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 119 से 138 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 139 Kidnapping or maiming a child for purposes of begging

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 139 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 139 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 140 से 196 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause197 Imputations, assertions predudicial to national integration

माननीय अध्यक्ष : रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 197 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 197 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 198 से 358 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1 Short title, commencement application

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

"द्वितीय" का लोप करें। (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए</u>।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

माननीय अध्यक्ष : विधेयक, यथा संशोधित, पारित हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 30

प्रश्न यह है:

“कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 से 34 का *लोप* करें। (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 531 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 232, पंक्ति 15, धारा 106(1) के *पश्चात* अंत:स्थापित करें-

1	2	3	4	5	6
	‘‘रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कराना।	दो वर्ष का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।‘‘

(38)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

Clause 1 Short title, extent and commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

"द्वितीय" का *लोप* करें । (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 31, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

प्रश्न यह है :

"कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 से 11 का *लोप* करें। (2)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 170 विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

Clause 1 Short title, application and Commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "द्वितीय" का *लोप* करे। (1)

(श्री अमित शाह)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

16.57 hrs

TELECOMMUNICATIONS BILL, 2023

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 32 - दूर संचार विधेयक, 2023

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इस बिल पर हल्का सा ब्रीफ कर दें।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक दिन में, जहां कलोनियल माइंडसेट के तीन बहुत बड़े बिलों को निरस्त करके भारत की संस्कृति और संविधान के अनुसार नए बिल्स लाए गए। आज उसी कड़ी में एक और कलोनियल बिल वर्ष 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिपील करके, आज की जरुरतों के हिसाब से, आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आज के भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और उनके मार्गदर्शन में एक नया बिल लाया गया है, जो इस डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा प्रवर्तक है।

अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में भारत में डिजिटल इंडिया की एक ऐसी क्रांति आई है, जिस क्रांति से देश के जन-जन के मन में, जन-जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

16.58 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

---

* Moved with the recommendation of the President.

सभापति जी, इन साढ़े नौ वर्षों में टेलीकॉम का इतना व्यापक प्रसार हुआ है, जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली थी, तब देश में मात्र छह-सवा छह लाख बीटीएस यानी टेलीकॉम के टॉवर्स होते थे। आज 25 लाख से अधिक टेलीकॉम के टॉवर्स हैं। ब्रॉडबैंड की सर्विसेज लेने वाले जो यूजर्स होते थे, वर्ष 2014 में मात्र डेढ़ करोड़ होते थे। आज 85 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से फाइव-जी का फास्टेस्ट रोल आउट हिन्दुस्तान में हुआ है। देश में सिर्फ 14 महीने में 4 लाख से अधिक फाइव-जी के टॉवर्स इंस्टॉल हुए हैं।

सभापति जी, आज रिफॉर्म्स के कारण, मोदी जी के सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस के कारण 85 प्रतिशत टॉवर्स की जो क्लीयरेंसेज़ होती हैं, जो परमिशन हैं, वह एंटर का बटन दबाते ही और जीरो टाइम में एक सेकेंड के अंदर परमिशन आपके सामने मिल जाती है।

सभापति जी, जो टॉवर्स और दूसरे राइट ऑफ वे के एप्रूव्ल्स हैं, जहां आज से साढ़े नौ वर्ष पहले एवरेज 230 दिन लगते थे, आज एवरेज 10 दिन के अंदर राइट ऑफ वे मिल जाता है।

<u>17.00 hrs</u>

सभापति जी, टेलीकॉम सैक्टर आज एक बहुत ही अच्छा सनराइज सैक्टर बनकर उभरा है, जिस सैक्टर से देश की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त मोमेंटम आता है। आज उस सैक्टर को एक नई गति देने के लिए, बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाला यह बिल इस महान सदन में प्रस्तुत है। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी रखा जाएगा। इसमें तीन बिलों को रिपील करने का प्रस्ताव था, उनमें से एक बिल हाल ही में रिपीलिंग एक्ट के जरिए से ऑलरेडी रिपील हो चुका है। उस छोटे से संशोधन के अलावा इस बिल में जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वे प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मेरा इस महान सदन से निवेदन रहेगा कि इसको यूनैनिमस्ली पास करें। इस चर्चा में अगर विपक्ष प्रस्तुत होता तो हो सकता है कि उनकी चर्चा से कुछ लाभ होता। लेकिन, वे तो डर के भागने वाले लोग हैं, पीठ दिखाने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों से देश कोई अपेक्षा भी नहीं कर

सकता । मेरा इस महान सदन से निवेदन रहेगा कि एक सुदृढ़ चर्चा के बाद में इस बिल को यूनैनिमस्ली पास किया जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, Sir for allowing me to speak on the Telecommunications Bill, 2023.

The Bill proposes to repeal outdated Acts like Indian Telegraph Act, 1885; Indian Wireless Telegraphy Act, 1933; the Telegraph Wires Unlawful Possession Act, 1950.

Sir, this is like cleansing of British residue which is essential for modern India. The Bill addresses long standing issues like capping of charges, deemed approval clause and deployment of telecommunication infrastructure and private property. A significant regulatory shift in the Bill is replacement of license with authorisation. In toto, the Bill aims to consolidate existing laws and adopt the evolving telecommunication sector with emphasis on national security and inclusive digital growth.

Sir, there are 11 positives in the Bill of which I would like to make a brief mention. One is interception of communication in the interest of national security. It is very much essential. At the same time, privacy of citizens should also be taken care of. The Bill says that the Government can notify standards

for encryption. Incitement of offences has been the latest *modus operandi* of the so-called leaders who celebrate tyranny. So, interception should be more effective. Misguided youth are going to the roots of crime in which social media is playing a big role. This should be tackled in order to maintain public order. Press messages of accredited Indian correspondents shall not be intercepted or detained unless the transmission has been detained by the Government.

Sir, the second positive of the Bill is national security against cyber-attacks and other criminal activities which is a major concern. Those who cannot fight a war with us directly are using the telecommunication route to mislead our youth. So-called leaders with a British residue mindset are also using social media to destabilise elected Governments. Strict laws are essential for national security.

Citizen safety is also taken care of by this Bill. Prior consent for marketing messages, do not disturb registers and grievance redressal mechanism should be enforced with robust mechanism. Through dubious phone calls and SMSs, thousands of crores of rupees are being robbed from the innocent citizens. This problem should be tackled with a quick response mechanism. We should note that people are vexed with delayed judicial system of India. Spectrum allocation on administrative basis like for national security, defence, disaster management, weather forecasting, transport, satellite services such as DTH and satellite telephony and BSNL, MTNL and public broadcasting services – these are welcome features of the Bill.

Sir, the fifth positive feature of the Bill is the revamped Universal Service Obligation Fund named as Digital Bharat Nidhi which is proposed to take care of research, development, pilot projects and new infrastructure for unserved areas.

Sir, online services would also be required to contribute to the Digital Bharat Nidhi. With the mention of data-stream in the definition of messaging, one can suppose that messaging apps like Whatsapp and Telegram, email services like Gmail, Zoom and cloud services could come under the scope of telecom regulation.

If these services are included under this Bill, same rules can be implemented. This needs clarification from the hon. Minister.

Satellite-based services like Global Mobile Personal Communications by Satellites, National Long Distance and International Long Distance Services, Mobile Satellite Service in L and S bands would be provided by spectrum via administrative allocation. This falls in line with the requests made by satellite communication projects like Amazon's Project Kuiper, Space X and Bharti Airtel-backed OneWeb which have been urging for administrative allocation for a long time. This will spur growth in the nascent space sector of India.

Sir, the next positive feature of this Bill is that the trusted sources regime, which came into being after the 2020 Indo-Chinese border skirmishes to stop imports of telecom equipment from hostile nations will now be part of the Bill. Right of way law gives local authorities like District Magistrates more power to adjudicate disputes. Such positive measures will accelerate digital

connectivity. But it must be provided on a non-discriminatory and non-exclusive basis.

Another significant proposal in the Bill is to empower the Government to waive entry fees, license fees, penalties, etc., in the interest of consumers and ensure fair competition in the market. This provision of the Bill will also help in promoting affordability and accessibility of telecom services.

The Bill safeguards digital infrastructure, stating that no public entity can take coercive actions against the telecommunication network without prior approval from a Central Government officer, except in cases of natural disasters or public emergencies. By this, irresponsible behaviour of officers or citizens can be curbed.

Sir, we have some suggestions with regard to this Telecommunications Bill. Rural digital divide should be taken care of on priority basis. Most of the Government schemes are reaching the doorsteps of rural areas. Since 70 per cent of Indians live in rural areas, digital connectivity is undeniably the need of the hour. Pilferage in Government schemes can be prevented and services can be delivered promptly. Door delivery of Government services is being done in Andhra Pradesh through Grama Sachivalayams. Digital connectivity is an issue in some villages. So, we request the Government of India to take care of establishing digital connectivity in all rural areas of AP on priority basis. This Gram Sachivalayam system and volunteers service system are very exemplary. It is a trend-setting system for our country. I must thank our hon. Chief Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy for this.

Our Second suggestion for this Bill is that a credit system through UPI should be implemented which can boost our economy. It is a noteworthy point that UPI system has created a history in India. India's real-time payment system, UPI, is a trend setter in the global digital payments arena. Nearly 1.4 crore Indians have a digital identity. Crores of transactions worth trillions of rupees are happening every day. Indians are saving billions of rupees because most of the UPI transactions are free. I must thank our visionary leader, Prime Minster Shri Narendra Modi ji for this.

Sir, the State governments may be allotted the spectrum on administrative basis, which can be useful in promotion of rural digital connectivity on a rapid pace. This could be of immense help in disaster management.

Regional language support is essential for a diverse country like ours. Incorporating regional languages into customer service interfaces, mobile applications and official communications can yield very good results in connecting people of different areas. There should be co-funding options for the States with regard to research and development projects. This will contribute in speeding up of rural digital connectivity.

Capacity building and training of staff in areas like cybersecurity, network maintenance and digital innovation should be taken care of. Filling of vacances in BSNL is a long-pending issue which has to be taken care of by the hon. Minister.

Chinese loan apps are also a big menace for the rural population of India. They are exploiting personal information and siphoning off funds of the citizens. Urgent regulatory steps should be taken in this regard. Online communication service as an incidental feature like Paytm should also be taken under the purview of this Bill.

Our next suggestion is that some of the issues proposed to be tackled by this Bill are already regulated under the existing laws. Government of India should take care that there is no overlap between the Department of Telecommunications with other regulators such as the Competition Commission of India, TRAI, the Ministry of Electronics and Information Technology and such other Departments.

Sir, I take this opportunity to request the hon. Minister to upgrade Kurnool city to a 'Y' category city from the existing 'X' category. Of course, this is out of context. This is a long-pending demand of the people of my constituency. The city already has a population of more than 5 lakhs and, hence, is eligible to be classified as 'Y' category city for the purpose of enhancement of HRA of Central Government employees from 8 per cent to 16 per cent.

There is a precedence in this similar case where Mathura and Vrindavan were upgraded into 'Y' category city in 2020. Similarly, Kurnool may be considered for upgradation into 'Y' category city. Likewise, Sir, BSNL services should be made mandatory in all Government institutions in a true spirit. Another suggestion is that coordination among Government agencies before

carrying out digging and road expansion work should be established in order to avoid unwarranted outages. My last suggestion would be that local ISPs are not accounting revenue from telecom services. There, GST evasion is being done. Kindly, take care of that.

Sir, there are three requests from the Kurnool Parliamentary Constituency which I represent. One is that under the Universal Service Obligation Fund, 11 sites of Kurnool Districts were allotted 4G equipment. I request the hon. Minister to identify uncovered villages and provide more 4G services. Secondly, BSNL is yet to start 4G services in Kurnool District. I request the hon. Minister to upgrade existing BSNL sites into 4G on priority basis. My third request is that since BSNL is the backbone of entire India, its network needs to be strengthened upto Gram Panchayat level with, at least, 10 GB bandwidth by providing latest equipments.

Sir, in conclusion, from modernising infrastructure to bridging the digital divide, the Bill promises a holistic approach to India's telecom landscape. The focus should be on inclusive approach of all regions of the country so as to realise our dream of 'sabka saath, sabka vikas'. In a digital world, literacy is not just the ability to read and write but also the ability to use communication technologies. Hope, this Telecommunications Bill, 2023 shall take care of our redefined goals.

With these suggestions, Sir, I support the Bill. Jai Hind !

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक सभागार, इस ऐतिहासिक सदन में, इस ऐतिहासिक सत्र में, इस ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक विधेयक के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, पार्टी ने बोलने का अवसर दिया। अगर हम कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक विधेयक है तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूं कि आज के दिन हमने 160 वर्ष पुराने विधेयक को निरस्त किया है और हमने नए भारत के लिए नए कानून को पारित करके राज्य सभा की ओर भेजा है। आज यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक काम है।

सभापति जी, जैसे हमने पीनल कोड को बदला, उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी 138 वर्ष पुराने इंडियन टेलिग्राफ एक्ट को निरस्त करके, रिपील करके एक नया टेलिकॉम्युनिकेशन बिल ला रहे हैं जो भारत के भविष्य, विकास और उत्थान के लिए बहुत ही सार्थक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और यशस्वी नेतृत्व के कारण भारत में बदलाव की क्रांति आ रही है, यह हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग भी इसमें हिस्सेदार हो रहे हैं। इस देश के नागरिकों को लाभ मिल रहा है और हम अलग-अलग क्षेत्रों में कायाकल्प कर रहे हैं, ट्रांसफार्मेशन कर रहे हैं। टेलिकॉम में बहुत ही जरूरी, अनिवार्य और प्रभावशाली टेलिकॉम्युनिकेशन बिल की जरूरत थी। मैं माननीय मंत्री जी और उनके विभाग का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास के कारण आज इतना प्रभावशाली और इतना दूरदर्शी विधेयक प्रस्तुत किया है।

<u>17.14 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले दस वर्षों में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व और माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण भारत के महत्वपूर्ण सैक्टर में बहुत बड़ी क्रांति आई है। इस क्रांति को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का टेलिकॉम सैक्टर नौ परसेंट का सैक्टर है यानी हमारी जीडीपी में नौ परसेंट टेलिकॉम सैक्टर का

योगदान है। इस सैक्टर में आज के समय करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम सबने लगभग सैचुरेशन मोड में इसे आगे बढ़ाया है।

आज 118 करोड़ लोग टेलीकॉम सेवा के सब्स्क्राइबर बने हुए हैं। यह इतना विशाल सेक्टर है, इतना महत्वपूर्ण सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए है। इस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में क्रांति आई है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने फास्टेस्ट 5जी रोलआउट किया, हम लोगों ने ब्रॉडबैंड सभी के घर तक पहुंचा दिया। सभी जगहों पर जो बेस-स्टेशन की जरूरत थी, हम लोगों ने बेस-स्टेशन बना दिया। आपको याद होगा कि 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। ड्रॉप कॉल एक समस्या थी। हम सभी लोग उसके शिकार हुए थे। ड्रॉप कॉल तथा बीएसएनएल का मजाक किया जाता था कि वह बीएसएनएल नहीं है, बल्कि 'भाई साहब नहीं लगा' है। उसी बीएसएनएल के बारे में हम लोग कहते थे कि 'भाई साहब नहीं लगा'। आज जो पिछले 10 वर्षों में क्रांति और सुधार आया है, अब जो कॉल्स नहीं लगती थीं, जो ड्रॉप कॉल होती थी, आज वे सभी कॉल्स हो रही हैं और वे लगती ही चली जा रही हैं और लगती ही चली जाएंगी। यह क्रांति हम लोगों ने हमने आज के समय लाई है। इसमें एक बहुत विशेष मापदंड है, बहुत विशेष आंकड़ा है, जिसकी ओर मैं सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वह यह है कि एवरेज इंटरनेट स्पीड हमारे देश में अब क्या हो गयी है? नौ-दस साल पहले एवरेज इंटरनेट स्पीड 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हुआ करती थी। 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज के समय में, चाहे वह ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें या फाइव जी के रोलआउट की बात करें, आज आपको 40,50 और 75 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड इंटरनेट की सेवाएं मिल रही हैं और इसके द्वारा सब एप्लिकेशन्स में क्रांति आ गई है।

महोदय, अभी माननीय सदस्य यूपीआई की बात कर रहे थे। आज एकदम परफेक्ट यूपीआई की रिलाएबिलिटी इसलिए है, क्योंकि हम लोग डेटा सर्विसेज इतनी बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। आप आज के समय चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो या आईपीएल हो या कोई भी इवेंट अपने फोन पर देख रहे हैं। यह हम सभी ने देखा है कि आप कहीं भी जाएं, तो अपना फोन निकालकर

लोग चाहे पिक्चर देख रहे हों, चाहे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट देख रहे हों, चाहे अन्य मनोरंजन की चीज देख रहे हों, वह आज उनके स्मार्ट फोन पर उनको मिल रहा है, वह मनोरंजन उनको मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अब 40,50 या 75 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हो गयी है, जो पहले 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हुआ करती थी।

महोदय, यह सिर्फ मनोरंजन और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं है। आप दूरदराज गांव में भी चले जाइए। हमारे हजारीबाग, झारखंड में बहुत सारे ऐसे दूरदराज के गांव थे, जहां टावर नहीं था, जहां बेस-स्टेशन नहीं था, जहां टेलीकॉम सर्विसेज नहीं थीं। आज उनको टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही हैं और वे यूपीआई वीडियो स्ट्रीमिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत जरूरी सेवाएं थीं, यानी शिक्षा या मेडिकल की सेवाएं या उन लोगों की एम्बुलेंस बुलाने के लिए किसी सिग्नल की जरूरत थी, वे सब आज उनको मिल रही हैं। ये सेवाएं टेलीकॉम के क्षेत्र में पिछले 8-10 सालों की क्रांति में हमने दी हैं। मेरे बगल में पूर्व डीजी, पुलिस श्री वीडी राम जी बैठे हैं। वह बता रहे थे कि पहले जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म हुआ करता था, वह आज के समय किस प्रकार से कम हुआ है। जहां बेस-स्टेशन नहीं हो पाते थे, पहाड़ वगैरह पर जहां हम बेस-स्टेशन नहीं लगा पाते थे, हम लोगों ने अब नक्सल प्रभावित एरियाज व डिस्टर्बड एरियाज में बे-स्टेशन लगा दिए हैं। आने-जाने में जिनको दिक्कत होती थी, जो दूरदराज के गांवों में नहीं जा पाते थे, आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेस-स्टेशन आ गया है। जो पुलिस पिकेट हैं, उनको कनेक्टिविटी मिल गई है और इस तरीके से देश में हम लोग और लोगों को टेलीकॉम के द्वारा भी सुरक्षित रखते चले जा रहे हैं। अत: यह क्रांति आई, इंटरनेट और टेलीकॉम में पिछले 8-9 सालों में बहुत बड़ी क्रांति आई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका संकल्प है कि हम एक विकसित भारत बनाएं, एक नए भारत को बनाएं, जिसमें हम हम सुविधाएं न सिर्फ कैच-अप मोड में करें, बल्कि ऐसी सुविधाएं ऐसी दें कि हम लोग दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएं, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। अत: न केवल पॉलिसी रिफॉर्म, बल्कि इस विधेयक के द्वारा अब हम लोग स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि माननीय

मंत्री जी ने कहा है कि एकदम जड़ से सुधार हम ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला रहे हैं और इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से हमारे टेलीकॉम सेक्टर में और गति आने वाली है। यह अद्भुत होने वाला है आगे-आगे देखिए कि हम लोग टेलीकॉम में क्या करेंगे।

अगर यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने सबके साथ कंसल्टेशन किया है, वर्ष 2022 में पहले इस कानून को ड्राफ्ट मोड में दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो कंसल्टेशन्स हुए, हम लोगों को लगभग 200 अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा एक हजार से ज्यादा टिप्पणियां, कॉमेंट्री और कॉमेंट्स मिले। 60 मंत्रालय, सरकारी संस्थाएं और विभागों से हम लोगों को कॉमेंट्री मिली और कुछ न कुछ सुझाव मिले हैं। इसका जो रिव्यु हुआ है, उसमें हम लोगों ने न सिर्फ अपने इतिहास, कोर्ट जजमेंट्स और अपने अनुभव को देखा है बल्कि विश्व में आज के समय में जो सबसे आधुनिक रेगुलेशन्स हैं, चाहे वह अमेरिका में हो, यूरोपियन यूनियन का हो, सिंगापुर का हो, जापान का हो या आस्ट्रेलिया का हो, इन सब जगह के रेगुलेशन्स और कानूनों को देखकर इसको बनाया गया है। यह जो कानून बनाया गया है, इसमें पांच ऐसे विशेष स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिनकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम यह है कि हम लोग, जो उपभोक्ता हैं, हम सब लोग, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन्स लाये गए हैं, जिसमें 'डू नॉट डिस्टर्ब' को हम लोगों ने एक लीगल स्ट्रेंग्थ दी है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

श्री जयंत सिन्हा : सर, सदन खाली है। समय बहुत है। पांच महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं।

माननीय सभापति: खाली की बात नहीं है, घड़ी लगातार चल रही है।

श्री जयंत सिन्हा : सर, डू नॉट डिस्टर्ब यूजर प्रोटेक्शन को लागू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि टेलीकॉम क्या है तो उसको भी एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। अब उसके केवल तीन भाग हैं। पहला सर्विसेज, दूसरा नेटवर्क्स और तीसरा रेडियो इक्विपमेंट, इन तीनों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इनके स्टैंडर्ड्स बन गए

हैं और विशेष रूप से इसमें ओटीटी को नहीं लाया गया है। ओटीटी सर्विसेज को हटाया गया है। केवल नेटवर्क्स, रेडियो इक्विपमेंट और सर्विसेज के बारे में डेफिनेशन दी गयी है।

सर, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म हुआ है, जो वर्ष 1885 का एक्ट था, उसमें स्पेक्ट्रम की कोई जिक्र ही नहीं थी और स्पेक्ट्रम के बारे में सोच ही नहीं थी, उसको बदल दिया गया है। अब ऑक्शन के द्वारा ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। असाइनमेंट्स सिर्फ और सिर्फ बड़े नैरोली डिफाइन्ड कुछ-कुछ एरियाज में हैं, जिनमें पब्लिक इंट्रेस्ट, गवर्नमेंट फंक्शन्स, टेक्निकल बैकेंड और बैकहॉल हैं, इनको सिर्फ यहीं किया जाएगा।

सर, जो तीसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, वह टेलीकॉम सिक्योरिटी और नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें पूरे स्टैंडर्ड नेटवर्क को कैसे चलाना है, उसकी घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी। जो बहुत सारे कदम लिये जाने चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, तो वह भी किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक ठोस कदम उठाया गया है कि जो सिम कार्ड्स हैं, आज के समय बहुत सारे जाली सिम कार्ड्स का उपयोग किया जा रहा है। अब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बाद ही सिम कार्ड दिया जाएगा। यानी अब नेटवर्क का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों को अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा दिया जाएगा।

सर, इसके बाद एक डिसप्यूट रिजॉल्यूशन है, इसका भी बहुत अच्छा रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। पहले तो वालंटरी कंप्लायंस है, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल और फिर टीडीसैट लेवल पर डिसप्यूट रिजॉल्यूशन किया गया है।

सर, अंत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यह है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार आपातकालीन स्थिति में नेटवर्क का उपयोग भी कर सकती है। इसके बारे में कई लोगों ने आलोचना भी की है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में यह एक स्टैंडर्ड है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ, जब अमेरिका में हरिकेन कट्रीना आई तो 1962 एक्ट का उपयोग करके जो नेटवर्क्स थे, उनका सदुपयोग किया गया। उस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार द्वारा उसका उपयोग किया गया। वैसे ही वर्ष 2015 में

फ्रांस में भी किया गया था। इसको भी हम लोगों ने इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के द्वारा सरकार को अधिकार दिया है कि वे लोग इस प्रकार से करते हैं और इसको किया जा सकता है।

मैं अंत में कहूंगा कि हम लोग कुछ वाक्य याद करें-

'मंज़िल से आगे बढ़ कर मंज़िल की तलाश कर,
मिल जाये तुझको दरिया तो समन्दर की तलाश कर।'

इसलिए, हम लोग 5 जी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग समुद्र की तलाश में हैं। हम लोग एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं उसको सराहता हूं और मैं उसकी प्रशंसा करना चाह रहा हूं।

5जी का रोल आउट तो बहुत तेजी से हो ही रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत में हम लोग मंज़िल की तलाश में हैं, समंदर की तलाश में हैं। 6जी का भी रोल आउट होगा और जब 6जी बनाएंगे, तो पूरी टेक्नोलॉजी स्टेक यानी हम लोग अपने आप आत्मनिर्भर होकर बनाएंगे, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, I do not know in which generation of telecommunication we are now, but we have seen telephones which were being operated by the company's operator. We used to give a number and after some time, we used to get connected to that number. Subsequently, it so happened that we thought that we can move around the room so that we can get connected at ease. That is how a long wire was also connected to the telephone and that is how we could move around, holding the telephone in our hands, while also speaking. Then, technology came that if there is a group of people sitting around you and you want to speak confidentially, then a remote phone or a cordless phone was provided by the market and also by the company and we used to move around with that cordless telephone. Cordless also developed another technology, especially I would say for public persons who are in public life, that if I am talking to someone and pleading for a person who is very close to me and I want that person also to hear what the other side is saying, I put the speaker-phone on so that he hears what the response from the other side is. That helped to a great extent, and even today, it helps to a great extent, the persons who are in public life.

Subsequently, it underwent a change during the later part of Nineties, especially in our country, when mobile technology came into being. I remember that in 1998 when Mr. Pramod Mahajan was the Minister of Communications and IT, he had visited China with a group of technocrats. When he came back, he was speaking very profusely about the youngsters

and everybody there having a mobile in their hands and telling when we were going to have it. In a way, he was exhorting himself and it came.

Actually, I have the fortune, along with some Members who are in this House even today, to have seen the new Telecom Policy taking shape. One would think it otherwise, but the Chairman of that Committee was Mr. Somnath Chatterjee and his party was totally against opening up of telecom sector to market. I have seen for three years the manner in which he guided us in the Committee on how to open up the sector. It was during 2001. Though the policy was of 1996, it subsequently underwent a number of changes and the Telecom Policy changed. There was a large section of the society which was opposed to provide or allow private players to come in saying that the national secrets would be divulged if we allowed private players to come in.

When I am going through the Bill today, the words 'national security' also come again and again. It is not only controlling a public sector undertaking; provisions have been made to control and regulate private sector also. Is it necessary or not necessary how far our privacy boundary extends? That is a matter which can be debated, discussed inside this House, outside this House, or in a court of law. But the point here is when I am communicating certain things to someone, how much can the State interfere? That is the basic question which needs to be answered in a civilised society.

Coming back to the Bill, I would say, it is an interesting piece of legislation and it is in safe hands. The Minister is capable enough to navigate no matter in the manner in which this House is existing today and also for that

matter the other House. This Bill will replace the Indian Telegraph Act of 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act of 1933, and the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act of 1950. These are seen as colonial and post-colonial relics that are unsuitable for a sector that has seen dramatic changes in recent times. It has changed exponentially especially during the last 25-30 years. At a time when we are reading in our puranas that how come in the nail one could see something which is far, far away or in the palm if a picture can be seen, it is a reality today.

The Telecommunications Bill, 2023 has proposed major changes in regulatory mechanism. There are a number of other changes also that are being affected including simplification of licencing, clarity on spectrum assignment, and stringent requirement for user verification. Current licencing regime for telecom network is being moved towards an authorisation system as the Telecom Department issues more than 100 types of licences, registrations, and permissions. Currently, the Bill seeks to club many of these in a single authorisation process.

This Bill opens the door for administrative allocation of spectrum for satellite broadband services which is the global norm today. This could be a big win for Bharti Airtel’s OneWeb, Elon Musk’s Star Link, and Amazon’s Kuiper. The assignment of spectrum whether through auction or administrative means for satellite communication was at the heart of the debate between the Government and a divided industry. The Telecom Department even went to ask the telecom regulator, TRAI, for modalities relating to auctioning satellite

spectrum. While Reliance Jio had called for auctioning of spectrum rather than administrative allocation, OneWeb had recommended the administrative route against a fee in order to promote investment and make sure competitive prices are available to the market at the end. Star Link recommended to impose nominal spectrum charges to ensure affordable access of services. All this comes in the backdrop of, as you very well remember, Supreme Court's ruling of 2012 in 2G Spectrum. The allocation of spectrum by the UPA Government was declared illegal. More than 100 telecom licences were cancelled. The PAC also went into that. C&AG gave a report. A number of things also happened.

Now, I am coming to the Bill. A pertinent question is this. Are there any concerns about the provisions of this Bill? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes, just 3-4 minutes more.

Previously, the Government took steps such as suspending internet services in areas marred by violence till peaceful conditions prevailed. This has also been a topic of debate. But now, the Bill proposes to empower a Government to take 'temporary possession of the network'. The Minister may clarify this. What is possession and how would the temporary period be defined?

Is it true that through this Bill TRAI will become a rubber stamp as this Bill considerably dilutes the regulatory power? Appointment of private sector corporate executives for the role of TRAI Chairperson is going to become a reality with the manner in which the provisions are being made in this Bill. The

Bill says an Executive may be appointed if such person has at least 30 years of professional experience and has served as a Member of the Board of Directors or a Chief Executive of a company.

Lastly, this Bill allows the Government to take over telecom services and intercept messages in the interest of national security and in case of emergencies. I understand that at the time of trouble or emergency it becomes necessary to confine a certain message or certain issues to that area alone so that you can control unnecessary or disruptive activities. But at what level it can be monitored and a decision has to be taken is not defined here. Perhaps, the Minister can tell us in detail as to how it will be decided, at what level it will be decided and under what law it will be decided.

A 2022 draft had expressly mentioned online communication services such as WhatsApp, Instagram and Telegram as telecommunication services. Experts believe that the definition of such services in the current Bill has been whittled down and kept open to potentially regulate online platforms as well.

Therefore, I would say that a number of issues are also there. I have flagged only some of them. I believe that the other Members also will be deliberating on those other issues, and we expect that a Regulator has to be independent. The Government also should have, for law-and-order situation, a little bit of control, and it should not be a blanket control.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, माननीय दूरसंचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत दूरसंचार विधेयक, 2023 पर मैं अपनी बात रख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक एक प्राधिकरण प्रणाली की ओर आगे बढ़ते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में दूरसंचार विभाग सौ से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां जारी करता है और यह विधेयक उनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक सरकार को अपर्याप्त कारणों से अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने की भी अनुमति देता है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने और पट्टे पर देने का द्वार भी खोलता है।

संस्थाएं अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार से भुगतान नहीं मिलेगा। विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम (1950) को प्रतिस्थापित करना चाहता है, जिसे सरकार औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों के रूप में देखती है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में काफी बदलाव आया है।

सभापति महोदय, यह विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति के दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। दूरसंचार उपकरण केवल विश्वसनीय स्त्रोतों से ही खरीदे जाने चाहिए। दूरसंचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रचार, विज्ञापन आदि जैसे कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति ली जानी चाहिए।

सभापति महोदय, इस विधयेक में एक निर्णय तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। लाइसेंस के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, निर्णायक अधिकारी को जांच करनी चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए। विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

को लुटेरी मूल्य निर्धारण की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान करने की भी संभावना है।

सभापति महोदय, कुछ चिंताएँ भी हैं, मुख्य रूप से दूरसंचार नेटवर्क पर संचार के लिए अवरोधन आवश्यकताओं को लेकर क्या विधेयक निर्णायक रूप से व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट आधारित संचार प्लेटफार्मों को इसके दायरे से बाहर करता है या नहीं, इस पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टता चाहता हूँ।

सभापति महोदय, विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों या एक विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी को सार्वजनिक आपातकाल या हित या सुरक्षा के मामले में अवरोधन, प्रकटीकरण और निलंबन की शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार देता है। भारत में प्रकाशन के लिए और राज्य या केंद्र सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को अवरोधन से छूट दी गई है, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका जा सकता है।

सभापति महोदय, विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या युद्ध की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार भी देता है। इस विधेयक के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क को सरकार से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, जब तक कि वह सार्वजनिक हित में कुछ संस्थाओं को छूट देने का निर्णय नहीं लेती।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अनुसार उद्योग और नागरिक समाज का एक वर्ग इस डर से चिंतित है कि वर्तमान परिभाषा की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि दूरसंचार विभाग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने का द्वार संभावित रूप से खुल जाएगा। व्यवसाय नियमों का आवंटन इसके रास्ते में आ सकता है। दूरसंचार विभाग का अधिकार उन नियमों के तहत 'वाहक परत' यानी दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने तक सीमित है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की बीएसएनल, एमटीएनएल जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां आज बुरी हालत में है। जहां पहाड़ी गांव

या ग्रामीण इलाका है, वहां बीएसएनएल, एमटीएनएल चलता है। वहां पर जियो नेटवर्क नहीं चलता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहरी इलाकों में यह प्राइवेट सेवा चलती है, लेकिन भारत सरकार की सेवा ग्रामीण इलाकों में चलती है। इस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अश्वनी वैष्णव : सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। मैं दस पॉइंट्स में इसका जवाब दूंगा।

सभापति महोदय, इस बिल में सबसे बड़ा रिफॉर्म यूजर्स प्रोटेक्शन में आया है। आज हम सभी जानते हैं कि किस तरह से किसी के नाम पर भी, कोई बैंक के नाम पर कॉल करता है, किसी के एकाउंट्स से पांच हजार रुपए या दस हजार रुपए निकाल देते हैं, उस पर बहुत फोकस करके फ्रॉडलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था उपयोग में न ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की इसमें व्यवस्था की गई है।

<u>17.46 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

इसमें बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। फ्रॉडलेंटली सिम लेने के मामले में impersonation के मामले में तीन साल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया गया है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, इस तरह भारत सरकार, मोदी जी ने टेलिकॉम में सुचिता लाने का प्रयास किया है, उससे इस बिल में इस तरह के प्रावधान से बहुत बड़ा साधन मिलेगा।

अध्यक्ष जी, दूसरा पॉइंट right of way reforms है। जिस तेजी से टेलीकॉम इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, उसमें right of way reform बहुत जरूरी था। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार को सम्मिलित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से right of way reform लाया गया है।

तीसरा लाइसेंस का रिफॉर्म है। सौ से अधिक विभिन्न प्रकार के लाइसेंस होते हैं। उनकी जगह एक सिम्पल ऑथराइजेशन होगा।

चौथा, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म है। 1885 के एक्ट में, तब spectrum की कोई बात भी नहीं होती थी। इसमें स्पेक्ट्रम के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सोची-समझी और कानून सम्मत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कांस्टीट्यूशनल बेंच का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसका सम्मान करते हुए, उसी के अनुसार एक व्यवस्था इस बिल में लाई गई है।

अध्यक्ष जी, पांचवा बड़ा पॉइंट है – "Digital by design". Digital by design, four-tiered dispute resolution framework बनाया गया है। आर्थिक कानूनों में किस तरह से एक व्यवस्था हो, जिसमें आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, बहुत आराम से अपनी कम्प्लेंट्स, ग्रीवांसेज को रिड्रेस करा सकें, वह व्यवस्था इस बिल में लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष जी, छठा पॉइंट है कि cyber security के standard, और protection of telecom network के लिए एक लीगल फ्रेम वर्क बनाया गया है। आज युद्ध के समय या नेशनल सिक्योरिटी के केस में सबसे बड़ा अटैक सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम नेटवर्क्स पर होता है। अभी विश्व में जितने भी conflict zones हैं, उन सब के अध्ययन से यह पाया गया है कि सबसे पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क्स पर होता है। इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए trusted source और साइबर सिक्योरिटी को एक लीगलजामा पहनाया गया है।

सातवां पॉइंट इंटरसेप्शन का है। इंटरसेप्शन के 1996 के पीयूसीएल के जजमेंट के बाद से एक क्लीयर व्यवस्था बनी हुई है, उसके अनुसार आज जहां पर जरूरत पड़ती है, वह भी संविधान सम्मत आर्टिकल के अनुसार जो इंटरसेप्शन किया जाता है, वही प्रावधान इस बिल में भी रखे गए हैं और उसी तरह के चेक एंड बैलेंसेज की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष जी, आठवां पॉइंट डिजिटल भारत निधि का है। जिस तरह से आज भारत telecom equipment का designer, manufacturer and exporter बना है, उस के बारे में आज से 10 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था कि भारत में telecom equipment manufacture होगा, लेकिन आज यह एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह उभरा है। डिजिटल भारत

निधि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की एक व्यवस्था की जाएगी।

मान्यवर अध्यक्ष जी, नौवां पॉइंट है कि innovation and technology development के लिए regulatory sand box की व्यवस्था। यानी एक सीमित दायरे में अगर स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम की व्यवस्था को यूज करके कोई इनोवेशन करना चाहे, तो वह काम इस बिल के पास होने के बाद संभव हो सकेगा।

दसवां, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसा कि एक मान्यवर सांसद जी ने कहा था। आज करीब 40 लाख लोग इसमें रोजगार पाते हैं। इस इंडस्ट्री में कहीं कोई डिसरप्शन नहीं हो, यह बिल के बनाने के समय में ध्यान रखा गया है।

मान्यवर, महताब जी ने एक पॉइंट रेज किया था कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इंटरसेप्शन में क्या व्यवस्था रहेगी? मैं एकदम क्लीयर आश्वासन देना चाहता हूं कि एकदम क्लीयर चेक्स एंड बैलेंसेज, सुप्रीम कोर्ट और संविधान सम्मत व्यवस्था, जो आज तक चली आई है, उसी तरह की व्यवस्था इस बिल के बाद भी रहेगी।

एक और विषय स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के विषय में आया था।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टीट्यूशन बेंच में क्लियरली कहा था, बिल्कुल उसी कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच के ऑर्डर के तहत इस बिल में स्पेक्ट्रम की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल से देश के जन-जन में आज तक जो व्यवस्था आई है, डिजिटल इंडिया का जो लाभ हुआ है, इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से और इस कॉम्प्रिहैंसिव बिल से एक बहुत अच्छा प्रभाव इसमें पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सम्भव हुआ है। टेलीकॉम इन सब का गेटवे है। इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं तथा इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा।… (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : सर, इसके बारे में आप्पा बारणे जी ने भी प्रश्न किया है । जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसएफओ) बीएसएनल या दूसरी संस्थाओं को देने के लिए बनता था, प्राइवेट प्लेयर्स अर्बन एरियाज में सारे बटोर लेते थे और रूरल एरिया में कोई जाता नहीं है । इस हिसाब से वे कुछ पैसा हर साल देते हैं । अभी यह फंड मर्ज हो जाएगा । आप रूरल टेलीफोनी बढ़ाने के लिए, स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बढ़ाने के लिए, टावर बनाने के लिए इस फंड का प्रयोग कैसे करेंगे? आपके हाथ से तो यह चला गया । इस हिसाब से कोई निर्दिष्ट परसेंटेज ऑफ मनी वहां से आएगी, आपको मिलेगी? जैसे ओडिशा राज्य है, झारखंड राज्य है, वहां तो ये सारी चीजें होती नहीं हैं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ओडिशा के बारे में सब जानते हैं ।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, जो डिजिटल भारत निधि बनाई है, वह यूएसएफओ का रिप्लेसमेंट है । उसमें इस निधि के व्यवहार की सबसे पहली आवश्यकता जो रखी गई है, इसमें सबसे पहला पाइंट रखा गया है– यूनिवर्सल एक्सेस देना । साथ में दो चीजें और जोड़ी गई हैं– इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की । जो प्राथमिकता मोदी जी ने दूरदराज क्षेत्रों को टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाने की दी है, अभी हाल ही में करीब-करीब 40 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं, जिससे देश के हर गांव में 4जी और 5जी की सर्विसेज पहुंच सके । करीब-करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिक फाइबर पहुंचाया गया है । बीएसएनएल के लिए 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज दिया गया है और बहुत खुशी के साथ आपके समक्ष यह बात रखना चाहूंगा कि आज बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगा है । आज बीएसएनएल ने देश में डेवलप्ड 4जी, 5जी की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोल आउट आरंभ कर दिया है और बहुत जल्दी वह रोल आउट और ज्यादा स्पीड-अप होगा । करीब-करीब अगले एक साल के बाद बीएसएनएल भी बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम एंटिटी बनकर निकलेगा । जैसे कुछ मान्यवर सांसद कह रहे थे कि बीएसएनएल का कभी-कभी मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब लोग बोलेंगे

कि भाई साहब नया लगेगा। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनकर निकलेगा। मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के पीछे चट्टान बनकर खड़ी है।

अध्यक्ष जी, साथ ही साथ कई और पॉइंट्स आए, जिनके बारे में भी मैं आपके समक्ष कुछ क्लेरिफिकेशंस रखना चाहूंगा। स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का विषय आया। सैटेलाइट एक ऐसी सर्विस है, जिस सर्विस में बेसिकली जो भी स्पेक्ट्रम यूज होता है, वह सेम स्पेक्ट्रम, एक ही स्पेक्ट्रम को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं यानी सैटेलाइट से बेस स्टेशन पर जो बीम आ रही है, वही बीम, सेम फ्रीक्वेंसी को बाकी कई लोग यूज कर सकते हैं। इस टेक्नीकल पॉइंट के कारण दुनिया के करीब सभी देशों ने सैटेलाइट का, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव्ली ही किया है। उसको कहीं पर भी ऑक्शन में नहीं लाए हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जहां पर किसी टेक्नीकल कारण से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव्ली देना पड़े तो देना चाहिए।

इस बिल में जो टेक्निकल कारण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजंस दिखाए गए हैं, वे बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, एकदम नैरोली डिफाइंड हैं। शेड्यूल एक में 19 पॉइंट्स डाले गये, जिससे कि कहीं पर किसी के प्रति कोई डिस्क्रिशन न रहे।

मोदी जी बहुत शुचिता के साथ सरकार चला रहे हैं। मोदी जी का राजनीति और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का हमेशा प्रयास रहता है। इसलिए इस बिल में बहुत ही क्लीयरली डिफाइंड है कि किस तरह के कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस फोर्सेज आदि को आज भी दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा।

जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, मान लीजिए पावर ग्रिड है, मेट्रो है, रेलवेज है, इन सबको आज भी पब्लिक इंट्रेस्ट में दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली आगे भी दिया जाएगा। जहाँ पर टेक्निकल कारण से, जैसा कि मैंने सैटेलाइट के संबंध में बताया या फिर बैकहॉल, ये ऐसे कारण हैं, जहाँ पर टेक्निकल कारण से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, उन सबमें

एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया जाएगा। यह व्यवस्था इस बिल के माध्यम से लायी जा रही है। इससे बहुत सारे लिटिगेशंस भी खत्म होंगे।

इसके साथ-साथ, स्पेक्ट्रम के कुछ बड़े रिफॉर्म भी लाये जा रहे हैं। विश्वभर में एक स्थापित व्यवस्था है कि स्पेक्ट्रम को हार्मोनाइज करने दिया जाए और स्पेक्ट्रम की refarming को अलाऊ करें। Re-farming का मतलब यह है कि अगर स्पेक्ट्रम 4जी के लिए लिया गया था, टेक्नोलॉजी बढ़ते-बढ़ते 5जी की तरफ बढ़ी, तो सेम स्पेक्ट्रम को, 4जी के स्पेक्ट्रम को 5जी में भी उपयोग में लिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था विश्वभर में है। वही व्यवस्था अपने यहाँ इस बिल के पारित होने के बाद लागू होगी। इस तरह से, पूरे सेक्टर में एक फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, ग्रोथ का एक नया मोमेंटम आएगा। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जो बहुत ही स्केयर्स रिसोर्स है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब से इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुई है, तब से स्पेक्ट्रम जैसा था, वैसा का वैसा आज भी है। अगर कोई इसका कम्पैरिजन किसी और रिसोर्स के साथ करे, मान लीजिए एक माइन के साथ करे, तो माइन का जितना उपयोग होता है, उसके बाद धीरे-धीरे माइन खत्म हो जाती है। अगर हम एक मशीन का उदाहरण दें, तो मशीन का जितना उपयोग करते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है, जो सदियों से कितनी भी बार, कितने भी व्यक्ति, कितनी भी संस्थाएं उसका उपयोग करें, स्पेक्ट्रम में एक रत्ती भर भी कोई कमी नहीं आती है, उसमें कोई खरोंच नहीं आती है। जैसा कि श्रीमद्भगवत् गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर है, अमर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वैसा ही स्पेक्ट्रम का भी स्वरूप है। यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिसोर्स है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता है यानी जो स्पेक्ट्रम कल तक कोई व्यवहार में लाता था, उसको आज भी बिल्कुल बिना कोई हिचक के, बिना कोई कमी के, बिना किसी क्षरण के उसको नया व्यक्ति उपयोग में ले सकता है। ऐसी नैचुरल रिसोर्स को बहुत ही सावधानी के साथ डील करना चाहिए। इसलिए ये सभी रिफॉर्म्स लाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो, तो सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि दूरसंचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 59 विधेयक में जोड़ दिये गये।</u>

Clause 60 Repeal of certain Acts and savings

<u>संशोधन किया गया</u> :

पृष्ठ 28, पंक्ति 19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 निरसित की जाती हैं"। (1)

(श्री अश्विनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 60, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 60, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 61 Existing rules to continue

<u>संशोधन किया गया</u> :

पृष्ठ 28, पंक्ति 31 और 32,-

"या तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950" का *लोप* करें। (2)

(श्री अश्विनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 61, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 61, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>**18.00 hrs**</u>

Clause 62 Validation of certain Acts and indemnity

<u>संशोधन किया गया</u>:

पृष्ठ 29, पंक्ति 7 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित *रखा* जाएगा -

"किए गए कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां, भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन किए गए थे, लिए गए थे या" (3)

(श्री अश्वनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 62, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

<u>खंड 62, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>18.01 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 21, 2023/Agrahayana 30, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)